पंचम माला, खंड 4, अंक 21
Fifth Series, Vol. IV, No. 21

सोमवार, 21 जून, 1971/31 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Monday, June 21, 1971/Jyaista 31, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 21 सोमवार 21 जून, 1971/31 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
No- 21 Monday June 21, 1971/Jyaistha 31, 1893 (Saka)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	**Members Sworn**	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Question**	1 – 17

ता.प्र.संख्या
S.Q.No.

विषय	Subject	
601. भारतीय क्षेत्र से बंगला देश को पेट्रोल की तस्करी	Smuggling of Petrol from India Territory to Bengla Desh	14
602. नागाओं के नेताओं की पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ भेंट	Meeting of Naga Leaders with Pakistan Officers	14
603. सशस्त्र सेना की सप्लाई कोर तथा अन्य सैनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत	Complaint about Corruptions in Supply Corps of Armed Forces and other Military Establishments	1
605. भारत द्वारा पाकिस्तान के सैनिक तथा असैनिक विमानों की भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ानों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के समबन्ध में पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् से शिकायत	Complaint by Pakistan with U. N. Security Council about Ban of over Flights of Pakistani Civil and Military Aircrafts over Indian Territory	2
606. भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के बारे में जापान द्वारा समर्थन वापिस लिया जाना	Withdrawal of Support by Japan to Bhutan's Membership of UNO	15
609. औषधालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों को रेबीज के टीकों का सम्भरण	Supply of Rabies Vaccine to Despensaries and Health Centres	3
610. देश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय	Ayurvedic Universities in the country	4

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was act ually asked on the floor of the House by him.

ता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
613.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर डिबीजन में एच. एस. 748 विमान की तरह के सैनिक मालवाहक विमान का निर्माण	Manufacture of Military Freighter version of H. S. 748 Aircraft at Kanpur Division of HAL 5
615.	मध्यपूर्व देशों से रुपये के आधार पर अशोधित तेल का आयात	Import of crude oil from Middle East countries on rupee basis 16
618.	ग्रामीण क्षेत्र में नये मैडीकल कालेज खोलना	Setting up of New Medical Colleges in Rural areas 6
620.	भारत में चल रही विदेशी औषधि फर्मों के कार्य संचालन का अध्ययन	Study of working of Foreign Drug Firms in India 8
621.	भारत में औषध निर्माण एककों की संख्या	Pharmaceutical Units in India 8
625.	विशाखापत्तनम् में गैर सरकारी क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरक परियोजना	Nitrogenous Feetilizer Project at Vishakhapatnam in Private Sector 10
627.	टर्की के प्रतिनिधि मंडल का दौरा	Visit of Delegation from Turkey 11
630.	पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट	Adulteration of Petrol with Rerosene oil 13
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions** 17
ता.प्र. संख्या S.Q. No.		
604.	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Family Planning Programme 17
607.	पेट्रोल और डीजल तेल की उत्पादन लागत	Cost of Production of Petrol and Diesel Oil 18
608.	चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक आवास का लक्ष्य	Target for Industrial Housing during the 4th Plan 19
611.	पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की चल और अचल सम्पति की नीलामी	Auction of Movable and Immovable Properties of Rufugees of East Bengal 20
612.	श्री लंका से भारत आये व्यक्ति	Persons who came to India from Ceylon 20
614.	विद्रोही नागाओं के विदेशों से गुप्त सम्बन्ध	Rebel Nagas secret ties with foreign Conntries 20
616.	पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों के साथ पाकिस्तान द्वारा किया गया पाशविक बर्ताव	Brutual treatment meted out by Pakistan to Indians in Pakistani Jails 21
617.	ढाका और कलकत्ता से पाकिस्तानी	Offer by Russia to India and Pakistan

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ट Pages
और भारतीय राजनयिक कर्मचारियों को अपने देश में वापिस ले जाने के सम्बन्ध में रूस द्वारा भारत और पाकिस्तान को पेशकश	for Repatriation of their Diplomatic Staff from Dacca and Calcutta	21
619. क्षेत्रीय पारपत्र केन्द्र का कार्यभार	Work load of Regional Pasport Centres	22
622. मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना	Oil Refinery in Madhya Pradesh	22
623. नेपाल को दी गई सहायता	Aid given to Nepal	22
624. योग संबंधी प्रकाशन	Literature on Yogic Culture	23
626. पाकिस्तानी प्रचार के विरुद्ध भारत द्वारा की गई कार्यवाही	Action taken by India against Pakistan Propaganda	23
628. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सलाहकार की सिफारिशें	UNO Chief Advier's Recommendations on Health and Family Planning	23
629. शरणार्थी शिवरों का कार्यभार सेना द्वारा संभाला जाना	Taking over Charge of Refugee Camps by the Army	24

अता: प्र. संख्या U.S.Q. No.		
2635. केंसर का आयुर्वेदिक उपचार	Ayurvedic Cure for Cancer	24
2636. बंगला देश के शरणार्थियों को वापस भेजने के लिये अमरीका का प्रयास	US Efforts for Return of Bengal Desh Refugees	25
2638. केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा कचे पानी की दरों में वृद्धि किया जाना	Enhancement of Rates of Unfiltered Water by CPWD	25
2639. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिये एक फौरम की स्थापना	Setting up of form for CPWD Engineers	26
2640. पीने के पानी में फलोरिडिस के कारण उपचार न किये जाने वाला लंगडापन	Incurable crippling disease caused by fluorosides	27
2641. बिहार स्थित सिन्दरी फर्टीलाइजर्स में बोनस अधिनियम का लागू किया जाना	Implementation of Bonus Act in Sindhri Fertilizers Bihar	27
2642. सिंदरी फर्टीलाइजर्स द्वारा भारी रसायन और उर्वरक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Recommendations of Wage Board for Heavy Chemical and Fertilizers by Sindri Fertilizers	28

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय	Snbject	पृष्ठ Pages
2643.	शीतल पेय के निर्माताओं द्वारा नियमों और विनियमों का उल्लंघन	Violation of Rules and Regulations by Manufacturers of Soft Drinks	28
2645.	पश्चिम बंगाल में रासायनिक उर्वरक आवेदन का विस्तार करने के लिये	Applications for Expension of Chemical Fertilizer Factories in West Bengal	29
2646.	चंडीगढ के विभिन्न सेक्टरों में सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of facilities in various Sectors of Chandigarh	29
2647.	चण्डीगढ़ में कम आय वाले वर्गों के लिये सस्ते मकानों की योजना	Scheme for Cheap Housing Accomodation for Low Income Group At Chandigarh	29
2648.	बंगला देश में हो रही घटनाओं के बारे में एशिया, अफ्रीका, लीबिया और लैटिब अमेरिका के देशों के साथ भारत मरकार का सम्पर्क	Government's contract with countries of Asia, Africa Libya and Latin America on happenings in Bengla Desh	30
2649.	विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली को आवंटित प्लाट	Plot allotted to Vishwa Yuvak Kendra, New Delhi	30
2650.	भारत अमरीका वार्ता	Indo-US talks	30
2651.	प्रधान मंत्री और मंत्रियों के बंगलों के रख रखाव पर होने वाला व्यय	Expenditure on Maintenance of P.M's and Ministers' Bungalows	31
2652.	तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार की इमारत पर निगम कर का भुगतान	Payment of Corporation Tax on Central Government Buildings in Tamil Nadu	31
2653.	नलकूपों के निर्माण के लिये त्रिपुरा को सहायता	Aid to Tripura for construction of Tube Wells	31
2654.	भारतीय नागरिकों द्वारा पाकिस्तान की यात्रा	Visit by Indian Citizens to Pakistan	32
2655.	नेशनल केडट कोर के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को दिये गये लाभ	Benefits granted to National Cadet Corps	32
2656.	पश्चिम बंगाल के कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्यक्रम	Programme Connected with CMDA West Bengal	32
2657.	राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट की भर्ती पदोन्नति और स्थानान्तरण के नियमों से संबंधित सिफारिशों का क्रियान्वियन	Implementation of Recommendations of National Industrial Tribunal Award Re: Rules for Recruitment Promotion and Transfers	33
2658.	रक्षा मंत्रालय के सैनिक सांख्यिकीय संगठन में सांख्यिकीय अनुसंधाताओं को स्थाई बनाना	Confirmation of Statistical Investigators in Army Statistical Organisation in Ministry of Defence	34

ता.प्र. संख्या U.S.Q, No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2659.	नेफा में तेल की खोज / Search for Oil in NEFA	34
2660.	अलियावेट में पाये गये तेल का व्यवसायिक मूल्य / Commercial value of Oil Struck at Aliabet	35
2661.	रेवीज के कारण दिल्ली में मौतें / Deaths due to Rabies in Delhi	35
2662.	मनीपुर में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें / Medical and Health Services in Manipur	35
2663.	इम्फाल नगर को पानी की अपर्याप्त सप्लाई / Inadequate water supply for Imphal Town	36
2664.	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम / T. B. Control Programme	36
2665.	मलेरिया तथा चेचक उन्मूलन कार्यक्रम / Malaria and Small Pox Eradication Programme	37
2666.	अफ्रीका के देशों में भारतीय राजनयिक / Indian Diplomats in African countries	38
2667.	गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में एक सैनिक स्कूल खोलना / Opening of a Sainik School in Garhwal U.P.	38
2668.	अमरीकी विध्वंसक जहाजों और विमान वाहकों द्वारा हिन्द महासागर में अभ्यास / Exercise in Indian Ocean by US Destroyers and Air craft Carriers	39
2669.	पाकिस्तान के पास टैंक / Tanks in possession of Pakistan	39
2670.	भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास के किराये की अदायगी / Payment of Rent for Government Accommodation by Ex-Members of Parliament	39
2671.	केन्द्र द्वारा चलाये गये मेडिकलकालेज / Medical College run by the Centre	40
2672.	मध्य प्रदेश में केंसर क्लनिकों की स्थापना / Setting up of Cancer Clinic in Madhya Pradesh	41
2673.	मध्य प्रदेश में आवास तथा नगरीय विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान / Central Grants for Housing and Urban Development Programmes in Madhya Pradesh	41
2674.	मध्य प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये केन्द्रीय अनुदान / Central Grants for slum clearance Scheme in Madhya Pradesh	42
2675.	मिग 21 की सुधरी हुई किस्म का निर्माण / Manufacture of Modified Version of MIG 21	42
2676.	मैसूर राज्य में मिट्टी का तेल और पेट्रोल बेचने के लिये एक एजेंसी की स्थापना / Setting up of an Agency to Sell Kerosene Oil and Petrol in Mysore State	42
2677.	पाकिस्तान द्वारा हाशिम कुरेशी और अशरफ कुरेशी की गिरफतारी / Arrest of sky jakers, Hashim Qureshi and Ashraf Qureshi by Pakistan	43

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2678.	झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को भूमि के प्लाटों का आवंटन — Allotment of plots of Land to the Jhuggi jhonpri Dwellers in Delhi	44
2679.	आयूध कारखानों के बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी — Unemployed Trainees of Ordnance Factories	44
2680.	बरौनी उर्वरक परियोजना में प्रगति — Progress at Barauni Fertilizer Project	44
2681.	कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास — Accommodation for Low paid Government Employees	45
2682.	चीन द्वारा हिन्द महासागर में आने का मार्ग बनाया जाना — Outlet for China to Indian Ocean	45
2683.	भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा के मार्कीटिंग डिवीजन में कर्मचारियों का निलम्बन — Suspension of Employees in Marketing Division Eastern Branch of Indian Oil Corporation	46
2684.	श्रीलंका में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा की गई कार्यवाही पर व्यय — Expenditure involved in Operations Undertaken by Indian Armed Forces in Ceylon	46
2686.	हिन्द महासागर में रूसी अड्डा — Russian Base in Indian Ocean	47
2687.	कुकी और मिजो विद्रोहियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान सीमा पार करना — Crossing of Border by Kuki and Mizo Hostiles to East Pakistan	47
2688.	सरकारी अध्यापक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली का भूमि का आवंटन — Allotment of land to the Government Teachers Cooperative House Building Society Ltd., Delhi	47
2689.	मध्य प्रदेश में पेय जल की समस्या हल करने के लिये योजना — Master Plan for Solving problem of Drinking Water in Madhya Pradesh	48
2690.	भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये मकानों का निर्माण — Construction of Houses for Landless Agriculture Labourers	48
2691.	दिल्ली तथा देश के अन्य नगरों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय — CGHS Dispensaries in Delhi and other Cities of the country	48
2692.	दिल्ली की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में घटिया किस्म की दवाइयों की सप्लाई — Supply of Sub-standard Medicines to CGHS Dispensaries in Delhi	49
2693.	उर्वरकों का वितरण करने वाली एजेनसियां — Distribution Agencies of Fertilizers	49
2694.	वी. एम. अस्पताल, अगरतला के प्रसूति वार्ड में पर्याप्त स्थान न होना — Over crowding in Maternity Ward of V. M. Hospital, Agartala	50
2695.	बंगाल देश के शरणार्थियों के लिये रक्त प्लैज्मा एकत्र कर रही संस्थायें — Organisation enggged in collecting Blood Plasma for Refugee from Bangla Desh	50

ता.प्र. संख्या U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2696. बखतरबन्द रेजिमेंटों के टैंक चालकों को धूल से अप्रभावित रहने वाले धूप के चश्में तथा ऊपरी पोशाक दिया जाना	Supply of Dust proof Goggles and Overalls to Tank Crews of Armoured Regiments	50
2697. विसालगढ़ क्षेत्र के भूतपूर्व राजनैतिक कार्य कर्ताओं की कालोनी	Explotical Workers Colony in Bisalgar area of Tripura	51
2698. भूतपूर्व सिविलियन स्कूल मास्टरों की सेवा अवधि को पेंशनहेतु विचार में लेने के बारे में अनुदेश	Instruction for counting services of Former Civilian School Masters for pensions	51
2700. शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा करवाने के बारे में सँसद् सदस्य से अभ्यावेदन	Representation from Member of Parliament re. release of Sheikh Mujibur Rehman	52
2701. सोनबेडा स्थित एयरो इंजिन फैक्टरी में काम कर रहे स्थानीय लोग	Local People Employed in Aero Engine Factory at Sonabeda	52
2702. चीन द्वारा परमाणु पनडुब्बियां बनाया जाना	Manufacture of Nuclear Submarines by China	52
अविलम्नीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	53—60
खजुराहो से सैकड़ों विख्यातात्याक्तक मूर्तियों के हटाये जाने का समाचार	Reported removed of hundreds of famed erohic sculptures from Khajraho	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	53
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Siddhartha Shankar Roy	53
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना संबंधी विधेयक के पारित करने के बारे में	Re Passing of the Maintenance of Internal Security Bill	60—61
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	61
राज्य-सभा से सन्देश	Mesaage from Rajya Sabha	61
सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना	Arrest of Members	61—62
श्री राम रतन शर्मा तथा	Shri R. R. Sharma and	
श्री महाँदीपक सिंह	Shri Maha Deepak Singh	
संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प-स्वीकृति	Statutory Resolution re Proclamation issued under Article 356 in relation to the State of Gujarat—Adopted	62—71
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	62

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	63
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे	Dr. Laxminarain Pandey	
श्री के० एस० चावडा	Shri K. S. Chavda	64
श्री रसिक लाल पारिख	Shri Rasiklal Parikh	65
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	66
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	67
डा० जीवराज मेहता	Dr. Jivraj Mehta	67
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	68
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	68
पंजाब बजट, 1971-72—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1971-72	Punjab Budget, 1971-72 General Discussion and Demands for Grants (Punjab), 1971-72	71
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	
श्री ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादव	Shri G. P. Yadav	
श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र	Shri Teja Singh Swatantra	
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birendra Singh Rao	
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	
पंजाब विनियोग विधेयक, 1971-पुर: स्थापित तथा पारित	Punjab Appropriation Bill, 1971—Introduced and Passed	78
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	79
चौथी योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification during Fourth Plan	79
श्री सी० के० चन्द्रपन	Shri C. K. Chandrappan	
डा० के०एल० राव	Dr. K. L. Rao	

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 21 जून, 1971/31 ज्येष्ठ, 1893 (शक)
Monday, June 21, 1971/Jyaistha 31, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण
(Members Sworn)

श्री कुशक बाकुला (लदाख—जम्मू और काश्मीर)
श्रीमती एम गौडफे (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सशस्त्र सेना की सप्लाई कोर तथा अन्य सैनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत

***603 श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में सशस्त्र सेना की सप्लाई कोर तथा अन्य सैनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) क्या इस प्रकार के मामलों में जांच करने और मामले दर्ज करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है—

1969-70	179
1970-71	132

(ख) इन मामलों से निबटने के लिए एक उपयुक्त साधन की व्यवस्था मौजूद है ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : इसके लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है । जहां कहीं से शिकायतें प्राप्त होती हैं वहां जांच करायी जाती हैं और यदि आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जाती है और दंड दिया जाता है ।

भारत द्वारा पाकिस्तान के सैनिक तथा असैनिक विमानों की भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ानों पर लगाये गये प्रतिबंध के सम्बन्ध में पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से शिकायत

*** 605 श्री पी० के० देव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान के अपहरण की घटना के पश्चात भारत द्वारा पाकिस्तान के सैनिक तथा असैनिक विमानों की भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ानों पर लगाये गये प्रतिबन्ध के बारे में पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने इस वर्श फरवरी एवं मई में इस विषय पर सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को दो पत्र लिखे हैं ।

(ख) भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को इस मामले के तथ्यों की जानकारी दे दी है । सुरक्षा परिषद के सदस्यों और शेष विश्व के सामने हमने इस बात पर बल दिया है कि पाकिस्तान ने भारत के विमान का अपहरण करके एवं उसे जला कर इस महाद्वीप में सिविल विमानन को खतरे में डाला है तथा वह अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ने का अपराधी है । पाकिस्तान ने यह सब कुछ भारत से सामना करने एवं विद्वेष रखने की नीति के अंग के रूप में किया है ।

श्री के०पी० देव : पाकिस्तानी विमानों को भारत के ऊपर से न उड़ने देने की कड़ी कार्यवाही के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्षतिपूर्ति के भुगतान तथा अपहरण कर्त्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिये उनको भारत को सौंपने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इसका मूल प्रश्न से सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यहां यह असम्बन्ध प्रश्न है ।

श्री पी० के० देव : इस प्रकार के छोटे से मामले पर पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में जाने की हिम्मत कर सकता था परन्तु बंगला देश में इतनी बड़ी घटनायें होने तथा इस देश की अर्थव्यवस्था तथा प्रतिरक्षा पर उन घटनाओं की प्रतिक्रिया होने के बावजूद भी इन सभी महीनों में हम टस से मस नहीं हुये और मामले को सुरक्षा परिषद् में ले जाने का हमने प्रयत्न नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण न दें; प्रश्न पूछें ।

श्री पी० के० देव : बंगला देश के मामले को हमने सुरक्षा परिषद् में क्यों नहीं उठाया ? यही कारण है कि सदस्यों को यह मामला उठाना पड़ा । सरकार को स्वयं ही यह मामला उठाना चाहिये था । सरकार बंगला देश के मामले को सुरक्षा परिषद् मे क्यों नहीं ले गयी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से किस प्रकार से सम्बद्ध है ? यह यहां असम्बद्ध हैं ।

श्री पी० के० देव : आप विमान अपहरण कर्माओं पर किसी प्रश्न की अनुमति नहीं देते, मुआवजे की अदायगी तथा सुरक्षा परिषद् के संदर्भ में बंगला देश के मामले के प्रश्न के लिये आप अनुमति नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप असम्बद्ध प्रश्न पूछते रहे तो मैं और क्या कर सकता हूँ ? मुझे खेद हैं, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री कल्याण सुन्दरम : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने इस मामले के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से कोई शिकायत की है, और यदि हां, तो भारत सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : स्थिति को स्पष्ट करते हुये मैं यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने केवल सूचना देने के उद्देश्य से मामले की ओर सुरक्षा परिषद् का ध्यान दिलाया । उन्होंने सुरक्षा परिषद् में इस मामले पर किसी वाद-विवाद की माँग नहीं की । परन्तु पाकिस्तान ने इस मामले को आई०सी०ए०ओ० में उठाया और हमने उसकी शिकायतों का उपयुक्त उत्तर भेज दिया ।

श्री सोमचन्द सोलंकी: इस प्रश्न का मूल-उद्देश्य सुरक्षा परिषद् के संदर्भ से है । इसलिये, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है । क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या भारत सरकार ने शरणार्थियों को बसाने तथा अवैध रूप से पाकिस्तान द्वारा भूमि हथियाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत की है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न असम्बद्ध है ।

श्री सोमचंद सोलंकी : प्रश्न का मूल भूत उद्देश्य सुरक्षा-परिषद् का संदर्भ है । अतः कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पाकिस्तान की शिकायत के सम्बन्ध में है ।

श्री सोमचन्द सोलंकी : मेरे प्रश्न में 'पाकिस्तान' शब्द आया है । मैं प्रश्न से बाहर की बातें नहीं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह प्रश्न सम्बद्ध नहीं है ।

श्री एस० ए० शमीम : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विमान अपहरण के मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाने के लिये पाकिस्तान को यह विकल्प क्यों दिया गया तथा भारत को बचाव पक्ष की स्थिति में क्यों रखा गया जबकि हमारी सरकार को सुरक्षा परिषद् में यह शिकायत करनी चाहिये थी कि हमारे विमान का अपहरण किया गया है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं फिर से दोहराता हूं कि पाकिस्तान ने यह मामला सुरक्षा परिषद् में नहीं उठाया । पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् को केवल इस मामले से सूचित कराया था । पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् से इस मामले पर न तो कोई कार्यवाही करने के लिये ही कहा और न इस पर किसी वाद-विवाद की मांग की ।

औषधालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों को 'रैबीज' के टीकों का सम्भरण

***609. श्री अजित कुमार साहा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में रैबीज के लिये इस समय उपयोग में लाये जा रहे टीके प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने औषधालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों में रैबीज के प्रभावकारी टीके देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के० किस्कु): (क), (ख) और (ग). इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों में

प्रयुक्त रैबीज वैक्सीनें गुणकारी नहीं है । गुणकारी वैक्सीन से उपचार करने के बावजूद हो सकता है कि एण्टीरबिक वैक्सीन से उपचारित लोगों में से थोड़े से लोगों को जलभीति हो जाय ।

श्री अजित कुमार साहा : क्या सरकार कोई ऐसा कानून बनाने का विचार कर रही है जिससे कि मालिकों के लिये यह आवश्यक हो जाय कि वे प्रत्येक छः महीने में अपने कुत्तों को टीका लगवा लें ?

श्री ए०के० किस्कु : इस समय ऐसा कोई कानून विचाराधीन नहीं है क्योंकि वे बीज तथा हाइड्रोफोबिया के मामलों का विद्यमान टीकों से तथा देश में चिकित्सा सुविधाओं से प्रभावकारी उपचार किया जाता है । इसी लिये ऐसा प्रश्न सामने नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : हाल ही में 'स्टेट्समैन' में इस सम्बन्ध के बहुत से लेख प्रकाशित हुये हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : In view of the fact that the cases of dog bite are not proptly and properly treated, do the Government propose to take steps forgetting rid of the increasing number of stray dogs ? People may keep pet dogs tethered but not so with the stray dogs whose number is very large.

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Umashankar Dikshit) : In every state of the country, Municipalities have provided such an arrangement. As regards the question of treatment, there is adequate facility of rabies vacine in hospitals for those who go there for a Cure. It is ineffective only in those cases which do not reach the hospitals wherever it used it is proves effective upto 99 per cent. Municipalities have made such an arrangement and therefore we need not have any further laws in this regard.

श्री निम्बाल्कर : क्या सरकार को पता है कि अमरीका ने एक ऐसा टीका बनाया है जिसका एक इन्जैक्शन रोगी को आजीवन रोग मुक्त रखता है ? हमारे यहां इस समय 14 इन्जैक्शन लगाये जाते हैं । क्या अमरीका से उस प्रकार की वैक्सीन मंगाने की कोई योजना है ?

श्री ए०के० किस्कु : हमें उसका पता नहीं है ।

Shri Paripoornanand Painuli : May I know whether any comprehensive survey as against her of stray cases has been conducted this year in regard to cases of mad dog bites since such cases have occured on a large scale in certain pockets. It so, what have been the results there of ?

Shri Umashanker Dikshit : We are rot aware of such cases on a large scale.

श्री नवल किशोर सिंह : कुत्तों के काटने के मामलों में उपचार के लिये क्या स्वास्थ्य केन्द्रों को पर्याप्त औषधियां दी जाती हैं ? जहां तक मुझे पता है इन केन्द्रों को पर्याप्त औषधियां सप्लाई नहीं की जाती हैं ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को ऐसी औषधियाँ सप्लाई करना संभव नहीं हैं । ये इतनी अधिक प्रचलित भी नहीं हैं । प्रतिवर्ष लगभग ढाई लाख मामलों में उपचार किया जाता है । यदि व्यापक पैमाने पर फैलने की सूचना मिलेगी तो उसकी ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा ।

AYURVEDIC UNIVERSITIES IN THE COUNTRY

***610. Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be **pleased to state** :

(a) whether Government have any proposal under consideration to set up Ayurvedic

Universities in the country ;

(b) if so, the names of the States where the said universities would be set up;

(c) whether it is also a fact that a survey of Garhwal district in Uttar Pradesh can lead to the discovery of a large number of herbs;

(d) if so, whether Government propose to set up an Ayurvedic University in Garhwal; and

(e) if not, the reasons therefor ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० डी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). देश में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में भारत सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ग) सर्वेक्षण का काम हो रहा है ।

(घ) और (ङ): औषध पादपों के सर्वेक्षण के लिए रानीखेत में एक एकक स्थापित किया गया है ताकि जड़ी-बूटियों का पता लगाया जा सके । इस सीमित कार्य के लिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

Shri Pratap Singr Negi : In view of large requirement of herbs, in the country, is any survey being carried out in Garhwal ?

श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय : हमें इस बात की जानकारी है कि रानीखेत में जड़ी बूटियां बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं । वहां पहले ही से कार्य चल रहा है ।

Shri Pratap Singh Negi : I had asked about Garhwal and you have said about Rani-Khet, May 1 know, whether the staff at Ranikhet is conducting research work at Garhwal also ?

श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय : वहां हमारी दो यूनिट हैं, एक हरिद्वार में और दूसरी रानी-खेत में । हरिद्वार में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । रानीखेत में कार्य चल रहा है ।

Shri Pratap Singh Negi : I had asked the hon. Minister regarding Garhwal but he has replied regarding Saharanpur and Almora district.

The Minister of Works & Housing and Health & Family Planning (Shri Umashanker Dikshit) : The survey team is broad based. There is no question of Hardwar or Ranikhet or any other city in that Area. The work is in progress there. Survey team would be sent wherever it is considered necessary. Survey work on large scale, specially in Himachal region, is about to start and Garhwal may be considered included in that.

Shri Paripurnanand Painuli : I would like to know from the hon. Minister the names of the herbs available as referred to in Part (c) of the question, and the amount of foreign exchange earned from the export of these herbs.

Shri Umashanker Dhiksit : I require notice for this.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर डिवीजन में एच० एस० 748 विमान की तरह के सैनिक मालवाहक विमान का निर्माण

***613. श्री भानसिंह भौरा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में एच० एस० 748 विमान की तरह का सैनिक मालवाहक विमान बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षामन्त्री (श्री जगजीवन राम) (क) और (ख) : जी हाँ। हाकर सिडली लिमिटेड एच० एस० 748 विमान को सैनिक मालवाही जहाज के रूप में बदलने के लिए उसमें सुधार ला रही है। किन्तु इस प्रकार के विमान के निर्माण करने का निर्णय उसके अधिरूप की जांच करने के बाद ही हो सकेगा।

श्री भानसिंह भौरा : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री जगजीवन राम : इसका मूलरूप अगले दो महीनों में उपलब्ध हो जाने की संभावना है और जनवरी 1972 तक उसका परीक्षण कार्य पूरा हो जायेगा, उसके पश्चात निर्माण का प्रश्न उठेगा।

श्री वी० एन० पी० सिंह : क्या यह मालवाही विमान लद्दाख तथा नेफा जैसे बहुत ऊंचाई वाले अग्रिम क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम हो सकेगा ?

श्री जगजीवन राम : उसके मूलरूप के परीक्षण के पश्चात ही यह प्रमाणित हो सकेगा। उस उद्देश्य के लिए एक विमान बनाने का विचार है।

ग्रामीण क्षेत्र में नये मैडिकल कालेज खोलना

*613 **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी शिक्षा वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 8 मेडीकल कालेज खोलने का है।

(ख) क्या उन राज्यों और केन्द्रों के बारे में जहां ये मेडीकल कालेज स्थापित किये जायेंगे अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) इन कालेजों को आरम्भ करने में कुछ कितनी लागत आयेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) स्थिति यह है कि चौथी योजना अवधि में ग्रामीण अथवा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में दस मेडीकल कालेज खोलने के लिए राज्य सरकारों के सामने जो प्रस्ताव रखा गया था उनमें से दो मेडीकल कालेज पश्चिम बंगाल में और एक महाराष्ट्र में पहले ही खुल चुके हैं। दो और मेडीकल कालेज, एक उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में, इस साल खुल जाने की सम्भावना है। उत्तर प्रदेश में एक दूसरे मेडीकल कालेज का निर्माण कार्य चल रहा है। शेष चार मेडीकल कालेज खुलन बाकी हैं।

(ख) जो मेडीकल कालेज खुल चुके हैं वे पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और वर्दवान में तथा महाराष्ट्र के सेवा-ग्राम में स्थित हैं। इस साल खुलने वाले दो मेडीकल कालेज उत्तर प्रदेश में झांसी में और बिहार में भागलपुर में खोले जायेंगे। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक और मेडीकल कालेज का निर्माण कार्य चल रहा है। हरियाणा में मेडीकल कालेज, करनाल में खोलने का प्रस्ताव है। शेष तीन मेडीकल कालेज कहाँ कहां खोले जायेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है।

(ग) चौथी योजना में नये मेडीकल कालेज खोलने की योजना राज्य क्षेत्र की योजना है।

अत: अपनी अपनी राज्य योजनाओं में धन की व्यवस्था करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है ।

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वार्षिक 100 सीटों के साथ-साथ अन्तरंग पलंगों वाले शिक्षण अस्पतालों के पूरे समूह और अन्य आवश्यक सामग्री वाले एक नये मेडीकल कालेज को खोलने पर मोटे तौर पर लगभग तीन करोड़ रुपये का खर्च आता है । तथापि यह रकम कम ज्यादा हो सकती है क्योंकि यह स्थानीय हालातों और इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर आस-पास में अपेक्षित पलंगों वाले अस्पताल जिनका कि शिक्षण अस्पताल के रूप में उपयोग किया जा सके, उपलब्ध हैं या नहीं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is there any proposal before the Government for taking over Bara Hindu Rao Hospital for converting the same in to a Medical college.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न राज्यों में मेडीकल कालेज खोलने के बारे में है

डा० जीवराज मेहता : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समय-समय पर खोले जाने वाले नये मेडीकल कालेजों में पर्याप्त प्रशिक्षत शिक्षक रखने के लिए कोई व्यवस्था की गई है जो शिक्षक वहां उपलब्ध हैं उनसे स्थिति सन्तोषजनक नहीं प्रतीत होती और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के जो विभिन्न कालेजों से विशेषज्ञ निकलते हैं उनकी योग्यता सन्तोषजनक नहीं है। ऐसे आरोप को न्यायोचित ठहराने के लिए किसी ठोस प्रमाण की आवश्यकता है । मैं उनकी इस बात सहमत नहीं ।

श्री शंकरराव सावन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सेवाग्राम के लिए होस्टल की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मुझे इस बारे में जानकारी नहीं कि यह निर्माणाधीन है भी अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में 8 मेडीकल कालेज खोलने के बारे में है किन्तु आप सब लोगों की रूचि अन्य स्थानों में खोले जाने वाले कालेजों के बारे में है । मुझे खेद है आपका प्रश्न संगत नहीं ।

श्री जे० जे० देसाई : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेडीकल कालेज में दाखिला प्राप्त करने हेतु 40,000 रुपया तक दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है माननीय सदस्य का प्रश्न भी संगत नहीं है । प्रश्न 8 मेडीकल कालेजों को खोलने के बारे में है नाकि अन्य कालेजों के दाखिले के बारे में ।

श्री के० सूयंनारायण : मन्त्री महोदय के उत्तर के अनुसार उन्होंने 63 करोड़ रुपये की राशि में से 2.53 करोड़ रुपये नये मेडीकल कालेजों के लिए खर्च किये हैं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया गया, अनुपातिक व्यय कितना है ?

दूसरा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 मैडीकल कालेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया था । उनका कहना है कि वह ग्रामीण क्षेत्र में 50 लाख लोगों के पीछे एक मेडीकल कालेज खोलेंगे और योजना के अनुरूप वह कालेज बना भी रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब 50 लाख लोगों के पीछे एक मेडीकल कालेज होगा ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : यही कसौटी हमने निर्धारित की थी किन्तु कुछ स्थानों पर जैसे दक्षिण में इस जनसंख्या के आधार से अधिक कालेज हैं और कुछ स्थानों में कम है। यह दस कालेज मुख्यतः ग्रामीण अथवा अर्धग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए होंगे। राज्य सरकारों को ब्लाक अनुदान दिया जा रहा है और स्थान का चयन तथा उन पर धन व्यय करना राज्य सरकार का काम है। उल्लिखित धन इन्ही कालेजों के लिए है।

भारत में चल रही विदेशी औषधि फर्मों के कार्यों के संचालन का अध्ययन

*620 **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही विदेशी औषधि फर्मों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये अध्ययन के निष्कर्ष उपलब्ध हैं।

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं ? बड़े आश्चर्य की बात है। माननीय सदस्य ने इसे स्वीकार कर लिया है। अगला प्रश्न श्री ज्योतिर्मय बसु।

भारत में औषधि-निर्माण एककों की संख्या

*621 **श्री ज्योतिर्मयबसु** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में औषधि-निर्माण एककों की इस समय संख्या क्या है।

(ख) उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ;

(ग) भारत में विदेश-नियन्त्रित एककों की संख्या क्या है और उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान में कुल लाभ में से विदेश-नियन्त्रित एककों का भाग वर्ष-वार क्या रहा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विभिन्न राज्यों में ड्रग्ज एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट के अन्तर्गत 1 जून, 1970 तक 2858 एककों, जिनमें होम्यो-पैथिक दवाइयों के निर्माता शामिल हैं, को लाइसेन्स दिये गये थे।

(ख) गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार लगभग दो सौ करोड़ रुपये।

(ग) इस अनुमान से कि विदेश नियन्त्रित एककों से तात्पर्य 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्थ पूंजी वाले एककों से है, तो ऐसे एककों की संख्या 35 है। बड़े तथा मध्यम पैमाने के क्षेत्र के एककों जिनकी संख्या 23 है, का भूमि तथा भवनों और सन्यन्त्र तथा मशीनरी में लगभग 33 से

34 करोड़ रुपये का कुल पूंजीगत निवेश है ।

(घ) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इस उद्योग में आरम्भ से ही विदेशी फर्मों का प्रभुत्व रहा है । केवल 93 बड़ी फर्में हैं (जिनमें 11 सरकारी सयंत्र शामिल हैं) जिनमें से 28 फर्में, जिनका उत्पादन तैयार औषधियों की कुल कीमत का 2/5 वाँ हिस्सा है तथा जिनके अधीन कुल श्रमिकों का 1/10 वां हिस्सा है, विदेशी नियंत्रण में है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या औषधि उद्योग के 92 प्रतिशत पर विदेशी स्वामित्व है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पेटंटों के 89.31 प्रतिशत के स्वामी विदेशी लोग हैं ?

क्या यह भी सच है कि जीवाणुनाशक औषधियां भारत में सबसे अधिक मंहगी है तथा यहां अमरीकी औषधियों की कीमत वहां की बाजार कीमतों से लगभग 5/71 गुणा अधिक ली जाती है । सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है तथा तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : जैसा कि उत्तर के मुख्य भाग में बताया गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाले एककों की संख्या 35 है । जहाँ तक इन औषधियों की कीमतों का सम्बन्ध है इन्हें औषधि नियन्त्रण आदेश 1970 द्वारा नियन्त्रित किया जाता हैं और नियन्त्रण आदेश अमल में लाया जा रहा है । कुछ औषधियों की बाजार में कमी भी है ।

श्री ज्योतिमय बसु: 89.31 प्रतिशत पेटंटों पर विदेशी स्वामित्व है । मैंने आपसे यह पूछा था कि आप इस प्रतिशतता में कमी करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं । आप कृपया इसका उत्तर दीजिये ।

श्री पी० सी० सेठी : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है । कृपया इसके लिए नोटिस दीजिये ।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या यह सच है कि विदेशियों को अपने देश में इन आविकारों को पेटंट नहीं दिया जाता जबकि उन्हें यहाँ पेटन्ट दिया जाता है । एक ही औषधि इस अलग-अलग मूल्यों पर दस अलग-अलग नामों से बेची जाती है । इस अनाचार को रोकने तथा उपभोक्ता को सही चीज दिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मैं डा० चन्द्रशेखर के दिसम्बर 1969 में चण्डीगढ़ में दिए गये वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं और जानना चाहता हूँ कि सरकार औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : आप विभिन्न प्रश्नों को एक ही प्रश्न में समेटने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिमय बसु : यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं ।

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक पेटंटों का सम्बन्ध है इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए । किन्तु जहां तक औषधि उद्योग के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या देश में बेची जाने वाली जीवाणुनाशक औषधियों के अधिकांश

भाग का निर्माण इन 35 विदेशी एककों, जिनका उल्लेख माननीय मन्त्री ने किया है, के हाथ में है ? यदि हां तो क्या जीवाणुनाशक औषधियों की ऊंची वर्तमान कीमतों के अधिक होने का क्या यही मुख्य कारण है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहाँ तक जीवाणुनाशक औषधियों का सम्बन्ध है । वे भी नियन्त्रण आदेश के अधीन नियन्त्रित रहती है किन्तु जहां तक इनके उत्पादन का सम्बन्ध है सरकार एच० ए० एल तथा आई० डी० पी० एल द्वारा काफी मात्रा में किए जा रहे उत्पादन के माध्यम से अपना बाजार बना रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस देश में बनाई तथा बेची जाने वाली जीवाणुनाशक औषधियों का बहुत बड़ा भाग इन 35 विदेशी फर्मों के हाथ में है ।

श्री पी० सी० सेठी : जी हां ।

विशाखापटनम में गैर सरकारी क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरक परियोजना

***625 श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम में गैर सरकार क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरक परियोजना की स्थापना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा तथा उत्पादन के लिए यह परियोजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) : सरकार ने मैसर्स आयीडैन्टल पैट्रोलियम कारपोरेशन (यू एस ए) द्वारा विशाखापटनम में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया था । इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा इसे समाप्त समझा गया है । सरकार ने विशाखापटनम में मैसर्स कारोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि० की विस्तार प्रायोजना (दो चरणों में) का भी सिद्धान्त रूप में अनुमोदन किया गया है तथा 14—1—1971 को एक औद्योगिक लाइसेंस भी स्वीकार किया गया था । विस्तार के इस चरण को कार्यान्वित करने के लिए 6 मास के भीतर प्रभावकारी कदम उठाने पड़ेंगे तथा लाइसेंस जारी करने की तारीख से 27 महीनों में विस्तार कार्य को पूरा करना पड़ेगा । दूसरे चरण की स्वीकृति का प्रश्न तथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित औद्योगिक लाइसेंस देने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : उर्वरकों की कमी, उर्वरकों के उत्पादकों से की गई अधिक मांग और और उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस मामले मे शीघ्रता लायेगी ।

श्री पी०सी० सेठी : जहां तक उर्वरकों के लिए लाइसेंस देने का सम्बन्ध है यह कम्पनी इस दिशा में आगे कार्यवाई नहीं कर सकती क्योंकि वे ऐसी वस्तु का आयात करना चाहते हैं जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती । उदाहरणत: वे यूरिया और फोस्फोरिक एसिड का आयात करना चाहते हैं । जिसके आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती है और परिणाम स्वरूप लाइसेंस के लिए उनका प्रार्थनापत्र रद्द कर दिया गया है ।

उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिए हम कोयले पर आधारित अन्य परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसीलिये आन्ध्र प्रदेश में रामागुडम परियोजना का कार्य आरम्भ किया गया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्योंकि माननीय मंत्री ने रामागुडम परियोजना का उल्लेख किया है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि रामागुडम परियोजना में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री पी०सी० सेठी : परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। हम विदेशों से सहयोग और बातचीत कर रहे हैं तथा इसमें 1974 में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

Shri Nathuram : May I know whether it is correct that there is a scheme of esteblish three fertilizer plants? If so, when the coal based plant of Korba is likely to start its production.

Mr. Speaker : It is about Vishakhapatnam.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या लाइसेंस देते समय सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच अस्वस्थ प्रतियोगिता न होने देने का ध्यान रखा है जिससे निजी क्षेत्र का कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स ऐसे उर्वरक का उत्पादन न करें (जिसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है और इस प्रकार उससे प्रतियोगिता न हो।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय सदस्य अपने आप कारण बताते हैं और फिर माननीय मंत्री के विचार जानना चाहते हैं। प्रश्न पूछने से पहले वे कृपया नियमों को देखें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारखाने के विस्तार की अनुमति दे दी गई है या नहीं।

श्री पी०सी० सेठी : क्योंकि देश में उर्वरकों की कमी है इसलिए अस्वस्थ प्रतियोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : मंत्री महोदय ने रामागुडम उर्वरक कारखाने का जिक्र किया है मूलतः कोठागुडम में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की योजना थी तथा 20 साल तक यह बात रही पर बाद में इसे रामागुडम स्थानान्तरित कर दिया गया। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या कोठागुडम में कोयले पर आधारित अन्य उर्वरक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में कोयला उपलब्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री संजीवी रांव : आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में उर्वरकों की अत्यधिक माँग को देखते हुए तथा अमरीकी फर्म के वहां कारखाना स्थापित करने से मना करने के कारण क्या सरकार किसी वैसी ही फर्म को लाइसेंस देने का विचार कर रही है ?

श्री पी०सी० सेठी : इस कम्पनी के यूरिया और फासफोरिक एसिड समूह के पदार्थों का उत्पादन करने वाले विस्तार के प्रथम चरण की स्वीकृति दे दी गई है तथा विस्तार का दूसरा चरण भी विचाराधीन है।

टर्की के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

* 627 **श्री कृष्ण चन्द पांडे :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1971, में टर्की के तीन सदस्यों वाले एक प्रतिनिधि मंडल ने 8 दिन के लिये भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे का प्रयोजन क्या था और भारत सरकार के अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या थीं और इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) एक तीन सदस्यीक तुर्की समाचार पत्र प्रतिनिधिमंडल एक सप्ताह के भारत दौरे के लिए18 अप्रैल को दिल्ली पहुंचा था । किन्तु अपने देश को राजनीतिक घटनाओं के कारण जिनकी वजह से उन्हें शीघ्र तुर्की लौटना था, उन्हें भारत के अपने दौरे में कटौती करनी पड़ी ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल के दौरे का उद्देश्य भारत के विभिन्न लोगों के साथ अनौपचारिक बैठकों और चर्चाओं के जरिए भारत की घटनाओं से अपने-आप को अवगत कराना था । उनके कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री विदेश, विदेशी व्यापार और औद्योगिक विकास मंत्रालयों के सचिवों से भेंट शामिल थी । चूंकि यह समाचार-पत्र प्रतिनिधिमंडल था, इसलिए कोई सरकारी वार्ता निर्धारित नहीं की गई थी । यद्यपि प्रतिनिधिमंडल को अपनी यात्रा में कटौती करनी पड़ी थी, फिर भी प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट की थी । द्विपक्षीय संबंधों तथा सामान्य हित के कुछ मामलों पर चर्चा हुई थी ।

Shri K.C. Pandey : What benefit the country gets from these delegations, which invits this country ?

Shri Surendrapal Singh : It is a very common that this exchange of delegations increases friendly relations between both the countries. That is why foreign delegations are called here.

Shri K.C. Pandey : May I know. Whether these delegations, which go to foreign countries to give any idea of the social and economic situation of the country to the Governments of inviting countries. If so, to what extent they are impressed.

Mr. Speaker : The Hon. member asked about the delegation of Turkey. It is not permissible to ask opinion in the question. A minister cannot remian with the delegation for all the time.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hon. Minister just said that the delegation of Turkey went back to its country due to the occurance of certain incidents in their own country. May I know whether his attention has been drawn towards the reports of the newspapers of Turkey aud Pakisktan that the Turkey delegation went back earlier then sheduled to express its resentment against the policy adopted by Indla regarding Bangla Desh ?

Shri Surendra Pal Singh : This might be the view of Pakistan. The Pakistani newspapers might have given such news. But the Turkeys delegation nowhere said that our defactive from India is due to Bangla Desh. They went because of certain happenings in their own country.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether on any occassion they said that they are going back due to certain happening in their own country ?

Shri Surendra Pal Singh : They have told us that there have been such incidents in their own country that their departure is necessary and, therefore, they are going back.

Shri N.K. Sharma : May I know whether the Turkeys delegation had some discussion with the Government of India about Bangla Desh, if so, what was their reaction in this

regard.

Shri Surendra Pal Singh : This delegation was a unofficial one. They never had any discussion about Bangla Desh with the Government of India. After reaching here they met some officials, and during those meetings they certainly have some talks about the relations of both the countries. It is difficult for me to tell whether this question was put before them or not.

Adulteration of Petrol With Kerosene Oil

*630. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be please to state :

(a) whether Kerosene Oil is mixed with petrol at petrol pumps in various parts of the country, particularly in Madhya Pradesh;

(b) whether motor-vehicles suffer from many defects on account of adulteration of petrol with kerosene oil; and

(c) the measures being taken by Government to check such adulteration ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : On a previous occassion this question came before Lok Sabha and at that time the Hon. Minister of state admitted that they have received certain such informations that kerosene oil is mixed with petrol on petrol pumps. When one minister accepts and the other do not, then the question arises, whether they do not have any coordination among themselves and the answer has not been given after consulting each other ? This sort of things are happening throughout the country, what steps are government taking to stop this ? Whether Government have collected full information about these incidents ?

Shri P.C. Sethi : Coordination is always there. Only the hon. members has not understood it correctly. I said that kerosene is mixed with high speed oil and not with motor spirit. Some soluent are mixed with motor spirit and that is why Finance Ministry has imposed an increased duty of Rs, 800 per year on this, so that the problems of mixture is finished. It is definite that there is adu'tration in high speed oil. National Council of Applied Economics did some research in this regard and according to its information adulteration is about 25 to 30 per cent.

Shri Hukam Chand Kachwai : In those cities where petrol is brought by railways very small quantity of kerosene oil is mixed with petrol but where it is brought by motor and in the places which are very far from railway line. This practice is prevelant to a great extant. Will the Government take necessary steps to stop this and samples from the petrol pumps will be checked ?

Shri P.C. Sethi : I have already made it clear that it is not possible to mix kerosene with motor spirit because in that case it cannot be used properly. I have admitted and it is also correct that kerosene is mixed with high speed oil and efforts are being made to stop it. Chief Ministers of all the states had been asked about this. Apart from it we are thinking to do experiment in kerosene with such a soluent, so that it could be inspected on the spot. At present there are only one or two leboratories where tests could be done, therefore it is not possible to do on the spot testing. We are trying to make arrangements for on the spot testing.

Shri Hukam Chand Kachwai : I say on the basis of my knowledge that kerosene mixed petrol is sold on a large scale.

श्री के० मालन्नी : यह मिश्रण डीजल तेल में भी हो रहा है । बंगलौर और तुमकुर में

इंडियन आयल कं० का व्यापारी इसमें मिट्टी का तेल मिला रहा है। यह मिला हुआ तेल गाड़ी को खराब तो करता ही है, साथ ही धुएं से वातावरण को गंदा करता है। उसने डीजल का भाव भी बढ़ा दिया है। इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने की संभावना है ?

श्री पी०सी० सेठी : वे किसी व्यापारी का उल्लेख कर रहें हैं। यदि मुझे शिकायत भेजी जायेगी तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आपका कहना है कि पैट्रोल में मिट्टी का तेल नहीं मिलाया जा सकता। पर क्या मिट्टी के तेल में पैट्रोल मिलाया जाता है ? और उसका उपयोग हम और आप अपनी कारों में करते हैं।

श्री पी०सी० सेठी : यदि कोई चाहे तो ऐसा कर सकता है पर प्रश्न यह है कि क्या यह ठीक है। अभी तक हमें कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है क्योंकि पैट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाने पर इसका मोटर गाड़ी में बिल्कुल उपयोग नहीं किया जा सकता।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आप हमारी रक्षा करें। आपका कहना है कि तकनीकी तौर पर यह किया जा सकता है। क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं और क्या कार्यवाई की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिट्टी के तेल में पैट्रोल मिलाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका उत्तर दे चुके हैं।

भारतीय क्षेत्र से बंगला देश को पैट्रोल की तस्करी

***601 श्री एस०सी० सामन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान सेना के उपयोग के लिए भारतीय क्षेत्र से बंगला देश को पैट्रोल की तस्करी हो रही है; और

(ख) क्या सरकार इस मामले में और विशेषकर बिहार के पूर्णिया जिले में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ पैट्रोल पम्प है, जांच करेगी।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अभी तक इस प्रकार की तस्करी से संबंधित कोई सूचना अथवा उदाहरण की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस०सी० सामन्त : क्या हल्दिया से बरौनी और इलाहाबाद जानेवाली पाइप लाइन को बीच में काट कर के पैट्रोल बंगला देश भेजा गया है ?

श्री पी०सी० सेठी : यह एक बहुत लम्बी पाइप लाइन है और उसे काटने की कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस के अतिरिक्त भारतीय तेल निगम का अपना सुरक्षा बल है। फिर भी तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई हैं और हम जहां तक सम्भव है इसकी देखभाल का प्रयत्न कर रहे हैं।

Meeting of Naga Leaders with Pakistan Officers

***602. Shri G.P. Yadav :** Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the conference of 19 big leaders of rebel Nagas, Mizos, Maitrayee and Singrak Tribes, recently held in the forest of Chittagong under the auspices of several Pakistani military and civil officers, at which

a decision was taken to speed up the campaign of hostile activities in the eastern parts of India;

(b) whether Government's attention has also been drawn to the report that a strong base would be set up at Jeertham on Imphal-Silchar Road for such hostile activities and the work of supplying arms, imparting guerilla training and giving asylum would be taken up by the Pakistani Officers; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस प्रकार का एक सम्मेलन अक्टूबर 1969 में हुए जाने की सूचना है ।

(ख) जी हाँ, उक्त सम्मेलन में इन प्रस्तावों पर विचार किए जाने की सूचना हैं ।

(ग) पाकिस्तान सरकार को एक विरोध-पत्र भेजा गया है । सुरक्षा सेनाओं ने ऐहतियाती कार्रवाई भी की है ।

Shri G·P. Yadev : I would like to know the steps taken by the Central Government to curb the activities of hostile Nagas on the eastern fast of the country and in regard to Pakistan's arms aid and training to these hostiles ?

Shri Jagjivan Ram : It is a lengthy story and the House is fully aware of the happenings of Nagaland and Mizo. But after thls inbident we took certain precautions to check the return of these people and as far as our knowledge goes, these people could not return. Now the position has changed all together and it has become defficult for Pakistan to control its own people.

Shri G.P. Yadev : Whether any help is provided to Central Border Security Force or army personnals by the Nagaland Government to curb rebellion activities ?

Shri Jagjivan Ram : They work with full co-operation. It is evident from the progress of Nagaland that hostile Nagas are not getting the support of local population, which they used to get before. That is why their activities have been curbed to a greater extent and several arrests were ago made. A large number of armaments have also been seized.

श्री दशरथ देव : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि सिंगरक नाम की कोई जाति स-पूर्ण भारत वर्ष में नहीं है ?

श्री जगजीवन राम : मैं इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । इसका तो पता लगाना पड़ेगा ।

भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के बारे में जापान द्वारा समर्थन वापिस लिया जाना

***606 श्री पी० वेंकंटासुब्बया** :क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने के प्रस्ताव के बारे में जापान सरकार ने अपना समर्थन वापिस ले लिया है;

(ख) क्या जापान सरकार ने पहले इस मामले में भूटान का समर्थन करने का वचन दिया था, परन्तु सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित जापानी दूतावास के एक प्रतिनिधि को भूटान जाने की अनुमति न दिये जाने के कारण जापान को यह निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा;

(ग) क्या सरकार ने उसी समय नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के राजनयिकों को भूटान जाने की अनुमति दी थी; और

(घ) क्या इसके परिणामस्वरूप जापान और हमारे देश के राजनयिक संबंध बिगड़े हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भूटान सरकार के अनुरोध पर अमरीकी राजदूतावास के राजनयिकों को भूटान जाने की अनुमति दी गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० वेकंटासुब्बया : क्या इस घटना के बाद हाल ही में जापान सरकार द्वारा उसके दूतावास के किसी व्यक्ति को भूटान की यात्रा करने की इजाजत देने की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जी हाँ, नई दिल्ली स्थित, जापानी राजदूत द्वारा दो अप्रैल के लगभग भूटान की यात्रा करने की तक प्रार्थना प्राप्त हुई थी । इस प्रार्थना को मंजूरी के लिए भूटान सरकार को भेज दिया गया था । भूटान सरकार से उत्तर आया था कि उस विशेष समय पर तो भूटान नरेश का जापानी राजदूत से मिलना कठिन होगा, हाँ उस से कुछ ही समय बाद या दो महीने के बाद, उनकी भूटान यात्रा का स्वागत किया जा सकता है ।

मध्यपूर्व देशों से रुपये के आधार पर अशोधित तेल का आयात

***615. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** 24 मई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 13 और अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष पेट्रोलियम का कुल उत्पादन तथा आयात कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत का हुआ ;

(ख) कितने मूल्य के आयातित तेल का भुगतान रुपये में किया गया और इसका विदेशी मुद्रा में भुगतान किये गये तेल से क्या अनुपात है और मध्य पूर्व देशों से अशोधित तेल का आयात रुपये के आधार पर या किसी प्रकार के विनिमय जैसे कपड़े, इन्जीनियरिंग आदि के सामान के बदली करने के बारें में क्या प्रयास किये जा रहे है; और

(ग) तीनों विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार से अपने देशों में कुल कितनी विदेशी मुद्रा ले जाई गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी)

(क) 1968 से 1970 तक के वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कच्चे तेल के कुल वास्तविक उत्पादन तथा आयात और 1971 के दौरान अनुमानित उत्पादन तथा आयात के ब्यौरे निम्न-प्रकार है :—

मा=मात्रा मिलियन मीट्री टनों में

मू=मूल्य करोड़ रुपयों में

	देशी उत्पादन		आयात
	मा	मा	मू
1968	5.85	10 4	93.8 (सी० आई० एफ०)
1969	6.72	10.8	94.6 (सी० आई० एफ०)
1970	6.81	10.7	102.0 (सी० आई० एफ०)
1971 (अनुमानित)	7.15	12.8	118.94 (सी० आई० एफ०)

(ख) कच्चे तेल के समस्त आयात निबंध विदेशी मुद्रा पर किये जाते हैं। तथापि, वैकल्पिक संसाधनों से कच्चा तेल प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) 1969 में तीनों विदेशी तेल कम्पनियों में से प्रत्येक द्वारा भेजी गई कुल विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये में)

बर्मा शैल		एस्सो		कालटैक्स	
शोधन	विपणन	शोधन	विपणन	शोधन	विपणन
466	3810	2087	486	1288	44

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब सम्पूर्ण उत्तर आंकड़ों से ही भरा हुआ ही तो उस समय यही उचित होता है कि उत्तर एक विवरण के रूप में सभा-पटल पर रख दिया जाये ताकि हम पूरक प्रश्नों में उसका उल्लेख कर सकें। इतने आंकड़े याद रखना हमारे लिए कैसे सम्भव हो सकता है ?

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, question hour is over but the main point of the question has not been replied.

Mr. Speaher : Time and tide wait for none.

Shri Bhogendra Jha : I am not asking a new question. My question was whether any effort is being made to import crude-oil from Middle-East countries on rupee-basis or on harter system is. in exchange of textiles. engineering goods etc.

Shri P.C. Sethi : I have already stated that crude is being imported under free foreign exchange.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पहली बार हमने आधे से भी अधिक प्रश्नों पर विचार कर लिया है। माननीय सदस्यों ने जिस संयम का परिचय दिया है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

***604. श्री ए० के० गोपालन** . क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में, क्रमशः, परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार को इस प्रयोजन के लिये कोई विदेशी सहायता अथवा ऋण प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सहायता अथवा ऋण देने वाले देशों के नाम क्या हैं और उन्होंने देश-वार, कुल कितनी राशि दी है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) 1969-70 और 1970-71 में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर क्रमशः कुल 37.181 करोड़ रुपये और 47.239 करोड़ रुपये व्यय किए गए । ये आंकड़े अनन्तिम है ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से जो अनुदान प्राप्त हुए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. 8.4 करोड़ रुपये	परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रयोगात्मक और नवीकरण योजनाओं के लिए ।
2. 3.244 करोड़ रुपये	6 करोड़ रुपये के अनुदान में से गाड़ियां खरीदने के लिए ।
3. 2 करोड़ डालर	कार्यक्रम को तेज करने के लिए

इसके अतिरिक्त, अमरीकी गाड़ियों के आयातित पुर्जे खरीदने के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ 27 लाख डालर के एक ऋण का समझौता किया गया है । इसमें से 642,331 डालर की राशि के सुपुर्दगी पत्र जारी कर दिए गए हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, पिछले वर्षों में किए गए समझौतों के अनुसार अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकाश एजेन्सी तकनीकी सहायता 1969-70 और 1970-71 में मिलती रही है ।

स्वीडन (स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण) स्टाकहोम, वह अन्य देश है जिससे परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त हुई है । 1 जुलाई, 1968 को हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार, जो कि 30 जून, 1970 तक वैध था, निम्नलिखित सामग्री पूर्णतया प्राप्त हो चुकी है :—

16.49 करोड़ निरोध
250 टन आफसेट कागज
500 टन गलेज किया हुआ अखबारी कागज
एक पैकिंग मशीन
एक लाख स्वीडिश क्राउन की आकस्मिक निधि ।

पैट्रोल और डीजल तेल की उत्पादन लागत

*607. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोल और डीजल की उत्पादन लागत को छोड़कर, प्रति लिटर कितनी है;

(ख) पैट्रोल और डीजल पर क्रमशः प्रति लिटर उत्पादन शुल्क और केन्द्रीय कर कितना लगता है; और

(ग) पैट्रोल और डीजल तेल के व्यापारियों को प्रति लिटर कितना लाभ होता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जब कच्चा तेल शोधित किया जाता है, तब पैट्रोल एवं डीजल आयल का कई अन्य उत्पादों के साथ साथ उत्पादन होता है। उनके उत्पादन की प्रतिशतता में केवल एक परिष्करणशाला से दूसरी परिष्करणशाला तक ही भिन्नता नहीं होती है बल्कि कई अलग तथ्यों पर निर्भर होने के कारण, उसी एक ही परिष्करण-शाला में भी समय समय पर अन्तर होता है। अतः किसी परिष्करणशाला में प्रत्येक उत्पाद के उत्पादन की लागत का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ख) 29-5-1971 से 29.5° सी पैट्रोल एवं डीजल आयल पर कुल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निम्न प्रकार है :—

मोटर स्पिरिट 79 आन	प्रति किलो लिटर 1001.65 रुपये।
मोटर स्पिरिट 93 आन	प्रति किलो लिटर 1002.77 रुपये।
हाई स्पीड डीजल आयल	प्रति किलो लिटर 505.31 रुपये।

(ग) मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल पर व्यापारियों की आढ़त (कमीशन) क्रमशः प्रति लिटर 41.60 रुपये तथा 17.60 रुपये हैं। विक्रय, भूमिका किराया, फुटकर विक्रय केन्द्र की किस्म तथा विभिन्न अन्य स्थानीय तथ्यों पर निर्भर होने के कारण, प्रत्येक व्यापारी के शुद्ध लाभ में व्यापक अन्तर होता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक आवास का लक्ष्य

*608. **श्री एस० कतामुतु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में औद्योगिक आवास के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में (इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई) सामाजिक आवास योजनाओं, और नगर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए की गई लगभग 195 करोड़ रुपयों की प्लान व्यवस्था का कोई योजनावार ब्यौरा नहीं दिया गया है। औद्योगिक आवास, जो सामाजिक आवास योजनाओं और नगर विकास कार्यक्रमों के लिए इस समेकित व्यवस्था में शामिल है, के लिए न तो वास्तविक और न ही वित्तीय लक्ष्य पृथक पृथक निर्धारित किए गए हैं। औद्योगिक आवास आदि के लिए लक्ष्य उस व्यवस्था पर निर्भर होगें जो राज्य सरकारें वर्ष प्रति वर्ष अपने प्लान की कुल ऊपरी सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कर सकेगी।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर चौथी योजना के आरम्भ से अब तक राज्य सरकारें 24,550 मकानों का निर्माण स्वीकृत कर चुकी है।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की चल और अचल सम्पत्ति की नीलामी

*611. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की प्रैस विज्ञप्तियों की ओर दिलाय. गया है कि पाकिस्तान की 'मार्शल ला' सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हाल ही में पूर्वी बंगाल से भारत आ रहे शरणार्थियों की समस्त चल और अचल सम्पत्ति का नीलामी के द्वारा निपटारा करने के लिए अभियान आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या इससे लाखों शरणार्थियों के पूर्वी बंगाल वापस जाने की सम्भावना समाप्त हो जायेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की सम्पत्ति की नीलामी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के द्वारा क्या उपाय किए हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जब हाल में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर भारत आए, उस समय यह बात उनके ध्यान में लाई गई । राजनयिक माध्यमों से सरकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में भी यह बात ला रही है । पाकिस्तान सरकार से एक आश्वासन मांगा गया है कि शरणार्थियों की सम्पत्ति सुरक्षित रखी जाए और पूर्व बंगाल में उनके घर वापस जाने पर उन्हें लौटा दी जाए ।

*612. **श्री फूल चंद वर्मा** . क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत श्रीलंका समझौते की क्रियान्विति के बारे में अभी तक अधिक प्रगति नहीं हुई है;

(ख) समझौते के अंतर्गत श्रीलंका से अब तक कितने व्यक्ति भारत आये है; और

(ग) भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत कितने भारतमूलक व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता दी गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 1964 के भारत श्रीलंका करार के क्रियान्वयन की अवधि 15 वर्ष निर्धारित की गई थी । अनेक पूर्व प्रबंध करने की आवश्यकता के कारण 1964 के भारत श्रीलंका करार की शर्तों के आधीन वास्तविक देश प्रत्यावर्तन में कुछ देरी हुई । दोनों सरकारें अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं ।

(ख) अप्रैल 1971 के अंत तक 1964 के करार के अंतर्गत 22093 राज्यहीन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी गई एवं उन्हें भारत लौटाया गया ।

(ग) 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन अप्रैल 1971 के अंत तक 15091 राज्य-हीन व्यक्तियों को श्रीलंका के नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

विद्रोही नागाओं के विदेशों से गुप्त सम्बन्ध

* 614 **श्री के० लकप्पा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं के कुछ विदेशों के साथ गहरे गुप्त सम्बन्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ विद्रोही नागाओं के सम्बन्ध हैं; और

(ग) इन सम्बन्धों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : कुछ पथभ्रष्ट नागा पाकिस्तान और चीन से सम्पर्क बनाये हुये हैं ।

(ग) सरकार ने बहुत से अवसरों पर पाकिस्तान तथा चीन लोक गणराज्य की सरकारों से विरोध प्रकट किया है जिसमें उनसे छिपे नागाओं को सहायता न देने और हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा गया है ।

नागालैंड और मणिपुर की सरकारें तथा सुरक्षा सेनाएं सतर्क हैं । अच्छी आसूचना तथा ग्रामवासियों के सहयोग से वे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ गुप्त आवागमन को सक्रिय रूप से रोकने में समर्थ हुए हैं ।

पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों के साथ पाकिस्तान द्वारा किया गया पाश्विक बर्ताव

* **616 श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दिनांक 25 अप्रैल, 1971 के स्टेट्समेन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उन भारतीय राष्ट्रकों के साथ पाश्विक बर्ताव किया गया था जिनको पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस कारण जेलों में डाला था कि वे भटक कर पाकिस्तानी सीमा के अन्दर चले गए थे;

(ख) क्या पाकिस्तानी जेलों से छोड़े जाने के पश्चात भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों ने बताया है कि वहां पर भारतियों को भूखा भी रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार के साथ यह मामला उठाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने इस समाचार को देखा है ।

(ग) और (घ) : अखबारी रिपोर्ट में उन भारतीय राष्ट्रिक का नाम तथा अन्य ब्यौरे नहीं दिए गए है जिनके साथ पाकिस्तानी जेल में दुर्व्यवहार किया गया था । अग्रिम कार्रवाई पर विचार करने के लिये इस सूचना को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है ।

ढाका और कलकत्ता से अपने राजनयिक कर्मचारियों को अपने देश में वापिस ले जाने के सम्बन्ध ने रुस द्वारा भारत और पाकिस्तान को पेशकश

***617 श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने गत अप्रैल में भारत तथा पाकिस्तान को यह पेशकश की थी कि वह ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायोग और कलकत्ता स्थित भूतपूर्व पाकिस्तानी उप-उच्चायोग के कर्मचारियों को उनके अपने-अपने देश में वापिस ले जाने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हाँ, तो पाकिस्तान ने उसका क्या उत्तर दिया ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्दपाल सिंह) : (क) और (ख) : ढाका में भारतीय मिशन के सदस्यों के निष्क्रमण के लिए सोवियत संघ अपने वायुयान भेजने के लिए राजी हो

गया था। पाकिस्तान सरकार इस बात पर राजी हो गई, परन्तु निर्धारित तिथि यानी 5 मई, 1971 को निष्क्रमण नहीं हो सका क्योंकि अन्तिम समय में पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने कुछ अड़चनें पैदा कर दीं।

क्षेत्रीय पारपत्र केन्द्र का कार्यभार

*** 619 श्री बृज राज सिंह कोटा** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों तथा राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पारपत्र केन्द्र खोले हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ केन्द्रों में बहुत ही कम कार्य है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) (क) पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा दो क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-एक 3—10—1969 से चण्डीगढ़ में और दूसरा 21-11-1969 से गुजरात राज्य में अहमदाबाद में खोले गये हैं।

(ख) दोनों कार्यालयों में पर्याप्त कार्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Oil Refinery in Madhya Pradesh

***622. Shri G.C. Dikshit :** Will the **Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to

(a) whether Government propose to set up an oil refinery in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the time by which the aforesaid project would be taken in hand ?

The Minister of Petrolenm and Chemicals (Shri P.C. Sethi) : (a) and (b) : There is a proposal to set up an oil refinery in North West. The location and time has not yet been decided.

नेपाल को दी गई सहायता

*** 623 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नेपाल को वर्षवार कितनी सहायता दी गई; और

(ख) भारतीय सहायता से नेपाल में किन-किन परियोजनाओं को अब तक पूरा किया जा चुका है और कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में भारत नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित धनराशियां दी गई।

1968-69	10.98 करोड़ रुपये
1969-70	12.01 ,,
1970-71	9.00 ,, (लगभग)

1964 के करार के अनुसार 1 करोड़ रुपयों के औद्योगिक कर्ज में से अब तक 41.88 लाख रुपये दे दिये गये हैं।

(ख) भारत की सहायता से अब तक नेपाल में पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण अनुबन्द 'क' में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 483/71]

जो परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है उनका विवरण अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है।

योग सम्बन्धी प्रकाशन

* **624 डा० जो० एस० मेलकोटे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश और विदेश के बहुत से व्यक्तियों को योग के प्रति वास्तविक रुचि है;

(ख) क्या कुछ प्रकाशक यौगिक और तान्त्रिक क्रियाओं पर भ्रामक साहित्य प्रकाशित करके भारी धन राशि अर्जित कर रहे हैं ; और

(ग) भारत की इस प्राचीन पद्धति के मूल सिद्धान्तों के प्रकाशन के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

(ग) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद ने इस पद्धति के मौलिक सिद्धान्तों की जाँच करने के लिए कई अनुसन्धान परियोजनाएं शुरू की हैं। शिक्षा एवं समाज कल्याण (शिक्षा विभाग) की भी योग को बढ़ावा देने की एक योजना है जिसके अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर की योगिक संस्थाओं को योग सम्बन्धी अनुसन्धान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

पाकिस्तानी प्रचार के विरुद्ध भारत द्वारा की गई कार्यवाही

* **626 श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने अपने विरुद्ध भारत की युद्ध जैसी तैयारी तथा भारत के युद्धकारी रवैये के बारे में सभी देशों को सूचना दी है।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिंडी द्वारा उत्पन्न की गई गलत धारणा को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उस कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने अखबारी खबरें देखी हैं कि विदेशों में भारत विरोधी उग्र प्रचार के क्रम में पाकिस्तान सरकार अपने खिलाफ भारत की युद्ध की तैयारी के बारे में अनेक निराधार एवं अनावश्यक आरोप लगाती रही है।

(ख) और (ग) सरकार ने विदेश स्थित अपने मिशनों तथा अन्य श्रोतों के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान द्वारा ऐसे दुराग्रहवपूर्ण और निरर्थक भारत विरोधी प्रचार का उद्देश्य पूर्व बंगाल में उसके द्वारा हो रहे अत्याचारों की ओर से ध्यान हटाना है।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सहकार की सिफारिशें

***628. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या **स्वाथ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सलाहकारों ने स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के बारे में भारत सरकार को कुछ सिफारिशें भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण व और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मिशन ने जनवरी--मार्च १९६९ में भारत का दौरा किया था और उसने सामूहिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। ये आम सिफारिशें हैं और भारत सरकार का परिवार नियोजन कार्यक्रम पहले से ही इन पर आधारित है। जिन सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा आगे विशिष्ट कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उन पर जो कार्रवाई की गई है उनका विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 484/71]

शरणार्थी शिविरों का कार्यभार सेना द्वारा संभाला जाना

***629. श्री विभूति मिश्र :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मद्रास से प्रकाशित होने वाले 8 जून, 1971 'हिन्दू' दैनिक समाचार--पत्र (नगर संस्करण) में 'शरणार्थी शिविरों का पूरा कार्य--भार सम्भालने के लिए सेना का 'तैयार न होना' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके बारे में बंगाल के मुख्य मंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की थी और केन्द्रीय सरकार के साथ विचार विमर्श करके बाद असेनाध्यक्ष शरणार्थी शिविरों का कार्यभार संभालने को तैयार नहीं हुए थे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) श्रम एवं पुनर्वसि मंत्रालय शरणार्थी शिविरों की देखभाल करता है। थल सेना के द्वारा इस कार्य को लिए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। मामले के इस पहलू पर मुझे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था।

केशर का आयुर्वेदिक उपचार

2635 श्री मुहम्मद शरीफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक द्वारा केसर का उपचार करने के बारे में आयुर्वेदिक कालिज, देहरादून में किये गये अनुसधान में यह दावा किया गया था कि लाजवन्ती पौदे से तैयार की गई एक दवाई से बाहरी और आंतरिक केंसर को उचित समय में दूर किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बंगला देश के शरणार्थियों को वापस भेजने के लिये अमरीका के प्रयास

2636 श्री एम० एम० जोजफ : क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिससे कि बंगला देश से आये शरणार्थी अपने देश को लौट सकें; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका का प्रस्ताव क्या है और इस बारे में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) प्राप्त सूचना के अनुसार अमरीका सरकार इस विषय पर पाकिस्तान सरकार स सम्पर्क बनाए हुए है ।

(ख) पकिस्तान सरकार ने 21-5-71 को कहा था कि पाकिस्तान के 'वास्तविक' एवं 'कानून पालक' नागरिकों को पूर्व बंगाल वापस होने दिया जायेगा ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कच्चे पानी की दरों में वृद्धि किया जाना

2638. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के निर्माण डिवीजन संख्या 10 ने उपभोक्ताओं को बिना पूर्व सूचना दिये और बिना आपत्तियां मांगे इमारतों के क्षेत्र पर बिना कोई ध्यान दिये नई दिल्ली में सभी गैर--सहकारी कनेकशनों की वर्तमान दरों से कहीं अधिक मनमाने ढंग से कच्चे पानी के शुल्क में 24 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मई. 1971 के अंतिम सप्ताह में चाणक्यपुरी, गोल्फ लिंक, जोर बाग आदि के निवासियों और महासंघों के कोई प्रतिनिधि उन से मिले थे और रोष प्रकट किया था तथा यथापूर्व स्थिति की मांग की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का कब तक और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ०के० गुजराल) : (क) जी, हां । गैर सहकारी तथा सहकारी सभी कनेक्शनों के लिए कच्चे पानी की दरों को अनन्तिम रूप से बढ़ा दिया गया है ।

(ख) यमुना नदी से पानी के पम्प करने पर व्यय बढ़ जाने से, दरों में वृद्धि अनिवार्य हो गई, तथा इसके अतिरिक्त, साम्राग्री की कीमत और मजूदरों के वेतन में वृद्धि हुई

(ग) जी, हां ।

(घ) मामला विचारधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिये एक फोरम की स्थापना

2639 श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के लिये एक फोरम की स्थापना के बारे में 16 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 810 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर इंजीनियरों, सहायक इंजीनियरों और कार्यकारी इंजीनियरों के कल्याण कार्यों के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) वर्ष 1970 और 1971 में एसोसिएशन के प्रतिनिधि कितनी बार अपनी समस्या और कठिनाइयां सरकार के पास पेश कर सके हैं;

(ग) क्या ऐसोसिएशन से प्राप्त पत्रों के उत्तर शीघ्र नहीं भेजे जाते; और

(घ) जनवरी, 1970 से 1 मई, 1971 जूनियर ऐसोसिएशन से कितने पत्र प्राप्त हुए थे और इनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिये गये, उनमें क्या मांगे की गई थी, कितने पत्रों के उत्तर नहीं दिये गये और उत्तर न देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में, जूनियर इंजीनियरों तथा कार्यपालक इंजीनियरों आदि के लिये निम्नलिखित मान्यता प्राप्त ऐसोसिएशन है :

जूनियर इंजीनियर :

(1) ग्रेजुएट सेक्शनल आफीसर्स ऐसोसिएशन
(2) ए० एम० आई० ई० सेक्शनल आफीसर्स ऐसोसिएशन
(3) सी० पी० डब्लू० डी० सेक्शनल आफीसर्स ऐसोसिएशन ।

सहायक इंजीनियर/कार्यपालक इंजीनियर (सीधी भर्ती क्लास 11 वाले)

सेन्ट्रल इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 11 डाइरेक्टर रिक्रूट्स ऐसोसिएशन ।

सहायक इंजीनियर/कार्यपाल इंजीनियर/अधीक्षक इंजीनियर आदि :

सी० पी० डब्लू० डी० इंजीनियर ऐसोसिएशन ।

सहायक कार्यपाल इंजीनियर/कार्यपालक इंजीनियर/अधीक्षक इंजीनियर आदि : (क्लास 1 सीधी भती वाले) :

सेन्ट्रल इंजीनियरिंग सर्विस क्लास 1 डाइरेक्टर रिक्रूट्स ऐसोसिएशन ।

(ख) ऐसोसिएशनें, समय समय पर पत्रों द्वारा तथा विभिन्न स्तरों पर अपनी चर्चा में भी अपनी समस्याओं तथा कठिनाइयों को सरकार के सम्मुख रखती हैं ।

(ग) ऐसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं के प्रकार तथा उन मामलों पर जैसा विचार किया जाना अपेक्षित हैं, के अनुसार, ऐसोसिएशनों को यथासंभव शीघ्र उत्तर भेजे जाते है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर पख दी जायेगी ।

पीने के पानी में फ्लोरिडिस के कारण उपचार न किये जाने वाला लंगड़ापन

2640. श्री एच० एम० पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई है कि पीने के पानी में फ्लोरिडस की अधिक मात्राएं होने के कारण कुछ क्षेत्रों में रह रहे लोग फ्लोरिसिस नामक उपचार न किये जाने वाले लंगडेपन के रोग से पीड़ित है;

(ग) यदि हां तो शिकायत की मुख्य बाते क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हा, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले और उक्त रोग का उपचार करने के लिये सरकार राज्य सरकारों को क्या सहायता देगी या सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) (क) **और** (ख) : इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है; परन्तु मालूम हुआ है कि भारत के कुछ भागों में पीने के पानी में फ्लोराइड तत्व अधिक है और इसके कारण फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो सकती हैं। मनुष्यों में कुदरती जोर्ण फ्ल्योराइन विष के जो निश्चित लक्षण हो सकते हैं वे हैं दान्तों और शारीरिक ढांचे में अभिलक्षक परिवर्तन; दान्तों के मामले में दन्तवल्क उतर जाता है। शारीरिक ढांचे के फ्ल्योरोसिस के विशेष लक्षण ये हैं कि पीठ जकड़ जाती है और सहज इल चल करने, जैसे गर्दन मोड़ने और फर्श पर बैठने, में कठिनाई होती है। छाती की गतिशीलता समाप्त हो जाती है और साँस पेट से ली जाने लगती है। प्रायः शरीर विरुप हो जाता है। रोगी सारे शरीर में चलता दर्द और अग्रांगों में जलन की शिकायत करने लगते हैं ।

(ग) सरकार ने तो कोई अध्ययन नहीं किया है, अलबत्ते भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नागपुर स्थित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी अनुसंधान यूनिट ने क्रमशः पंजाब और आन्ध्र प्रदेश मे अध्ययन जरुर किये हैं ।

(घ) इस अध्ययन से पता चला है कि पानी फ्लोराइड तत्व में वृद्धि के साथ-साथ आमतौर पर शारीरिक ढांचे के फ्लोरोसिस की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। किन्तु यह सिद्धांत सर्वत्र लागू नहीं होता था। शारीरिक ढांचे के फ्लोरोसिस की घटनाएं कठिन शारीरिक श्रम करने वाले निर्धन लोगों में अधिक पाई गई। यह पुरुषों में और वह भी अपेक्षाकृत अधिकआयु वर्ग के लोगों में पाया गया यह भी देखा गया कि जब रोगियों को फ्लोराइड के अधिक तत्व वाले पानी की जगह फ्लोराइड के कम तत्व वाला पानी दिया गया तो उनको तंत्रिकाओं सम्बन्धी गड़बड़ियो में सुधार होता पाया गया।

इस रोग की रोकथाम के लिए किसी भी राज्य सरकार ने भारत सरकार से सहायता नहीं मांगी है ।

बिहार स्थित सिंदरी फर्टीलाईजर्स में बोनस अधिनियम का लागू किया जाना :

2641. श्री सरोज मुखर्जी :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सिंदरी फर्टीलाइजर्स बिहार में बोनस अधिनियम लागू किया गया है : और

(ख) यदि नहीं, तो उसकी क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंदरी फर्टीलाइजर्स द्वारा भारी रसायन और उर्वरक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाना

***2642. श्री अजित कुमार साहा :** क्या **पैट्रोलियम और** रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी फर्टीलायजर्स ने भारी रसायन और उर्वरक मूजरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये सिफारिशें कब तक क्रियान्वित की जायेंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) :(क) और (ख): भारी रसायन और उर्वरक मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को सिन्दरी कारखाने में क्रियान्वित नहीं किया गया है क्योंकि कर्मकार इसकी क्रियान्विति के विरुद्ध थे । ऐसे विरोध का कारण यह था कि मूजरी बार्ड द्वारा प्रस्तुत वेतनमान तथा नये वेतनमानों में निर्धारण का सूत्र उर्वरक निगम के वर्तमान वेतनमानों की तुलना में कम आकर्षक थे । अत: निगम के सिन्दरी कारखाने की मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ अलग से एक समझौता कर लिया था जिसके अन्तर्गत वर्तमान वेतनमानों का जारी रखना और, यदि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नियुक्त तीसरे वेतन आयोग ने ऐसा किया, तो वर्तमान वेतनमानों में संशोधन करना माना गया था ।

Violation of Rules and Regulations by Manufacturers of Soft Drinks

2643. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the Nav Bharat Times of 18th May, 1971 that a poisonous dead worm was found in a sealed bottle containing soft-drinks purchased from a shop situated in Prem Nagar Market, Faridabad; and

(b) the action proposed to be taken by Government to improve the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D.P. Chattopadhyaya) : (a) Yes, Sir.

(b) The provisions of the Prevention of Food Adulteration Act have alreaedy been made more stringent and the States asked to ensure proper enforcement of the Act. The State Governments are again being addressed for stricter enforcement of the Act.

A Central Unit has been set up to check the menace of food adulteration along with the State Health Authorities concerned.

It has also been reported that the Government of Haryana are also seriously considering the establishment of a separate cell in their Directorate of Health Services to implement the Prevention of Food Adulteration Act more rigidly.

पश्चिम बंगाल में रासायनिक उर्वरक कारखानों का विस्तार करने के लिए आवेदन

2645. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रासायनिक उर्वरक कारखानों का विस्तार करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र सरकार के पास पड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कम्पनियों को इसकी अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) : (क) पश्चिम बंगाल में उर्वकर कारखानों के विस्तार के लिए कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में सुविधाओं की व्यवस्था

2646. श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था कि चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की योजना बनाते समय जिन सुविधायों की व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया था उनकी व्यवस्था नहीं की गई थी और अनेक कमियों को दूर किया जाना बाकी रह गया था;

(ख) क्या चंडीगढ़ प्रशासन को इस बात के निदेश दिये गये कि वह इस बारे में जांच करे और त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से पूरा सर्वेक्षण करें; और

(ग) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो क्या ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं

(ग) जो भी त्रुटियां प्रकाश में आई हैं, उन पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ध्यान दिया गया है ।

चंडीगढ़ में कम आय वाले वर्गों के लिये सस्ते मकानों की योजना

2647. श्री अमरनाथ विद्यालंकार क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में कम आय वाले वर्गों के लिये सस्ते मकानों की व्यवस्था करने सम्बन्धी एक योजना का प्रस्ताव चंडीगढ़ सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था;

(ख) क्या उसके बारे में कोई निर्णय किया गया है क्या उक्त योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) क्या चंडीगढ़ के वर्तमान बजट में कम आय वाले वर्गों के कम ब्याज की दर पर मकान बनाने के लिये ऋण देने की व्यवस्था की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) तथा (ख) जी, हाँ । धोबियों, मालियों, मार्जकों, मोचियों और घरेलू नौकरों आदि के लिए सस्ते मकानों के

निर्माण के लिए चंडीगढ़ प्रशासन का एक प्रस्ताव है। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(ग) निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत चंडीगढ़ में प्लाट-होल्डरों को ऋण देने के लिए, 1.50 लाख रुपये (प्लान) की राशि तथा 25 लाख रुपये की (नान-प्लान) अन्य राशि की व्यवस्था की गई है।

बंगला देश में हो रही घटनाओं के बारे में एशिया, अफ्रीका, लीबिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ भारत का सम्पर्क

*2648. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगला देश में हो रही घटनाओं के बारे में एशिया, अफ्रीका, लीबिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ सम्पर्क बनाये हुये है; और

(ख) यदि हाँ तो उक्त घटनाओं के प्रति इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अनेक देशो ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वे बलप्रयोग रोकने तथा राजनीतिक हल निकालने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं।

विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली को आवंटित प्लाट

*2649. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में विश्व युवक केन्द्र को प्लाट आवंटित किया था;

(ख) आवंटित किये गये प्लाट का बाजार मूल्य क्या है और सरकार ने विश्व युवक केन्द्र से उसकी कितनी कीमत वसूल की; और

(ग) न्याय की ओर से प्लाट के पट्टा करार पर किसने हस्ताक्षर किये ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : (क) वर्ल्ड असम्बली आफ यूथ इण्डिया, यूथ सेंटर ट्रस्ट, नई दिल्ली को वर्ल्ड असम्बली आफ यूथ इन्टरनेशनल हाऊस के भवन के निर्माण के लिये, भूमि का एक प्लाट आवंटित किया गया था।

(ख) 1962 में, क्षेत्र में, भूमि की व्यापारिक दर 4,15,126.80 रुपये प्रति एकड़ थी। पात्र सांस्कृतिक संगठन होने के नाते, ट्रस्ट से 36,000 रुपये प्रति एकड़ की रियायती दर परीमियम के रूप में व उसका 5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराये के रूप में उसूल की गई।

(ग) वर्ल्ड असम्बली आफ यूथ के महासचिव, श्री पी०टी० कुरियाकोज ने पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किये।

भारत अमरीका वार्ता

2650. **श्री एस०एम० कृष्ण :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत अमरीका की द्विपक्षीय वार्ता को जो दिसम्बर 1970 में होने वाली थी क्या उसे

अभी तक स्थगित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह वार्ता आखिर कब होगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और अमरीका की सरकारें जनवरी 1971 के अंत में बातचीत करने के अस्थायी कार्यक्रम को भारत में होने वाले चुनावों के बाद दोनों के लिए अनुकूल समय तक के लिए मुल्तवी करने पर राजी हो गई थी।

(ग) बातचीत के लिए अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है परन्तु इस वर्ष के अंत तक होने की सम्भावना है।

Expenditure On Maintenance of P.M.'s and Ministers' Bungalows

2651. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred by the Central Government on the maintenance of bungalows of the Central Ministers including the Prime Minister and on furniture provided therein since the 1st December, 1970-to-date ; and

(b) the total provision made under this head for the financial year 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Rs. 7,37,257/-.

(b) Rs. 13,16,737/-.

तमिल नाडु में केन्द्रीय सरकार की इमारत पर निगम कर का भुगतान

2652 श्री सी० चित्ति बाबू : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार, राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार की इमारत पर सेवा चार्ज के रूप में निगम कर की बकाया राशि का भुगतान करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से काफी लम्बे समय से अनुरोध कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त करों का भुगतान बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली निगम को कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तमिलनाडु सरकार, निगम और नगर पालिका द्वारा अनेक स्मरण पत्र दिये जाने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार करों के भुगतान के मामले में उपेक्षा कर कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मद्रास निगम की कुल बकाया धनराशि कितनी है और इसका निबटारा कब तक किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नलकूपों के निर्माण के लिए त्रिपुरा को सहायता

2653 श्री बीरेन दत्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के बड़ी संख्या में आ जाने के कारण कुंजाबाओं क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था खराब हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिपुरा सरकार को आयात स्थिति के आधार पर नलकूपों के निर्माण के लिए सहायता देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Visit by Indian Citizens to Pakistan

2654. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian citizens who went to Pakistan temporarily between the period January, 1970 to April, 1971 ;

(b) the number of Indian citizens, who came to India to see their families ;

(c) the number of citizens who have not come back even after the expiry of their passports ; and

(d) the number of citizens who have come to India temporarily but have not gone back ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d) : Information is not readily available but efforts are being made to collect it.

नेशनल केडट कोर के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को दिये गये लाभ

2655. **श्री पी० आर० दास मुन्शी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों में नेशनल केडट कोर के 'बी' अथवा 'सी' प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले केडटों के शैक्षिक व्यय की व्यवस्था हेतु कुछ एकमुश्त अनुदान देने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या रक्षा मन्त्रालय नेशनल केडट कोर से प्रशिक्षण प्राप्त केडटों के लिए थल सेना और वायु सेना के कमीशन प्राप्त और गैर कमीशन रैंकों में आरक्षित स्थानों में से कुछ स्थान आरक्षित करेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी नहीं ·

(ख) थल सेना एवं नौसेना में कमीशन के लिए क्रमश: 30 एवं 6 जगहें राष्ट्रीय केडेट कोर प्रशिक्षण केडटों के लिए सुरक्षित रहती है । वायुसेना में कमीशन एवं नान कमीशन दोनों ही रैंकों के लिए एवं थल सेना और नौसेना में नान-कमीशन्ड रैंकों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के लिए सुरक्षित जगहें नहीं हैं परन्तु राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्राप्त प्रशिक्षण के कारण काफी संख्या में उनकी नियुक्ति इन काडरों में हो जाती है ।

पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित कार्यक्रम

2656. **श्री पी० आर० दास मुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत परिचय बंगाल के सी० एम० डी० ए० से सम्बन्धित कोई विशेष कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सलाह-मशवरा कर कलकत्ता महानगर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। विभिन्न विकास क्षेत्रों की लगभग 90 योजनायें चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं जिनकी लागत लगभग 145 करोड़ रुपये हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों तथा चौथी योजना का क्षेत्रवार आवंटन दर्शाते हुये एक विवरण संलग्न है। ये योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

इन योजनाओं के समुचित समन्वयन तथा कारगर कार्यान्वयन के लिए कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण नामक एक सांविधिक निकाय स्थापित किया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत एक से अधिक नगरपालिका सीमायें आ जाती हैं। कुछ योजनायें पहले ही पूरी की जा चुकी हैं जबकि अन्य योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण

विकास के विभिन्न क्षेत्रों तथा क्षेत्र वार चौथी योजना आवंटन दर्शाते हुये एक विवरण।

क्रमसंख्या	क्षेत्र	चौथी योजना के लिए आवंटन (रु० लाखों में)
1-	जलपूर्ति	2880.97
2-	जलमल निष्कासन	2893.58
3-	ट्रैफिक एवं परिवहन	3152.65
4-	कूड़ा-करकट हटाना	260.77
5-	बस्ती, आवास एवं नगर विकास	2590.81
6-	अन्य योजनायें	1662 34
7-	कम लागत/मध्यम आय वर्ग के लिए आवास	600.00
8-	विशेष परियोजनायें	538.00
		14579.12

राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट की भर्ती, पदोन्नति और स्थानान्तरण के नियमों से सम्बन्धित सिफारिशों का क्रियान्वियन

2657 श्री रामप्रकाश : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 वर्ष बीत जाने पर भी 3 मार्च, 1960 के राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट के भर्ती, पदोन्नति और स्थानान्तरण के नियम बनाने सम्बन्धी निर्णय को लागू करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) क्या सरकार का उक्त नियम बनाने का विचार है; यदि हाँ, तो कब और

(ग) क्या 1958 क राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या दो ने पंचाट के पैरा 34

द्वारा यह सिफारिश की है कि पर्यवेक्षण से सम्बन्धित कर्मचारियों को एक कमान के भीतर, जहाँ तक हो सके एक ही राज्य में एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थानान्तरित किया जाय ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख) : कैन्टोनमेंट फंड सरवेन्टस रूलस, 1937 में दिये गये भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण, के नियमों में प्रस्तावित संशोधन 1969 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और प्राप्त हुए आपत्तियों एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुये अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पंचाट के पैरा 34 में विचार व्यक्त किया है कि कार्यकुशलता के हित में यह वाँछनीय होगा कि कैन्टोनमेंट बोर्डस के पर्यवेक्षक कर्मचारियों एवं अनुभाग प्रधानों को कम से कम एक ही राज्य के भीतर, और संभव हो तो एक ही कमान में एक छावनी से दूसरी छावनी में स्थानान्तरित किया जाए । न्यायाधिकरण ने यह भी सुझाव दिया है कि स्थानान्तरण निर्धारित नियमों के अन्तर्गत बने उपयुक्त आधार पर होना चाहिए ।

रक्षा मंत्रालय के सैनिक सांख्यिकीय संगठन में सांख्यिकीय अनुसंधाताओं को स्थाई बनाना

2658 श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 18 (2) है (स्पे) 160 दिनांक 24 मार्च, 1960 में निहित सरकार आदेश के अनुसार 80 प्रतिशत अस्थाई पद जो कम से कम तीन वर्ष की अवधि से लगातार बने हुए हैं और जिनके स्थाई किए जाने की सम्भावना है, उनको स्थाई पदों के रूप में परिवर्तित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सैनिक सांख्यिकीय संगठन सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में उन साँख्यिकीय अनुसन्धाताओं की कितनी संख्या है जो उक्त आदेश के अन्तर्गत बनाये जाने के योग्य हैं, परन्तु उन्हें अभी तक स्थाई नहीं बनाया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी हां ।

(ख) सेना मुख्यालय के सैनिक साँख्यिकीय सँगठन, में साँख्यिकीय अनुसंधाता 'ए' टाइप 'बी' टाइप की श्रेणी में 19 व्यक्ति स्थायीकरण के हेतु विचार करने के योग्य हैं । विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता लोक सेवा संघ आयोग के एक सदस्य करेंगे, शीघ्र ही इन व्यक्तियों की उपयुक्तता का निर्धारण करेगी । यह मामला आयोग द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

नेफा में तेल की खोज

2659. श्री निहार लास्कर :

श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेफा में तेल की खोज के कार्य-क्षेत्र का विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : आयल इण्डिया

लिमिटेड ने नेफा के निगम क्षेत्र में 1973-74 में 331 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दो अन्वेषी कुओं का व्यधन करने के लिए एक योजना बनाई है।

अलियाबेट में पाये गये तेल का व्यावसायिक मूल्य

2660 श्री पी० के० देव : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1971 के 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अलियाबेट में पाया गया तेल व्यावसायिक मूल्य की दृष्टि से बहुत कम है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) जी हां, अतटीय कुंआ संख्या 1 (एक) में पाये गये तेल के कम व्यावसायिक मूल्य पर विचार न करते हुए, पश्चिमी क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आगामी अन्वेषण के लिये, यह खोज दो प्रकार से महत्वपूर्ण रही है। प्रथमतः इससे यह पता चला है कि उस क्षेत्र के, जहां पर अब तक मिओसीन एज (Miocene Age) की चट्टानों में तेल प्राप्त नहीं हुआ था, अन्य भागों में मिओसीन रेत में तेल के पाये जाने की सम्भावना है। इस अन्वेषण ने बम्बई हाई तथा गहरे पानी में, जहाँ पर मिओसीन चट्टानों के स्थूल रूप में पाये जाने की आशा है, अन्य बड़ी संरचनाओं में तेल के पाये जाने की सम्भावना बढ़ गई हैं। इस अन्वेषण से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक युवा तकनीकी विदों को अतटीय व्यधन में महत्वपूर्ण अनुभव भी प्राप्त हुआ है, जो उनके द्वारा उथले तथा गहरे पानी में अन्य संरचनाओं पर व्यधन-कार्य प्रारम्भ किये जाने पर उनके लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होगा।

रेवीज के कारण दिल्ली में मौतें

2661 श्री वी० के० मोदक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में, अलग-अलग देश में रेवीज के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में, रेवीज के कारण केवल दिल्ली में कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या देश के अन्य भागों की अपेक्षा दिल्ली में रेवीज के रोग से मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस रोग को बढ़ने से रोकने और उसकी रोक-थाम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें

2662 श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर का पांच जिलों में विभाजन करने के बाद, इसके चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रशासन के ढाचे में क्या सुधार किये गये हैं;

(ख) क्या प्रत्येक जिले को एक जैसी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो वे सुविधायें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इम्फाल नगर को पानी की अपर्याप्त सप्लाई

2663 श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इम्फाल नगर और उसके उपनगरों के लिए जो पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई है यह बिलकुल अपर्याप्त है और इसके फल-स्वरूप लोगों को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस नई कार्यवाही से लोगों को कब लाभ पहुँचेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

2664 श्री बी० नरसिंहा रेडडी : **क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है कि केवल तमिलनाडु में क्षय रोग से पीड़ित 6 लाख लोगों में से डेढ़ लाख लोगों का रोग अत्यधिक संक्रामिक है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) समस्त देश के आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या देश में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को अधिक व्यापक बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ड) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चटटोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु क्षय रोग सँघ ने जो संख्या बतलाई है वह 1955-58 में किये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित केवल एक अनुमान है।

(ग) अनुमान है कि इस रोग से पीड़ितों की संख्या लगभग 80 लाख हैं जिनमें से लगभग 20 लाख रोगी संक्रामक हैं।

(ग) और (घ) : जी, हाँ राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना में चालू रखा जायेगा और इसके लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। इसके अन्तर्गत एक्सरे, प्रयोगशाला उपकरण और राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर में प्रशिक्षित चिकित्सा और पार्श्व-चिकित्सा कर्मचारियों के पूरे दल से सम्पन्न एक जिला क्षय रोग केन्द्र क्षय रोग नियंत्रण कार्य के लिए देश के प्रत्येक जिले में खोलने का विचार है। अब तक 209 जिला क्षय रोग केन्द्र स्थापित किये जा चुके है और चौथी योजना अवधि के अन्त तक बाकी जिलों को भी इसके अन्तर्गत लाने का विचार है। इस समय 247 बी० सी०जी० दल निरोधात्मक बी०सी०जी० वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। चौथी योजना की बाकी अवधि में लगभग 125 और दल गठित किये जायेंगे।

Malaria and Small Pox Eradication Programme

2665. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the steps proposed to be taken under Malaria and Small Pox Eradication programme during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the amount allocated for the purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K. Kisku) : (a) The following steps are being taken under the National Malaria Eradication Programme and the National Small Pox Eradication Programme during the Fourth Five Year Plan :—

National Malaria Eradication Programme

(i) In areas where veetor mosquitoes have developed resistance to DDT, alternative insecticide BHC is being used and in areas with development of resistance both to DDT and BHC, an organophosphorous insecticide 'Malathion' is being substituted.

(ii) Basic health services at the P.H.C. level in the Maintenance phase areas of the programme are being strengthened with 100 per cent Central subsidy over and above the level of expenditure during 1968-69.

(iii) Old and unsorviceable vehicles of the programme are being replaced in phases so that there are no difficulties in the transport of spraying material to outlying areas.

(iv) It is proposed to sanction a scheme to cover urban areas as control of malaria in urban areas, which is in the hands of the local bodies, has not been satisfactory. Under the scheme larvicidal oil is proposed to be distributed free to the local bodies for spray operation. It is also proposed to augment staff in the local bodies, wherever necessary.

National Small Pov Eradication Programme :

(i) Vaccination, surveillance and outbreak containment efforts are being intensified.

(ii) More effective and less traumatic method of vaccination employing bifurcated needles has been introduced.

(iii) Health Education and Publicity Compaign has been intensified to enhance voluntary acceptability of vaccination.

(iv) 100 per cent assistance is being given to States and Union Territories for the additional staff and contingencies.

(v) Freeze dried Small pox vaccine is supplied free.

(b) **National Malaria Eradication Programme :**

Rs. 89.44 crores (This does not include the allocation for Urban Malaria).

Nationaal Small Pox Eradication Programme :

Rs. 16 crores.

अफ्रीका के देशों में भारतीय राजयिक

2666 श्री सतपाल कपूर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय राजनयिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने अफ्रीका के देशों में राजनयिकों पदों पर कार्य करने से मना कर दिया है अथवा अनिच्छा प्रकट की हैं;

(ख) अफ्रीका के देशों में कार्य कर रहे कितने भारतीय राजनतियकों ने अफ्रीका भाषाओं और अफ्रीकी संस्कृति में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि दिल्ली विश्व विद्यालय से सम्बद्ध अफ्रीकी सम्बन्धी अध्ययन का विद्यालय है? और

(घ) यदि हां, तो मन्त्रालय ने इस विद्यालय का विशेष प्रयोग किया है और इस विद्यालय के कितने स्नातकों ने मन्त्रालय के अफ्रीकी अनुभाग से सम्बन्ध होने में सफलता प्राप्त की है ?

विदेश मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, कोई नहीं ।

(ख) जिन अधिकारियों की अफ्रीकी देशों में नियुक्ति होती है वे उस देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भली-भांति जानकर होते हैं ।

अफ्रीका में हमारे मिशनों में इस समय जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनमें से सभी तीन को किस्वाहिली, एक अफ्रीकी भाषा, का ज्ञान है ।

(ग) जी हां ।

(घ) (1) आजकल हमारे अधिकारियों को अफ्रीकी भाषाओं के शिक्षण के लिए अफ्रीकी अध्ययन स्कूल नहीं भेजा जाता है । अधिकारीगण भाषा प्रशिक्षण का अपना कार्यक्रम उसी देश में पूरा करते है जहां उनकी नियुक्ति होती है । इस प्रकार वे न केवल भाषा सीखते हैं बल्कि उस देश के भूगोल, इतिहास, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति तथा सांस्कृतिक व अन्य पहलुओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ।

(2) आजकल हमारे पास अफ्रीकी अध्ययन स्कूल के स्नातकों के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि वे मंत्रालय के अफ्रीकी अनुभागों के साथ सम्पर्क रख सकें ।

Opening of A Sainik School in Garhwal U.P.

2667. Shri Pratap Singh Negi : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Sainik Schools in District Garhwal, Uttar Pradesh at present;

(b) the number of schools proposed to be opened by Government in the said district during the year 1971-72 where the children of the Servicemen and ex-service men could study; and

(c) the special facilties provided by Government for the children of servicemen and ex-service men ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) There is no Sainik School in Garhwal District but there is one Sainik School at Ghorakhal in Nainital District, Uttar Pradesh.

(b) No proposal has been received for opening of a Sainik School in Garhwal District from the State Government.

(c) The children of Servicemen and Ex-Servicemen have the facility of getting admission to the Sainik School at Ghorakhal to the extent of 33% of the admissions each year. Such children who pass the Entrance Examination and are admitted to the School are provided with merit-cum-means Scholarships by the Ministry of Defence.

Exercises in Indian Ocean by U.S. Destroyers and Air Craft carriers

2668. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Indrajit Gupta:

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the U.S. destroyers and Aircraft Carriers held exercises in the Indian Ocean in April, 1971; and

(b) if so, the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of Detence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Government have no information in this respect. However, Government have seen the press report which appeared in the Statesman, New Delhi of 24.4.1971 on the "routine exercise" by US ships.

(b) Our view that the Indian Ocean should be regarded as a zone of peace is known to the House and to the powers concerned.

Tanks in Possession of Pakistan

2669. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the types of tanks in possession of the Pakistani Army at present as per information available with the Government of India;

(b) the names of the countries from which Pakistani army has obtained those tanks; and

(c) the impact of external arms aid to Pakistan on India's defence ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) The information is as under :

Type of tank	Supplied by
Chaffees, Shermans, Pattons	U.S.A.
T—34, T—59	China
T—54, T—55	U.S.S.R.

(c) Any accretion to the armed strength of Pakistan poses a threat to India's security. These developments are taken into consideration in planning our defence requirements.

Payment of Rent for Government Accommodation by Ex-members of Parliament

2670. Shri Hnkam Chand Kachwai :
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Works & Housing** be pleased to state :

(a) whether most of the Members of Lok Sabha had vacated the flats allotted to them after the dissolution of Lok Sabha, but they have not so far paid the rent for that period to Government;

(b) if so, the amount of rent in respect of accommodation and other dues yet to be realised by Government from them; and

(c) the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral) : (a) Yes, Sir. 133 Members of the dissolved Lok Sabha have vacated the premises allotted to them where as 101 Members have not yet handed over complete possession of the premises which are in their occupation.

(b) A sum of Rs. 1,04,198 upto the end of May 1971 is recoverable from the former M.Ps. who have vacated the premises and a sum of Rs. 1,58,884 is recoverable at the end of May, 1971 from 101 former M.Ps. who have yet to vacate the premises allotted to them.

(c) The Ex-M.Ps. have been requested to pay the amount outstanding against them by issue of bills/letters. The outstanding amounts have also been intimated to the Lok Sabha Secretariat.

Medical College Run by The Centre

2671, Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state ;

(a) the number and location of Medical Colleges being run by the Centre in the country;

(b) the rules governing admission into these colleges; and

(c) the present seating capacity of each of these colleges ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D.X. Chattopadhyaya) : (a) Only two Medical Colleges in the country namely Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry and the Armed Forces Medical College, Poona are directly run by the Central Government. In addition, Lady Hardinge Medical College and Hospital, New Delhi, which is an autonomous institution and the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi which is a Statutory Body and which run medical colleges, are financed by the Central Government.

(b) Admission into these Colleges is done by the following methods;—

(i) **Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry.**

Open test on All India basis except seats reserved for certain specific categories.

(ii) **Armed Forces Medical College, Poona**
Open test on All India basis.

(iii) **Lady Hardinge Medical College & Hospital, New Delhi.**

42 seats by direct selection on merit on the basis of marks in qualifying examination from Delhi University.

42 seats on the basis of merit from amongst those who have qualified at an entrance examination. 26 seats reserved for scheduled castes/scheduled tribes. 20 seats for Government of India nominees belonging to certain specific categories.

(iv) **All India Institute of Medical Sciences, New Delhi,**

Open test except in case of seats reserved for certain specific catagories, The detailed rules governing admission to the above mentioned medical colleges/Institutes are contained in their respective prospectuses.

(c) The present seating capacity of these Colleges/Institutes is given below ;-

Name of the College/Institute	Seating Capacities
1. Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry.	65

2.	Armed Forces Medical College, Poona.	120
3.	Lady Hardinge Medical College & Hospital, New Delhi.	132
4.	All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	50

Setting up of Cancer Clinic in Madhya Pradesh

2672. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the names of the places where Cancer Clinics are functioning in the country sponsored by the Central Government;

(b) whether no such clinic has been set up in Madhya Pradesh;

(c) whether the Madhya Pradesh State Government have sent a proposal to set up such a clinic and requested the Central Government to sanction grants therefor; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D.P. Chattopadhyaya) : (a) Cancer Clinics are not sponsored by The Central Government as "medical care" is a State subject. Central assistance is. however, given to the Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta; Cancer Institute, Madras and the Cancer Research Institute, Bombay, for carrying out research on Cancer.

(b) No clinic has been set up in Madhya Pradesh by the Central Government.

(c) & (d) A proposal seeking financial assistance for providing Cancer treatment facilities in Gwalior and Indore Hospitals was received last year from the Government of Madhya Pradesh. Since "medical care" is a State subject, the inability of the Government of India to give Central assistance to the State Government was regretted.

मध्य प्रदेश में आवास तथा नगरीय विकाश के लिए केन्द्रीय अनुदान

2673. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967 से 1970 तक वर्षवार मध्य प्रदेश सरकार को निर्माण, आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि मंजूर की गई ?

निर्माण और आवासमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल)

वर्ष 1967--68 और 1968--69 के दौरान निर्माण और आवास मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं और नगर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता ली गई है :

वर्ष	ऋण	अनुदान (लाख रुपयों में)	जोड़
1967-68	18.28	15.32	33.60
1968-69	20.93	18.36	39.29

1969-70 से, अर्थात् चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के आरंभ से राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए (जिसमें आवास और नगर विकास सम्मिलित है) केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को वित्त मंत्रालय द्वारा खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में दी जा रही है। केन्द्र की यह खण्ड सहायता किसी विशिष्ट योजना, परियोजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। राज्य

सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों और राज्य क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए अनुमोदित आऊटले के भीतर नियत की जाने वाली निधियों का निर्धारण करने में स्वतन्त्र हैं।

मध्य प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये केन्द्रीय अनुदान

2674. श्री गंगाचरण दीक्षित : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये मध्य प्रदेश राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिये हैं; और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना अनुदान दिया गया;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिये कोई बढ़ा हुआ अनुदान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) 1968-69 के वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को 7.88 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता नियत की गई थी, जिसमें से उनके द्वारा केवल 4.79 लाख रुपये की राशि ली गई। 1 अप्रैल, 1969 से यह योजना राज्य क्षेत्र में है, तथा राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए (गन्दी बस्ती सफाई योजना सहित) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जा रही है। राज्य सरकारें उन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों को नियत करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) और (ग) खण्ड अनुदानों की वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत इस मद पर व्यय के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं की जाती तथा यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि विभिन्न मदों को वह जितनी आवश्यकता और अनुपातिक प्राथमिकता समझे, उसके अनुसार व्यय में कमी-बेशी कर सकती है।

मिग-21 की सुधरी हुई किसम की निर्माण

2675. श्री भान सिंह भौरा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिग-21 विमान की सुधरी हुई किस्म का निर्माण करने के लिए रूस के साथ एक लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) इस सूचना को देना लोकहित में नहीं है।

मैसूर राज्य में मिट्टी का तेल और पेट्रोल बेचने के लिए एक एजेंसी की स्थापना

2676. श्री के० लकप्पा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में मिट्टी का तेल और पैट्रोल बेचने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक ऐजेंसी की स्थापना से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में ये ऐजेंसी कब तक स्थापित की जायेगी तथा इस प्रयोजन के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम ने मैसूर राज्य के सहकारी संस्थाओं के पक्ष में दो फुटकर विक्रय केन्द्रों (पम्पों) की एजेंसियों की हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। उन संस्थाओं के नाम निम्न प्रकार हैं :—

नाम	उत्पाद
1. साऊथ कनाडा डिस्ट्रिक्ट कोआप्रेटिव फिश मार्किटिंग फैडरेशन, माल्पे	हाई स्पीड डीजल आयल
2. तुंगभद्रा प्रोजैक्ट कोआप्रेटिव स्टोर्ज, तुंगभद्रा डेम, होस्पेट	मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल

लगभग तीन महीनों में इन फुटकर विक्रय पम्पों के चालू होने की सम्भावना है। इन दो पम्पों के विकास के लिए निगम द्वारा नियोजित धनराशि क्रमशः 17,000 रुपये और 28,500 रुपये है। निगम का इस समय इस क्षेत्र में एक मिट्टी के तेल की एजेंसी को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा हाशिम कुरेशी और अशरफ कुरेशी की गिरफ्तारी

2677. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने विमान अपहरणकर्ता हाशिम कुरेशी और अशरफ कुरेशी को जो जनवरी 1971 को भारतीय विमान को अपहरण करके लाहौर ले गये थे, और बाद में जिन्होंने उसे नष्ट कर दिया था गिरफ्तार कर लिया गया है?

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने उन्हें भारतीय गुप्तचर बताया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस दुष्टतापूर्ण प्रचार का खंडन करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबरें देखी हैं कि दो वायुयान अपहरणकर्ताओं को बंदी बनाया गया है।

(ख) वायुयान अपहरण की परिस्थितियों की जाँच के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक जांच आयोग स्पष्टतया इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये दो अपहरणकर्ता भारतीय आसूचना के एजेन्ट या जासूस थे।

(ग) हमने संबद्ध सरकारों एवं अंन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को बता दिया है कि वायुयान अपहरण के उत्तरदायित्व तथा भारतीय वायुयान के इस प्रकार अनावश्यक रूप से जला देने की जिम्मेदारी से स्वयं को बचाने के पाकिस्तान के इन प्रयत्नों से इस महाद्वीप में सिविल विमानन की सुरक्षा की गारन्टी के लिये पाकिस्तान के प्रति विश्वास नहीं पैदा होता। इन दोनों अभियुक्तों को बिना किसी पूर्व शर्त के शरण दी गई इन्हें भारतीय वायुयान जलाने दिया गया बाद में बहादुरों जैसा उनका स्वागत किया गया और लाहौर में उनका जुलूस निकाला गया इन सब बातों से स्पष्टतया पाकिस्तानी आरोपों का खंडन होता है।

झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को भूमि के प्लाटों का आवंटन

2678. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को भूमि के प्लाटों का आवंटन किए जाने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि 1971 में हुए आम चुनावों के दौरान उन्हें अनेक प्रकार के आश्वासन दिए गये थे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) से (ग) झुग्गी और झोंपड़ी हटाओ योजना के नाम से एक योजना पहले ही विद्यमान है, जिसके अनुसार, जुलाई 1960 से पूर्व के अनधिवासियों को, अपेक्षाकृत केन्द्रीय क्षेत्रों में विकल्पिक वास उपलब्ध किया जाता है तथा जुलाई, 1960 के बाद के अनधिवासियों को नगर की परिधि में कैम्पिग स्थलों में ले जाया जाता है। तथापि, योजना पुनरीक्षपाधीन है।

आयुध कारखानों के बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी

2679. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आयुध कारखानों में जिन प्रशिक्षणार्थियों को तीन वर्ष तक प्रशिक्षण दिया गया था उनको प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत कुशल कारीगरों का ग्रेड नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड जैसे अन्य रक्षा संस्थानों में ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को ये वेतन मान दिये गये है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) आयुध कारखानों में अप्रेंटिसों को 3 वर्षों का प्रशिक्षण, अप्रेंटिस एक्ट; 1961, के अन्तर्गत दायित्व पालन के हेतु दिया जाता है, इस एक्ट के अन्तर्गत मालिकों को ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के बाद ट्रेड अप्रेंटिस को नियुक्ति का प्रस्ताव दें और न ही अप्रेंटिसो को यह बन्धन है कि वे मालिक के द्वारा प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार करें। उक्त बात के होते हुए भी ट्रेड अप्रेंटिस को स्कीलड ग्रेड रुपये 110-3-131-4-143 में आवश्यकता या। जगहों के रहने की शर्त पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है एवं यह प्रस्ताव अप्रेंटिस के ट्रेड एवं कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। आरटीजन प्रशिक्षण स्कूल में ढ़ाई वर्ष की एक और प्रशिक्षण के बाद वे उच्चतर स्कीलड ग्रेड रुपये 140-5-180 एवं रुपये 150-5-180 में नियुक्ति के लिए योग्य हो जाते हैं बशर्ते कि उनका चुनाव इसके लिए हो जाए।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है एवं सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बरौनी उर्वरक परियोजना में प्रगति

2680. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा; और

(ख) क्या निर्माण कार्य में निर्धारित सीमा के अनुसार प्रगति हो रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) प्रारंभ में बरौनी उर्वरक प्रायोजना का अप्रैल, 1971 तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम था। परन्तु मुख्यतः प्रायोजना के लिये संरचनात्मक इस्पात प्राप्त करने में देर और देशी निर्माताओं द्वारा उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब कर देने के कारण इस कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सका। वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रायोजना के अप्रैल, 1972 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास

2681. श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और ऐसे व्यक्तियों के लिये जो पटरियों पर रहते हैं आवास की व्यवस्था करने हेतु नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और संसद सदस्यों के निवास स्थानों के सामने बड़े बड़े अहातों से स्थान प्राप्त करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणियों में कम भूमि के आवास की व्यवस्था करने से कितनी भूमि उपलब्ध होने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली में बंगलों वाले क्षेत्र के पुर्नविकास के प्रश्न पर सरकार द्वारा पिछले वर्ष बनाई गई एक तकनीकी समिति द्वारा विचार किया गया था। इस समिति की एक सिफारिश के अनुसार इस क्षेत्र के पुर्नविकास के ब्यौरे का अध्ययन करने के लिए एक विशेषकक्ष स्थापति किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्य वास्तुक, नगर आयोजक तथा भू-दृश्य वास्तुक आदि होंगे। जब तक पूर्वोक्त विशिष्ट अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक दिल्ली वृहत योजना के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों के लिये उपलब्ध होने वाली भूमि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

चीन द्वारा हिन्द महासागर में आने का मार्ग बनाया जाना

2862. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश प्रेस रिपोर्टों के अनुसार चीन ने सिकियांग, गिलगिट और कराची को मिलाने वाली नव निर्मित सड़क के द्वारा हिन्द महासागर में आने का मार्ग बना लिया है;

(ख) क्या इस नई परिस्थिति से भारतीय नौसैना पर और नया भार आ पड़ा है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार इस प्रकार की किसी ब्रिटिश प्रेस सूचना से अवगत नहीं है किन्तु इस नव निर्मित सड़क की सूचना भारतीय समाचार पत्रों में छपी है।

(ख) भारतीय नौसेना को और अधिक निगरानी रखनी पड़ेगी।

(ग) सरकार का विचार है कि इस नई परिस्थति से इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के

लिग खतरे की संभावना पैदा हो गई है ।

भारतीय तेल निगम की पूर्वी शाखा के 'मार्केटिंग डिवीजन' में कर्मचारियों का निलम्बन

2683. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम (मार्केटिंग डिवीजन) की पूर्वी शाखा के प्रबन्धकों ने बिना आरोप-पत्र दिये छः कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन निलम्बित कर्मचारियों को, निलम्बित कर्मचारियों के निर्वाह भत्ते के भुगतान विषयक पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिनियम, 1970 के अनुसार उचित निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी० सेठी) (क) और (ख) भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) की पूर्वी शाखा के प्रबन्धकों ने 15 नवम्बर, 1969 को कलकत्ता स्थित शाखा-कार्यालय के छः कर्मचारियों को इस आरोप पर निलम्बित किया था कि उन्होंने निगम की कैन्टीन में कार्यालय समय में कुछ कर्मचारियों जिनका विरोधी यूनियन से सम्बद्ध बताया जाता है, को मारा पीटा था ।

इन कर्मचारियों के निलम्बन आदेश शनिवार (अपराह्न) 15 नवम्बर,1969 को जारी किये गये थे किन्तु बीच में रविवार पड़ जाने के कारण, जिस दिन कार्यालय बन्द था, उन्हें 17 नवम्बर, 1969 को आरोप पत्र जारी किये गये थे ।

(ग) और (घ) निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह-भत्ता भारतीय तेल निगम के नियमों जिनमें निलम्बित अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते के रूप में वेतन के 50 प्रतिशत की व्यवस्था है, के अनुसार दिया जाता है ।

निर्वाह भत्ते के भुगतान विषयक पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 1969, 1 मार्च 1970 से ही लागू हुआ था । इस अधिनियम में इसके लिए किसी पूर्व व्याप्ति की व्यवस्था नहीं है और इसलिए यह अधिनियम इन छः कर्मचारियों, जो 1 मार्च, 1970 से पहले निलम्बित किये गये थे, को लागू नहीं होता ।

श्रीलंका में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा की गई कार्यवाही पर व्यय

2684. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या **रक्षा** मंत्री 7 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीलंका में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा की गई कार्यवाही में कितना धन व्यय हुआ है ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भारत सरकार ने निर्णय किया है कि सीलोन सरकार के अनुरोध पर भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा किये गये कार्यों में लगे खर्चे सीलोन सरकार से नहीं लिए जायेंगे । इन सेवाओं में लगे वास्तविक खर्चे को आंकना कठिन है ।

हिन्द महासागर में रूसी अड्डा

2686. श्री पी०के० देव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण यमन स्थित हमारे राजदूत ने इस बात की पुष्टि करने के लिये हिन्द महासागर का दौरा किया था कि क्या सोकोट्रा में रूस का कोई अड्डा है अथवा नहीं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हमारे राजदूत के प्रतिवेदन का सारांश क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार का ध्यान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(घ) क्या इस लेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि रूस ने हिन्द महासागर में एक अड्डा बनाया है ।

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह): (क) जी हाँ । दक्षिणी यमन स्थित हमारे राजदूत ने अनेक दूसरे मिशन-प्रमुखों के साथ सोकोट्रा का दौरा किया था ।

(ख) उनके प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि सोकोट्रा में कोई अड्डा नहीं है ।

(ग) और (घ) : भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार द्वारा हाल में प्रकाशित उस लेख की जानकारी नहीं है, जिनमें यह कहा गया है कि सोवियत रूस ने हिन्द महासागर में एक अड्डा बनाया है ।

कुकी और मिजो विद्रोहियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान सीमा पार करना

2687. श्री एन०ई० होरो : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शस्त्र प्राप्त करने और गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सैकड़ों कुकी और मिजो विद्रोहियों ने पूर्वी पाकिस्तान जाते हुए मनीपुर तथा मिजो पहाड़ियाँ पार की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) हाल में विद्रोहियों की पूर्वी पाकिस्तान में जाने की कोई उल्लेखनीय खबर नहीं है । सरकार यद्यपि अवगत है कि 1968 से ही करीब 1200 मीजो विद्रोही पूर्व पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं एवं प्रशिक्षण एवं हथियार के मामलों में पाकिस्तान सरकार से सक्रिय सहयोग प्राप्त कर रहे हैं ।

(ख) पाकिस्तान सरकार को, इन तत्वों की सहायता एवं समर्थन देने के विषय में विरोध पत्र भेजे गये हैं । पूर्व पाकिस्तान में आने जाने को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की गई है ।

Allotment of Land to the Government Teachers Cooperative House Building Society Ltd., Delhi

2688. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have allotted land to the Government Teachers Cooperative House Building Society Ltd. Shaktinagar, Delhi for construction of quarters ;

(b) whether 150-200 plots still remain after allotting plots to all the members of the aforesaid Society ; and

(c) if so, whether Government are allotting the remaining plots to those teachers of the Higher Secondary Schools run by the Delhi Administration who belong to Scheduled Castes ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral): (a) Yes.

(b) The Society has allotted the entire land to its members and no unallotted plots are available with it.

(c) Does not arise.

Master Plan for Solving Problem of Drinking Water in Madhya Pradesh

2689. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of villages in Madhya Pradesh where drinking water is not available ;

(b) whether the State Government has requested the Central Government to provide assistance for the implementation of a Master Plan aimed at solving the problem of drinking water ; and

(c) the estimated amount required therefor and the time by which the said Plan is likely to be implemented ?

The Minister of State for Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) to (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Construction of Houses for Landless Agriculture Labourers

2690. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some months ago, the Central Government had chalked out a scheme to construct houses on its own expense for landless agricultural labourers ;

(b) if so, the number of such houses to be constructed ; and

(c) the names of the places in Madhya Pradesh where such houses have been constructed with the number thereof and the total expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise,

दिल्ली तथा देश के अन्य नगरों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय

2691. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और देश के अन्य सभी राज्यों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या पटना, धनबाद और जमशेदपुर में भी ऐसा कोई औषधालय है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी०पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) दिल्ली तथा भारत के अन्य शहरों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की संख्या निम्न प्रकार है:—

	ऐलोपैथिक			आयुर्वेद	होम्योपैथिक
	पूर्णतः सम्पन्न	उप औषधालय	चलते फिरते औषधालय		
दिल्ली	60	—	2	5	2
बम्बई	13	3	1	—	—
इलाहाबाद	4	—	—	—	—

(ख) जी नहीं। ये शहर केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नहीं आते जिसे पहले उन शहरों में लागू किया जा रहा है जहां अधिक संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रहते हैं। पटना धनबाद और जमशेदपुर में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों का अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

दिल्ली को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में घटिया किस्म की दवाइयों की सप्लाई

2692. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में घटिया किस्म की दवाइयाँ दी जाती हैं और डाक्टरों तक को यह पता नहीं होता कि रोग विशेष के लिये सर्वोत्तम दवाई कौन सी है; और;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में अच्छे किस्म की दवाइयां देने के अतिरिक्त निदान, उपचार और नवीनतम दवाइयों की जानकारी के क्षेत्र में वहाँ के डाक्टरों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०के० किस्कु) (क)और (ख) कुछ ऐसे मामले देखने में आये हैं जबकि केन्द्रीय स्वाथ्य सेवा से स्टोरों को घटिया किस्म की दवाइयां दी गई हैं। इस समस्या पर काबू पाने के लिए सम्भरण और निपटान महानिदेशालय द्वारा केवल उन्हीं स्वीकृति निर्माताओं को टेंडर दिए जाते हैं जो सम्भरण और निपटान महानिदेशालय द्वारा निर्धारित प्रणाली की निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जब दवाइयों के बारे में कोई शंका होती है तो वे रासायनिक विश्लेषण के लिए भेज दी जाती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई डाक्टर खास किस्म की बीमारी के लिए उचित दवाइयां निर्धारित करने में असफल रहा है। डाक्टर आधुनिक दवाइयों की प्रगति और उनके उपयोग के बारे में ज्ञान बनाये रखते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के हितग्राहियों को दवाइयां, दवाइयों की सूची जिसे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की योग संहिता कहा जाता हैं से दवाइयाँ दी जाती हैं। योग संहिता परामर्शदाताओं और वरिष्ठ विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार की गई है और इसके अन्तर्गत उपचार के लिए आवश्यक काफी मानक दवाइयाँ आ गई है। समय समय पर संशोधन कर योग संहिता को अद्यतन बनाया रखा जाता है।

उर्वरकों का वितरण करने वाली एजेन्सियां

2693. श्री जी० भुवाराहन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम, मद्रास फर्टिलाइजर्स और नैवेली फर्टिलाइजर यूनिट द्वारा उत्पादित उर्वरकों की वितरण एजेन्सियों के क्या नाम हैं ;

(ख) प्रत्येक एकक द्वारा उक्त वितरण एजेंन्सियों को प्रति टन कितना कमीशन दिया जा रहा है ? और

(ग) तमिल नाडु राज्य में स्थित उक्त एजेंसियों के क्या नाम हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी०सी0 सेठी) (क) से (ग) : वितरण एजेंसियों, ऐसी उक्त वितरण एजेंसियों को प्रति टन पर दी जाने वाली आढ़त (कमीशन) तथा तमिल नाडू राज्य में भारतीय उर्वरक निगम और नयवेली लिगनाइट कारपोरेशन की एजेंसियों के नाम संलग्न विवरण--पत्र में दिये गये हैं।[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 485/71] मद्रास उर्वरक लि0 में अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। यह कम्पनी, प्राइवेट विक्रेताओं एवं सरकारी सहकारी संस्थाओं के साथ मार्किटिंग समझौतों के लिए बातचीत कर रही है। किन्तु मद्रास उर्वरक लि० के सीडिंग प्रोग्राम (बीज--वितरण का कार्यक्रम) के अंश के रूप में, यह कम्पनी उन किस्मों के उर्वरकों का, जिनका वह उत्पादन करेगी, वितरण कर रही है। शा वैलेस एण्ड कम्पनी, ई आई डी-पैरी लि० तथा तमिल नाडू, आन्ध्र प्रदेश एवं मैसूर राज्य की सरकारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से यह वितरण किया जाता है।

वी० एम० अस्पताल, अगरतला के प्रसूति वार्ड में पर्याप्त स्थान न होना

2694. श्री वीरेन दत्त : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगरतला स्थित बी0 एम0 अस्पताल के प्रसूति वार्ड में स्थान की बहुत अधिक कमी है;

(ख) क्या अधिक बिस्तरों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु त्रिपुरा सरकार ने धन की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. पी चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए रक्त प्लाज्मा एकत्र कर रही संस्थायें

2695, श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह समाचार प्राप्त हुए हैं कि कुछ संस्थायें रक्त प्लाज्मा एकत्र कर रही हैं और बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों को अन्धाधुन्ध तरीके से इसे चढ़ाने में लगी हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बखतरबन्द रेजमैंटों के टेक-चालकों की धूल से अप्रभावित रहने वाले धूप के चश्में तथा ऊपरी पोशाक दिया जाना

2696, श्री इजराज सिंह कोटा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारी

सेना के बखतरबन्द रेजिमैंटों के टैंक चालकों को धूल से प्रभावित न होने वाले धूप के चश्में और जलने से बचाने वाली उपरिपोशाक दी जाती है;

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : टैंक चालकों को धूल से बचाव के लिए उपयुक्त धूप के चश्में दिये गये हैं।

अग्नि से बचाने वाली उपरिपोशाक का हाल ही में विकास किया गया है। टैंक चालकों को इन उपरिपोशाक को न्यूनतम संभव समय के अन्दर देने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

बिसालगढ़ क्षेत्र के भूतपूर्व राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की कालोनी

2697. श्री बीरेन दत्त : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार का बिसालगढ़ क्षेत्र में भूतपूर्व राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की एक कालोनी स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या भूतपूर्व राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की एक आवास सहकारी समिति बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसे आवास ऋण दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना त्रिपुरा सरकार से मांगी गई हैं तथा यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भूतपूर्व सिविलियन स्कूल मास्टरों की सेवा अवधि को पेंशनहेतु विचार में लेने के बारे में अनुदेश

2698: श्री एस०एम० बनर्जी :
श्री शशि भूषण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे अनुदेश जारी किये हैं कि भूतपूर्व सिविलियन स्कूल मास्टरों की सेवा अवधि को पेन्शन हेतु रक्षा मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों में उनकी बाद की सेवा में गिना जाये;

(ख) क्या इसे केवल 1 अप्रेल, 1970 से लागू किया गया है;

(ग) क्या यह लाभ देने का निर्णय एक अभ्यावेदन पर लिया गया था;

(घ) क्या जिन्होंने यह अभ्यावेदन दिया था उस व्यक्ति को इस लाभ से वंचित रखा गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या प्रभावित हुये कई अन्य सिविलियन स्कूल अध्यापकों से उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ङ) : योद्धी कार्मिकों के स्थान पर सिविलियनों द्वारा की गई सेवा को, उस स्थिति में जब कि उस सेवा के बाद कोई और पेंशन योग्य सिविल नौकरी मिल गई हो, अतिरिक्त अस्थाई सिव्वंदी/नेमक्तित सेवा के रूप में, पेन्शन के लिए गिने

जाने के लिए, इस शर्त पर कि ऐसी नैमक्ति नेवा को जिसके बाद पेंशन योग्य नौकरी मिली हो, गिने जाने के लिए सामान्य शर्तें पूरी की गई हों, अप्रेल, 1970 में आदेश जारी किए गए थे। ये आदेश पहली अप्रेल, 1970 से लागू किए गए, यद्यपि याद्धी कार्मिकों के स्थान पर इस प्रकार की गई सेवा को पेंशन के लिए गिने जाने का मामला पहले से प्राप्त एक प्रतिवेदन के परिणाम-स्वरूप चलाया जा चुका था और तब से और भी प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं, फिर भी उक्त आदेशों को पूर्व व्यापक रूप नहीं दिया गया है। क्योंकि सरकार की स्वीकृत नीति के अनुसार प्रगामी वित्तीय रियायत सामान्यत: पूर्व व्यापी आधार पर नहीं दिए जाते हैं, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रतिवेदन भेजा था उसे इन आदेशों से होने वाला लाभ नहीं दिया जा सका क्योंकि वह 1965 में सेवा निवृत्त हो गया था।

शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा करवाने के बारे में संसद सदस्य से अभ्यावेदन

2700. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि वह बंग बंधु मुजीबुर-रहमान को पश्चिम पाकिस्तान की जेल से बिना शर्त रिहा करवाने के लिये विश्व मत बनाने के लिये पहल करे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप्मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर सरकार मित्र देशों से सम्पर्क बनाए हुए है।

सोनेवडा स्थित एयरों इंजिन फैक्ट्री में कार्य कर रहे स्थानीय लोग

2701. श्री के० प्रधान : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोनेवडा स्थित एयरो इंजिन फैक्ट्री में सेवाओं के विभिन्न वर्गों में कार्य कर रहे स्थानीय लोगों की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों को नौकरी दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सोनेवडा स्थित एयरो इंजिन फैक्ट्री में विभिन्न सेवा वर्गों में कार्य कर रहे उड़ीसा में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 45 प्रतिशत है।

(ख) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को दी गई नियुक्तियों का प्रतिशत क्रमश: 4.3 और 1.3 है।

चीन द्वारा परमाणु पनडुब्बियां बनाया जाना

2702. श्री राव वीरेन्द्र सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को पढ़ा है कि चीन ने परमाणु पनडुब्बियां बनाना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) चीन की पनडुब्बियों से संभव खतरे के आकार और परिमाण से सरकार अवगत है। अपनी पनडुब्बी-रोधी शक्तियां-सतह पर एवं हवाई दोनों ही—में दृढ़ता एवं वृद्धि लाने के लिए सारी संभव कार्यवाइयां की जा रही हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

खजुराहो से सैंकड़ों विख्यातरत्यात्मक मूर्तियों के हटाये जाने का समाचार

Reported removal of hundreds of famed erotic sculptures from Khajuraho

श्री विक्रम चंद महाजन (काँगड़ा) : श्रीमन्, मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"खुजराहों से सैंकड़ों विख्यातरत्यात्मक मूर्तियों के हटाये जाने, उनको विदेशों को बेच दिये जाने तथा चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के एक मंदिर से भगवान विष्णु की एक आदम-कद कांस्य प्रतिमा एक अमरीकी खरीददार को पचास लाख रुपये में बेची जाने के समाचार।"

विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राव) : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर दिलाया है, जिससे सरकार बहुत चिन्तित है और वह उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हमारी कला कृतियों की चोरी एक गम्भीर मामला है और निःसन्देह इस समस्या का बखूबी और सख्ती से समाधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार की चोरियां रोकी जाने और उन पर काबू पाने के उद्देश्य से इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करने और एक उचित योजना बनाने के लिए मैंने 30 जून, 1971 को एक सम्मेलन बुलाया है और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, मैंने काफी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से जिम्मेदार अधिकारी भेजने का अनुरोध किया है। इस प्रकार की चोरियों को रोकने तथा अवैध रूप से हमारी कलाकृतियों को हमारे देश से बाहर ले जाने को रोकने के लिए सरकार ने पहले ही अनेक उपाय किये हैं। अब तक इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) केन्द्रीय सरक्षित स्मारकों में और उसके आस पास तितर-बित्तर पड़ी मूर्तियाँ, जिनकी उस स्थान पर जहां कि वे पड़ी हैं पर्याप्त सुरक्षा नहीं की जा सकती, उन्हें एकत्रित करके मूर्तियों के शेडों में रखा जा रहा है जहाँ उनकी अच्छी प्रकार से देख भाल की जा सकती है।

(2) केन्द्र सुरक्षित स्मारकों के पहरा-निगरानी के स्टाफ को सुदृढ़ किया गया है। स्मारक पस्विरों के 1695 और अधिक पद स्वीकृत किए गए हैं और उन पर नियुक्तियां की जा रही हैं।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन चुने हुए संग्रहालयों और स्मारकों पर पुलिस गारद की व्यवस्था करायें।

(4) सर्वेक्षण के पहरा-निगरानी स्टाफ को अधिक सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी गई है। चोरी के मामलों में तत्काल पुलिस को सूचित किया जाता है।

(5) ज्योंहि चोरी के मामले नजर में आते हैं, उनकी सूचना विशेयज्ञ सलाहकार समिति और प्रमुख बन्दरगाहों के बीमा शुल्क प्राधिकारियों को भी भेजी जाती है ताकि चोरी हुए पुरावशेधों को देश के बाहर चोरी से भेजे जाने पर नजर रखी जा सके।

(6) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की मूर्तियों का पूर्ण प्रलेख न रखने के लिए सर्वेक्षण द्वारा एक क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है। प्रलेखन द्वारा चोरी गईं मूर्तियों की पहचान में सुविधा होगी और कलाकृतियों के तस्कर व्यापार की रोक थाम हो सकेगी। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक स्टाफ अनुमोदित किया गया है।

(7) अवैध तरीकों से पुरावाशेषों के बाहर भेजे जाने को रोकने के लिए विदेशों से द्विपक्षीय अनुबन्ध किये जाने का विचार है।

(8) यह प्रस्ताव है कि सीमा-शुल्क स्टाफ को पुरावशेषों की पहचान करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि चोरी से भारत के बाहर भेजे जाते समय वे पुरवाशेषों का पता लगा सकें। सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को चोरी से विदेशों में पुरवाशेषों को भेजने की रोक-थाम के कार्य में सहायता देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन उप-अधीक्षक पुरातत्ववेत्याओं के 6 पद अनुमोदित किए गए हैं, जिन्हें महत्वपूर्ण हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर तैनात किया जाएगा।

(9) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस श्रेणी के मामलों से संबंधित अपराधों अपराधियों तथा माल के केन्द्रीय रिकार्डों को रखना शुरू कर दिया है। यह कार्य जनवरी, 1969 से शुरू किया गया था।

(10) कलाकृतियों के सभी संग्रहकर्ताओं तथा विदेशी व्यापारियों की एक सूची संकलित करने में पेरिस स्थित आई०सी०पी०ओ० इन्टरपोल के महासचिव की सहायता ली गई है। पूर्ण होने पर यह सूची सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को भेज दी जाएगी ताकि कोई भी पैकिट जो सूची में अंकित व्यक्तियों के पतों पर और देश के बाहर चोरी से भेजे जाएं उनकी रोक-थाम की जा सके।

सरकार वर्तमान पुरवाशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को रद्द करने के लिए विचार कर रहे हैं, जो केवल पुरातत्व विषयक अथवा ऐतिहासिक दिलचस्पी अथवा महत्व की वस्तुओं के भारत से बाहर भेजने को नियंत्रित करता है और इसके स्थान पर एक अधिक व्यापक कानून बनाने का सरकार का विचार है।

(क) जिसमें यह व्यवस्था होगी कि केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अथवा अभिकरण ही सरकार की ओर से किसी पुरावस्तु का निर्यात करने की हकदार होगी और किसी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा एजेन्सी द्वारा इस प्रकार का निर्यात गैर कानूनी होगा।

(ख) किसी भी व्यक्ति के लिए, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लाइसेंस के बिना भी पुरावस्तु की बिक्री आदि का व्यापार करना वर्जित होगा।

(ग) इस प्रकार के लाइसेंस धारियों के लिए ऐसे रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिनमें उनके पास की पुरावस्तुओं का विवरण दिया गया होगा और ऐसे सभी रजिस्टरों को लाइसेंस अधिकारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं।

(घ) पुरावस्तुओं की तस्करी को रोकने लिए कठोर व्यवस्था करना और उसके के लिए विभिन्न दण्ड निर्धारित करना।

(ङ) सरकार को तलाशी लेने और माल जब्त करने के विस्तृत अधिकार देना, ताकि हमारी कलाकृतियों की चोरी रोकी जा सके और उन्हें देश के बाहर तस्करी द्वारा भेजने से भी रोका सके।

संसद के वर्तमान सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह आदरणीय सदन इस महत्व को समझता है कि भारत सरकार इस प्रकार की चोरियां आदि के मामले में चाहे जो कोई भी कदम उठाए, किन्तु इस प्रश्न का कानून तथा व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है जो कि राज्य विषय है, और जब तक कि हमारी राज्य सरकारें हमारे विभिन्न स्मारकों, मन्दिरों, मठों आदि से हमारी कला वस्तुओं की चोरियों को रोकने के लिए जोरदार कदम नहीं उठातीं, तब तक अकेली केन्द्रीय सरकार इस मामले में कारगार ढंग से कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। इसी प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त सम्मेलन इस महीने की 30 तारीख को बुलाया जा रहा है।

हमारी कुछ कलावस्तुओं की हानि से माननीय सदस्यों को जो चिन्ता हुई है उसको पूर्ण रूप से समझते हुए मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि यह सही नहीं है कि खजूराहों से सैंकड़ों मूर्तियाँ हटाई गई हैं और विदेशों को बेची गई हैं। सन् 1956 से लेकर 1968 तक केवल 6 चोरियां हुई हैं जिनमें 4 पाषाण मूर्तियां एवं 11 दीवारगीर मूर्तियों की हानि हुई है। यह बताने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं मामले को गम्भीर नहीं समझता हूं। एक मात्र कलावस्तु की चोरी भी इस बात के लिए पर्याप्त है कि उस पर काफी सख्ती और चुस्ती से कार्रवाई की जाए। फिर भी, इतना बताने का अभिप्राय केवल यही है कि माननीय सदस्यों की यह धारणा कि सैंकड़ों मूर्तियां हटाई जा चुकी हैं, सही नहीं है और वस्तुतः खजुराहो में 1956 से 1968 तक केवल 6 चोरियां हुई हैं। इनमें से 3 मूर्तियां मध्य प्रदेश पुलिस प्राधिकारियों द्वारा बरामद की जा चुकी हैं और वहाँ पर हमारे पहरा-निगरानी स्टाफ को भी सशक्त कर दिया गया है। वहाँ स्मारकों एव मूर्तियों की रक्षा के लिए अन्य संरक्षा उपाय भी कर दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में चम्बा के हरिराय मन्दिर से चुराई गई विष्णु प्रतिमा धातु की बनी हुई थी और लगभग 1000 वर्ष पुरानी थी। तथापि इसकी नियमित पूजा-अर्चना होती आ रही थी। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सम्बन्ध केवल मन्दिर के बाह्य क्षेत्र की देख भाल और इसके संरचना संबंधी परिक्षण से था। अतः गर्भ-गृह के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण उत्तरदायी नहीं था और प्रतिमा भी भारतीय सर्वेक्षण की अभिरक्षा में नहीं थी। वास्तव में उस मन्दिर का पुजारी न केवल उस गर्भ गृह का प्रभारी था, अपितु वह प्रतिमा भी उसकी अभिरक्षा में थी। गर्भ गृह की चाबियां भी पुजारी के पास रहती थीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संबंध तो केवल मन्दिर की संरचना संबंधी मजबूती और उसके परिरक्षण से था। तथापि सरकार यह बात न तो सफाई के रूप में कह रही है और न ही यह कह रही है कि ऐसी चोरियां को रोकने के लिए और उस प्रतिमा को, यद्यपि वह पुरातत्व सर्वेक्षण की अभिरक्षा में नहीं थी, बरामद करने के लिए कड़ी

कार्रवाई न की जाए। भारत सरकार को इस चोरी का पता 7 मई 1971 को चला था और तब से सरकार अपराधी के पकड़े जाने और प्रतिमा के बरामद होने के संबंध में जानने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है। चोरी का पता चलने के तत्काल बाद चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के सदर पुलिस थाने के पुलिस प्राधिकारियों के पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) संख्या 20 और तारीख 7 मई 1971 है। यह मामला सुबह 6.30 बजे अर्थात् चोरी होने की रात के बाद यथा समय सुबह दर्ज कराया गया। इस मामले के दर्ज होने के तुरन्त बाद हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग ने इसकी जांच के लिए एक उप पुलिस अधीक्षक के अधीन विशेष स्टाफ नैनात किया और भारत में संबंधित सभी स्थानों की पुलिस को वायरलैस के जरिए सावधान कर दिया था ताकि चुराई गई प्रतिमा बरामद की जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि इस मामले के संबंध में जोर के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक की जांच पड़ताल से यह पता चला है कि प्रतिमा 3 व्यक्तियों के द्वारा चुराई गई थी जो एक कार में आए थे और घटना की रात को चम्बा में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि अब तक की जांच पड़ताल से चोरी के लिए जिम्मेदार संदिग्ध गिरोह का पता लगाना सम्भव हो सका है और इस गिरोह के पाँच आदमी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। शेष अभियुक्तों को पकड़ने और प्रतिमा को प्राप्त करने के लिए सशक्त प्रयत्न किए जा रहें हैं। अब तक की गई जांच पड़ताल से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि चुराई गई प्रतिमा भारत के बाहर ले जाई गई हैं। तथापि, चूंकि यह आशंका थी कि प्रतिमा को चोरी से भारत के बाहर ले जाने की कोशिश की जाएगी, अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इन्टरपोल विभाग ने सभी जांच चौकियों को सावधान कर दिया है ताकि ऐसा न किया जा सके। इन्टरपोल के महासचिव को एक तार भेजा गया है जिसमें प्रतिमा का विवरण दिया गया है और यह अनुरोध किया गया है कि सभी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरों को सावधान कर दिया जाय ताकि यह प्रतिमा किसी देश में नजर आने पर भारत को इस संबध में सूचना दे दी जाए।

इस मामले की सक्रिय रूप से पड़ताल की जा रही है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि जब तक जाँच पड़ताल पूरी न हो जाये, तब तक इस बारे में और कोई ब्यौरा देना जन-हित में नहीं होगा।

श्री विक्रम चन्द महाजन : बहुमूल्य मूर्तियों की भारत से तस्करी की जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जैन मन्दिर देवगिरी, उत्तर प्रदेश, रानीखेत के मन्दिरों और मध्य प्रदेश के भड़ौच जिले से 20 मूर्तियां चुराई गई हैं। खजूराहो के मन्दिर से करोड़ों डालर की मूर्तियाँ चुराई गई हैं और उनकी विदेशों में तस्करी की गई है। माननीय मंत्री को पूरी जाँच करनी चाहिये कि क्या पुरातत्व-विभाग ने सदन को इस बारे में समुचित जानकारी दी है अथवा नहीं।

'नेशनल हेराल्ड'' ने उल्लेख किया है कि चम्बा के हरी रास मन्दिर से 6 मई को विष्णु भगवान की मूर्ति चोरी की गई थी, आज 21 जून को भी उक्त मूर्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आदमकद की उस मूर्ति का वजन 100 किलो ग्राम है और उसकी कीमत 60-70 लाख रुपये है। स्त्रोतों से पता लगता है कि अन्ततः उसको अमरीका का एक विशेष संग्राहलय खरीदेगा।

19 तारीख के 'नवभारत' ने चोरी की गई मूर्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपये आँकी है।

माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि मन्दिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है

लेकिन मूर्ति नहीं । मन्दिर को कोई उठाकर विदेश नहीं ले जा सकता । मुझे आशा है कि भविष्य में मूर्तियों के संरक्षण का कार्य भी पुरातत्व विभाग द्वारा किया जायेगा । यह विशेष प्रतिमा 100 किलोग्राम की है और पुलिस या स्थानीय पुजारी की सांठ-गांठ के बिना कोई व्यक्ति मूर्ति को उठाकर नहीं ले जा सकता ।

क्या सरकार ने उक्त पुजारी को हिरासत में लिया है ? दूसरे, पुरातत्व विभाग ने मूर्तियों या मन्दिरों को संरक्षण देने का निर्णय किस आधार पर किया ? मूर्तियों की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिये अधिकतम कितनी सजा की व्यवस्था की गई है । खजुराहो और चम्बा के मन्दिरों को संरक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि मैंने न केवल दिल्ली में अधिकारियों से विचार-विमर्श किया है लेकिन मैंने श्री विनोद शंकर से जो पुरातत्वीय विभाग की ओर से खजुराहो में इंचार्ज हैं, विचार-विमर्श किया है ।

इस सम्बन्ध में की गई जांच से विदित होता है कि माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़े ठीक नहीं है और मैंने जो अपने वक्तव्य में आंकड़े दिये हैं, वे ही ठीक हैं । सरकार इस बात के लिये उपाय करेगी कि इस प्रकार की चोरी को रोका जाये ।

सरकार से इस बात के बारे में पूछताछ की गई है कि पुजारी को गिरफ्तार नहीं किया गया । ईश्वरी प्रसाद ने सर्वप्रथम 7 तारीख को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने मन्दिर को ताला लगाया था और वह चला गया था । बाद में आने पर उसे विदित हुआ कि मूर्ति यहां से गायब है । ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वही मन्दिर का पुजारी है क्योंकि मन्दिर की चाबी उसी के पास रहती है ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दोष-सिद्ध हुआ है ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : चम्बा के मन्दिर से चुराई गई मूर्तियों के बारे में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ है और अधिकतम सजा कितनी दी गई है ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : वर्ष 1952 से 1971 तक 168 चोरियाँ हुई हैं । इस बारे में मेरे पास सारे आँकड़े उपलब्ध हैं । माननीय सदस्य चाहें तो मुझसे मिलकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

Shri G. P. Yadav (Katihar) : The actual culprits in the matter of stealing statues have not been arrested due to the irregularities committed by the Delhi Police, Delhi Police have not taken any action in this regard. A thorough enquiry in this matter should be made and the matter should be entrusted to C.B:I,

I want to know whether Goverument is intending to put some pressure on Ameriea in this regard.

I also want to know whether Government wiil post some archaeological experts at the ports to see whether the stolen idols are not the pieces of ancient culture ?

I also want to know whether Governmcnt will appoint some Idol Protection Force for the protection of these idols.

Lastly, I want to know whether the Government is intending to make a list of idols, which are of cultural importance, kept in temples and museums ?

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार इस बारे में जांच कर रही हैं । उसने इस मामले में अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं । राज्य सरकार इस मामले में उचित तौर पर जांच कर रही है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की अभी आवश्यकता नहीं है ।

यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले में जाँच के बाद दूतावास स्तर पर अमरीका के साथ कार्यवाही की जायेगी ।

भारत के पतनों से मूर्तियों की चोरी को रोकने के लिये सरकार का ऐसी सुविधाएं देने का प्रस्ताव है जिनका मैंने विवरण में उल्लेख किया है और 6 व्यक्तियों को पुरानी कलाकृतियों को पहचानने के लिये पुरातत्वविद उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने का सरकार का विचार है ।

संरक्षण दल की स्थापना करने के बारे में इस पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । सरकार ने स्मारकों की देखभाल के लिये 'मोन्युमेंट अटेन्डेंट' के 1600 नये पदों की मंजूरी दी है ।

मूर्तियों की सूची बनाने के बारे में हम बहुत कुछ कर रहे हैं । भारत के विभिन्न स्थान पर स्थित महत्वपूर्ण कलाकृतियों के हम फोटो ले रहे हैं । सरकार इस बारे में यथा शीघ्र कार्यवाही कर रही है ।

Shri G. P. Yadav : As I have already told, I have some facts with me but I am doubtful whether the hon. Minister will take any action against those high-ups. I, therefore, want that the matter may be referred to C.B.I. However, I will try to pass on the relevant information to him in this matter.

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देता हूं कि कि हिमाचल प्रदेश पुलिस इस बारे में पहले ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पूरा सहयोग कर रही है । राज्य सरकार की प्रार्थना पर ही इसकी जांच का कार्य राज्य पुलिस से लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा सकता है ।

श्री सेल्लियान (**कुम्बकोणम**) समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि देश से 100 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ, पुराने जेवरात और मूर्तियों की तस्करी की गई है । माननीय मंत्री के हिसाब ये आँकड़े बहुत अधिक हैं । वास्तव में सरकार और अधिकारियों को इस बात की स्वयं जानकारी नहीं है कि उन प्रत्येक मन्दिरों में कितनी मूर्तियां थीं ।

राजस्थान के गृह मंत्री ने फरवरी, 1969 में राजस्थान विधान सभा में बताया था कि 48 व्यक्तियों को 200 मूर्तियों की चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था । उसमें से 10 मूर्तियां अहमदाबाद, 10 पालमपुर और 152 मूर्तियां दिल्ली में पकड़ी गई थी । दिल्ली न केवल भारत की राजनीतिक राजधानी है बल्कि तस्करों के लिये महत्वपूर्ण नगर है । इतनी मूर्तियों की चोरी हो जाने के बाद भी सरकार द्वारा उनकी सूची न बनाने के क्या कारण हैं ? ऐसा भ्रष्टाचार अधिकारियों और सरकार की देश की सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण की ओर उपेक्षा का रवैया अपनाने के कारण हो रहा है । माननीय मंत्री इसका भार राज्य सरकारों पर डालने का प्रयास कर रहें हैं । लेकिन पुरातत्वीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना तथा उन्हें संरक्षण देने का सारा दायित्व केन्द्रीय सरकार का है । कानून और व्यवस्था का प्रश्न मूर्तियों के चोरी चले जाने के बाद आता है । यदि केन्द्रीय सरकार मूर्तियों की रक्षा और उन्हें संरक्षण देने में असमर्थ है तो वह अपना दायित्व राज्य सरकारों को सौंप सकती है ।

मंत्री महोदय ने दूतावासों की सहायता लेने का भी उल्लेख किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि देश से बाहर ले जाई गई ऐसी कोई कलाकृति 'इन्टरपोल' या अन्य किसी एजेंसी की सहायता से कभी बरामद की गई ?

मैं सर्व प्रथम यह जानना चाहता हूं कि सैकड़ों मूर्तियों की चोरी होने के बावजूद भी उनके बारे में दस्तावेज क्यों नहीं तैयार किये गये ?

दूसरे, कानून और व्यवस्था के प्रश्न को क्यों बीच में लाया गया है जबकि प्राचीन स्मारकों की रक्षा करना और उनको संरक्षण देने का कार्य केन्द्रीय सरकार का है ? क्या सरकार यह दायित्व राज्यों सरकारों को सौंपेगी ।

तीसरे, क्या 'इन्टरपोल' से कुछ सहायता मिली है ? कितने मामलों में चोरी की गई वस्तुएं बरामद की गईं ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : वर्ष 1967 के बाद कलाकृतियों की चोरी में भारी वृद्धि हुई है । इन कलाकृत्तियों के बारे में उचित दस्तावेज हैं ।

केन्द्र और राज्य सरकारों को मूर्तियां बरामद करने में मिलकर काम करना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये दिल्ली में 30 जून को एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें इस विषय पर विस्तार से वार्ता की जायेगी । जहां तक इन्टरपोल आर्गेनाइजेशन का सम्बन्ध है । वे प्रत्येक देश में विभिन्न अपराध ब्यूरो के माध्यम से कार्य करते हैं । जैसा माननीय सदस्य को पता है । इन्टरपोल से अवश्य लाभ हुये हैं यह उचित है कि ऐसे मामले में इन्टरपोल की सहायता ली जाय । हमने 'इन्टरपोल' अधिकारियों को मूर्तियों की चोरी के बारे में सूचित कर दिया है ।

प्रो० एस०एल० सक्सेना (महाराजगंज) : दिनाँक 19-6-71 को टाइम्स आफ इण्डिया में 'मूर्तियों का चोर-व्यापार' के संबंध में एक समाचार छपा था जिसमें लिखा था कि पिछले दस वर्षों में अपने देश में एक हजार के लगभग मूर्तियां चुराकर विदेशियों के हाथों बेची गई । समझ में नहीं आता कि क्या हमारा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन वर्षों में सो रहा था ? पुरातत्व वस्तुएं तो किसी भी राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति की जान होती है । अतः यह सरकार का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हो जाता है कि इनकी चोरियों को रोका जाये ।

माननीय मंत्री ने इसके बारे में राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व की बात की है । पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है अतः केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व को राज्य सरकार पर नहीं फैंक सकती । उसे स्वयं ही इस संबंध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए । राज्य सरकार तो केवल अपनी पुलिस से इस संबंध में ही सहायता कर सकती है ।

मेरा अनुरोध है कि चम्बा की विष्णु की मूर्ति की चोरी का मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये और तब राज्य की पुलिस की सहायता ली जाये, इस प्रकार के मामलों में प्रक्रिया ही यही होनी चाहिये । न कि यह कि पहले राज्य की पुलिस मामले की जाँच करे और फिर बाद में मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाये ।

बड़ी विचित्र बात है कि हिमाचल पुलिस के पास पहली सूचना रिपोर्ट में मूर्ति का मूल्य केवल 4000 रुपये ही बताया गया था जबकि मूर्ति का मूल्य 70 लाख रुपये हैं । समाचार पत्रों के अनुसार यह मूर्ति अभी भी भारत में है अतः इसे ढूँढा जाना चाहिये । परन्तु यदि इसे विदेश ले जाया जा चुका है तो इसे वापस भारत लाने के सभी संभव प्रयत्न होने चाहिये । मै आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी सभी बातों का स्पष्ट रूप में उत्तर देंगे ।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : माननीय सदस्य ने हजारों कलात्मक वस्तुओं की चोरी की बात की है । हमारे देश में पुरातत्वी महत्व की कलात्मक वस्तुएं हैं जो कि सरकारी नियन्त्रण में है और इस प्रकार के स्थान एवं वस्तुएं भी हैं जो सरकारी नियन्त्रण में नहीं है अपितु निजी है । पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियन्त्रण के स्थानों के सभी आंकड़े हमारे पास हैं और माननीय सदस्य किसी भी समय वह आंकडे देख सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि पुरातत्व महत्व के स्थान एवं वस्तुएं केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में होते हुए भी इन चोरियों के संबंध में चोरी की जांच का कार्य संबंधित राज्य सरकार की पुलिस का ही कार्य है। हां राज्य सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच करने के लिये सहायता प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार के मामलों में समन्वय लाने की दृष्टि से हम कार्यवाही कर रहे हैं। इसी पर विचार करने के लिए हमने 30 जून को एक सम्मेलन बुलाया है ।

जहाँ तक मूर्ति के देश से बाहर ले जाये जाने वाली बात है सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं इससे अधिक कुछ भी कहना संभव नहीं समझता क्योंकि मामले की अभी तक जांच हो रही है।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : It is very strange that thefts are taking place in God ; abode also and not only things from the Temple but even the God's themselves are being stolen. These thefts are not such a matter where responsibility could merely thrown an State Governments alone. The Central Government also has responsibility towards this. There is an International gang in Delhi, which gets these idols stolen and then sells these idols in America. This gang has got connections with big persons. Therefore I say that in these circumstances Central Government has great responsibilities. It is alright that a law is being enacted to check the theft of antiques, but what special efforts would be made to enact this Bill ? The Government should also ensure that no political influence would be tolerated in this regard,

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि देश के कानून इस संबंध में बहुत स्पष्ट है। चोरी का मामला स्पष्टतया राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है और केन्द्रीय सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इन चोरियों आदि की समुचित जाँच तथा इनके ढूँढने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जहां तक नये कानून का संबंध है उसे उचित ढंग से लागू किया जायेगा।

आंतिरक सुरक्षा बनाये रखना संबंधी विधेयक के पारित करने के बारे में

RE. PASSING OF THE MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY BILL

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : क्या में आप की अनुमति के साथ आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना वधेयक के बारे में कुछ कह सकता हूँ। मैंने आपको इस बारे मे पूर्व सूचना भी दे दी है। शुक्रवार सायंकाल को चर्चा समाप्त होने पर सदन में बहुत शोर हो रहा था और मेरे अतिरिक्त विपक्ष के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये थे। उस शोर के कारण मुझे इस बिल पर मत देकर अपना विरोध व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। यदि टेप रिकार्डर चला कर मुझे सुनवा दिया जाए है कि विधेयक को मतदान के किए प्रस्तुत किया गया था तो यह उचित होगा तथा मेरा भी संतोष हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उपाध्यक्ष से पूछ कर जानकारी ले ली है कि पूरी प्रक्रिया के उपरान्त विधेयक मतदान के लिए रखा गया था और पारित किया गया था। इस संबंध में किसी चर्चा की मैं अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to raise a different matter though it is relevant to it. May I know in case there is any difference of opinion, is there any objection to replaying of the tape ?

अध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी की टिप्पणियों का महत्व दूसरी बातों से अधिक है

मैनें उपाध्यक्ष से बात करली है और मैं उनके विचारों को अधिक महत्व देता हूं। अच्छा भी यही होगा की इस बारे में कोई और पूर्वोदाहरण भी न बनाया जाये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरोसीन (अधिकतम मूल्यनिर्धाण) दूसरा संशोधन आदेश

पेट्रोलयम तथा रसायन मंत्री (श्री सी० सी. सेठी) : मैं. अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केरोसीन (अधिकतम मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, की एक प्रति सभा पटल, पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 मई में अधिसूचना संख्या जी० एस ०आर० 809 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में. रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 473/71]।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्री मान् मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूँ कि लोक सभा द्वारा 15 जून 1971 को पास किये गये विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1971 के संबंध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नही करनी है।

सदस्यों की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे ए. सी. एम. आई. कानपुर से दिनांक 20 जून, 1971 का निम्नलिखित वेतार सन्देश प्राप्त हुआ है :

लोक सभा सदस्य, सर्वश्री सम रतन शर्मा और महादीपक सिंह शाक्य को रेल अधिनियम की धारा 120 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 147/341 के अधीन दिनांक 20 जून, 1971 को 11·05 बजे कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल कानपुर में रखा गया। उपरोक्त सदस्य भारतीय जनसंघ के कई अन्य सदस्यों के साथ रेल भाड़े में हुई वृद्धि के विरूद्ध रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे और लखनऊ झांसी मेल के इंजिन के आगे खडे होकर उसके चलने में बाधा डाल रहे थे। इन सदस्यों को कहा गया कि वे जमानत पर रिहा हो सकते है किन्तु उन्होंने जमानत देने से इनकार कर दिया। सरकारी रेलवे पुलिस, कानपुर के पुलिस स्टेशन में एक मामला अपराध संख्या 445 पंजिकृत किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है कि आगामी कल से मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थागित नहीं होगी ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2·04 म० प० बजे पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seven minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड ह्यर्बर) : श्री मान् मैंने इंडियन आयल कारपोरेशन के प्रधान द्वारा जांच आयोग के समक्ष झूठी फाइल प्रस्तुत करने के संबंध में आपको पत्र लिखा है । यह बहुत ही गंभीर मामला है । सरकार इस की जांच करें तथा भविष्य में इस प्रकार की बातों को देखा जाना चहिए ।

संविधान अनुच्छेद 350 के अधीन गुजरात राज्य के संबंध मे राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के बारे मे संविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION REGARDING PROCLAMATION ISSUED UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO THE STATE OF GUJARAT--ADOPTED.

गृह मत्रालय मे उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहासेन) : श्रीमान् श्री कृष्ण चन्द्र पंत की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

कि यह सभा संविधान के अनुछेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के संबँध में राष्ट्रपति द्वारा 15 मई, 1971 को जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन करती है ।

गुजरात विधान सभा में 3 मार्च, 1971 को अर्वखास प्रस्ताव पर विचार होने से तुरन्त पहले मुख्य मंत्री श्री हितेन्द्र देसाई ने अपना त्यागपत्र दे दिया था । तथापि, बाद में उन्होंने नया मंत्री मंडल बनाने हेतु आमंत्रित किये जाने के लिए बहुमत का भी दावा किया था । राज्यपाल ने जब यह पाया श्री हितेन्द्र देसाई को बहुमत प्राप्त है तो उन्होंने नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए उन्हे आमंत्रित किया । 7 अप्रैल, 1971 को श्री हितेन्द्र देसाई ने नया मंत्रि मंडल गठित किया ।

बाद में मई मास में राज्य में सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने दल मे त्यागपत्र दे दिया और परिणामत: मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने का परामर्श दिया । राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि यदि विधान सभा भंग की गई तो 3 जुलाई, 1971 तक बजट पास नहीं किया जा सकेगा जिससे कि राज्य के प्रशासन का कार्य ठप्प हो जायेगा । मुख्य मंत्री ने इस कठिनाई को समझ कर संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उदघोषणा जारी करने में आपत्ति नहीं की । उन्होंने काम चलाऊ सरकार के मुख्य मत्री के रूप में अपने दावे के लिए दवाब नहीं डाला । राज्य पाल इस बात से भी सहमत थे कि विपक्षी नेता भी स्थायी सरकार नही बना सकते

अत: उन्होने सिफारित की कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले ले। इस सिफारिश के अनुसार यह राष्ट्रपति की उदघोषणा जारी की गई है और 13 मई 1971 को राज्य विधान सभा भँग कर दी गई है। अनुच्छेद 356 के खण्ड 3 के अनुसार गुजरात राज्य के बारे में जारी की गई उदघोषणा को यदि 13 जुलाई, 1971 तक संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो यह उदघोषणा उस दिन से लागू नहीं रहती। यद्यपि सरकार राज्य में शीतिघ्राशीघ्र चुनाव कराने को इच्छुक है परन्तु चूंकि चुनाव कराना इस वर्ष अक्टूबर के बाद ही संभव हो सकेगा। अत: मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस उदघोषणा को अनुमोदित किया जाये जिससे यह छह मास की और अवधि के लिये लागू रह सके। उदघोषणा राज्य सभा द्वारा पहले ही अनुमोदित हो चुकी है।

इस संबंध मे राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां प्रत्यायोजित करने वाला एक विधेयक बहुत जल्दी सभा में पुर:स्थापित करने का हमारा विचार है। उसमें परामर्श-दातृ समिति के गठन की भी व्यवस्था हो जायेगी जिसमें संसद सदस्य भी सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति शासन के दौरान हमारा काम केवल प्रशासन चलाने तक सीमित नहीं होगा बल्कि राज्य का विकास कार्य तेज करने के लिए भी हर सम्भव प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : गुजरात में राष्ट्रपति शासन शासक काँग्रेस दल के द्वारा राजनीतिज्ञ खरीदे जाने का परिणाम है बिहार और उत्तर प्रदेश में सत्तारुढ कांग्रेस गैर: कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करने के लिये ही सफल नहीं हुई बल्कि दल बदलने वाले सदस्यों की सहायता से वहां पर कांग्रेस सरकार स्थापित करने में भी सफल हो गई है। समस्त देश में दल बदलने की इस प्रवृत्ति का परित्याग किया जाना चाहिए। हम सब जानते है कि शासन कांग्रेस के केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों को अपदस्थ करने का निर्णय किया हैं और राज्यों में अपने दल को इसी के अनुसार कार्यवाही करने के लिये कहा गया है यदि कोई अन्य दल इस प्रकार की कार्यवाही करता है तो सत्तारुढ कांग्रेस निवारक निरोध अधिनियम लागू कर देती है परन्तु क्योंकि वे स्वयं यह खेल खेल रहे है, इसीलिए वे इसका समर्थन कर रहे हैं। केवल पंजाब में उनको कुछ निराशा हुई है क्योंकि वहां इनको कुछ लाभ नहीं हुआ है। हम दल बदलने के सदा विरोधी रहे हैं। वर्ष 1968 में श्री ज्योति बसु को बंगाल में सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को इस कार्यवाही की सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बहुत सराहना की थी यद्यपि श्री धर्मवीर की कार्यवाही भारतीय संविधान के विरुद्ध थी। उड़ीसा के राज्यपाल ने माध्यावधि चुनाव की पूर्वसंध्या को उड़ीसा की विधान सभा का विघटन कर दिया था और विरोधी पक्ष को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया था उस समय भी राज्यपाल की कार्यवाही की इस लिये भी आलोचना की गई थी कि उन्होंने अन्य दलों द्वारा सरकार बनाये जाने की सम्भावना का पता लगाये बिना मुख्य मंत्री के कहने पर विधानसभा का विघटन कर दिया था। परन्तु उस समय सत्तारूढ़ दल ने राज्यपाल की कार्यवाही का समर्थन किया था। परन्तु पंजाब के राज्यपाल की कार्यवाही को उन्हों ने उसी रूप मे ग्रहण नहीं किया क्योंकि उन्होने सत्तारुढ़ कांग्रेस को 17 अकाली दलबदलुओं की सहायता से सरकार बनाने का अवसर नही दिया है। काँग्रेस नेताओं का यह दावा गलत है कि वे लोकतंत्र के समर्थक है। यह भी देखा गया है कि संविधान के उपबन्धों का सरकार

तभी आदर करती हैं जब उनसे उनको लाभ होना होता है। यदि उनका हित न होता हो तो वे उन उपबन्धो का उल्लंघन करने से भी नही हिचकिचाते।

कांग्रेस शासन में हमारा देश सही दिशा में प्रगति नहीं कर रहा है। जनसाधारण के कष्टों मे वृद्धि हो रही है। कांग्रेस दल सभी शक्तियां अपने हाथ में सकेन्द्रित करना चाहता है और इसी लिए प्रत्येक राज्य में वे कांग्रेस का शासन चाहते हैं। इसी लिये वे राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिये भी अधिक उत्सुक है जिससे वे अपनी सरकार स्थापित कर सकें। यदि आम चुनाव के बाद कांग्रेस दल विधायकों में दल बदलने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करता तो आज इतने राज्यो में राष्ट्रपति का शासन लागू नही होता। इन्हीं कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं।

Dr Laxminarain Pandey (Mandsaur): The ruling party has always been trying to topple the Governments formed by non-Congress parties in different states. Uptil now they have been successful in toppling the Governments of Bihar, Uttar Pradesh, Mysore and now Gujarat has also fallen. Defections have been managed by exercising pressure and offering allurements. Ruling party has always been encouraging defections to gain power. It will be recalled that a committee was appointed to suggest ways and means to check defections and its report was received in 1969 but no action has been taken thereon. There can be no stability if defections are not checked. The ruling party utilises Government resources, money and machinary to encourage defections. Constant efforts were made to dislodge the Government of Hitendra Desai. Unless ruling party decides that they will not encourage defections, non-Congress Governments will continue to be formed and dislodged. The Governor of Gujarat has stated that on 7th March, 1971, on the advice of the Chief Minister, the Ministry was expanded to make it stable and check further defections. He further mentioned that Shri Desai still claimed the support of 82 members in the Assembly. Congress (R) has 66 members of its own and has declared support of 7 Independents, thus bringing its total to 73. The ruling party now began its efforts to encourage defections. They adopted same tactics which they had adopted in Mysore, In fact defections should be banned through legislations and action should be taken on the report of the Defection Committee. They should take opposition parties into confidence and take a quickly decision. The honoravleMinister may please throw some light on the action taken by Government to check the defections.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) वर्ष 1969 में सयुक्त कांग्रेस के विभाजन से पूर्व प्रधान मंत्री गुजरात सरकार को सर्वोत्तम, सब से अधिक प्रगतिशील और स्थायी सरकार कह कर प्रशंसा किया करती थी। वास्तव में उन्होंने भूमि सुधार, मद्यनिषेध, प्रभावशाली विकास सहकारी समितियों आदि के बारे में सराहनीय कार्य किया था। इतनी अच्छी सरकार को अपदस्थ करने की जिम्मेदारी नई कांग्रेस पर है। यह दल सभी राज्यों में अपना शासन चाहता है और दल बदलने के लिये विधायकों को तरह तरह के प्रलोभन देता है। सब से बड़ा प्रलोभन धन का दिया जाता है। वर्ष 1979 में इनके सदस्यों की संख्या 7 थी गुजरात विधान सभा के विघटन के समय 1967 तक पहुँच गई थी, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि दलबदल रोकने के लिये वह यथाशीघ्र एक विधेयक पुरःस्थापित करे। उसमें यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि संसद् या विधान सभा का कोई सदस्य उस तारीख से संसद अथवा विधान सभा का सदस्य नहीं रहेगा जिससे वह, अपना दल बदलेगा।

गुजरात सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को निशुल्क कर दियाथा। परन्तु राज्यपाल ने उस आदेश को बदल दिया है। मैं समझता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था। गुजरात में पहले से सातवें स्टैंडर्ड तक शिक्षा निःशुल्क है। माध्यमिक शिक्षा लड़कियों, अनुसूचितों जातियों, अनुसूचित जन जातियो और अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिये भी, जिनके माता पिता या अभिभावको की आय 3600 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, निःशुल्क है।

राज्यपाल द्वारा संशोधित आदेश का लाभ केवल कुछ विद्यार्थियों को ही मिलता था। फिर जिन विद्यार्थियों को उक्त आदेश का लाभ मिलता है उन्हें आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसको प्राप्त करने में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अतः प्राथमिक शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा भी निशुल्क बना दी जानी चाहिये। सरकार द्वारा की गई तीन कार्यवाहियों में से राज्यपाल ने दो को मान्य करार दिया है और एक को रद्द कर दिया है। पहली कार्यवाही सिंचाई उप—कर की समाप्ति थी और दूसरी पिछड़े वर्गों को कृषि भूमि के आवंटन के बारे मे थी। इन दो को मान्य करार दिया गया है परन्तु नि.शुल्क माध्यामिक शिक्षा वाले आदेश को बदल दिया गया है। इसके क्या कारण हैं ? यह कहना अनुचित है कि मुख्य मंत्री ने केवल प्रेस वक्तव्य दिया था क्योंकि मैं जानता था कि उसपर शिक्षा विभाग के सचिव शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री के भी हस्ताक्षर थे।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद कुछ अधिकारियों को स्थानान्तरित किया गया है। राज्यपाल को किसी दल का पक्ष नहीं लेना चाहिये।

श्री रसिकलाल पारिख (सुरेन्द्रनगर) : मैं गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने का स्वागत करता हूँ। गुजरात में कांग्रेस (वि०) ने जनता का समर्थन खो दिया था और इसी लिए इस उद्घोषणा से अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई है और इसी लिये मैं इसका स्वागत करता हूँ।

[**श्री के०एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K.N. Tiwary *in the chair*]

गुजरात सरकार द्वारा अन्त में किये गये कुछ काम बहुत विचित्र थे। ये कार्य एक या दो मंत्रियों ने दिये थे यह राज्य के संसाधनों को बेकार खर्च करना था। वहां की सरकार मंत्रिमंडल का निर्माण कर नहीं सकी और इसलिए मुख्य मंत्री ने दो अन्य मंत्रियों की सहायता से उनके बारे में घोषणा कर दी। राज्यपाल ने फजूल खर्ची वाले काम को रोक दिया है और अन्य दो कार्यों की अनुमति दे दी है। निःशुल्क शिक्षा कर देने पर 4½ करोड़ रुपये की राशि खर्च होती जिसको बजट में सम्मिलित नही किया गया था और यह मंत्रिमंडल का निर्णय भी नहीं था।

व्यवधान राज्यपाल ने इन मामलों पर गुणदोष के आधार पर विचार करके ही यह कार्यवाही की और इस आदेश को स्वीकार नहीं किया।

जहां तक दल बदले जाने का सम्बन्ध है काँग्रेस सत्तारूढ़ और काँग्रेसी (वि०) दोनों में दल बदले गये थे। दोनों ओर से यह गल्ती की गई थी : अतः हमे एक ऐसी आचार संहिता अपनानी चाहिए जिससे दलबदलुओं को निरूत्साहित किया जाये। गुजरात सरकार ने शासन की बागडोर सम्भाले रखने के लिए दो तरीके अपनाये थे। उन्होने कुछ लोगों को सरकार में सम्मिलित करने के लिये मंत्रिमंडल में विस्तार किया और सभा-पतियों को वे सभी सुविधाएँ दी जो मंत्रियों को दी जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने 8 या 9 सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने अपने दल के सदस्यों को यह धमकाया कि यदि उन्होंने दल बदला तो उन के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इसके साथ ही वहाँ के मंत्रियों मे विचारधारा सम्बन्धी मतभेद भी था। वहाँ की स्थिति इतनी अनिश्चित थी कि राष्ट्रपति शासन की उदघोषणा से गुजपात की जनता ने चैन की

साँस ली है। मैं बता देना चाहता हूं कि राज्यपाल ने काग्रेस सत्तारूढ़ की राय नहीं ली है। यदि श्री चावड़ा को इस स्थिति से दुःख पहुँचता हैं तो हमें भी इसका दुःख है। परन्तु इस उदघोषणा के बाद हम अपने अपने कार्यों पर विचार कर सकते है और अपने जीवन का इस प्रकार पुनर्निर्माण कर सकते हैं जिससे जनता का हित हो।

राज्यपाल ने सरकार के उन्हीं आदेशों को वापिस लिया जिनका वापिस लिया जाना आवश्यक था। उन्होंने ऐसे कामों की पुष्टि भी की है जिनकी पुष्टी की जानी चाहिए थी। गुजरात में गैस के मूल्यों और ईधंन के काम आने वाले तेल के मूल्यों की समस्याएं है और नर्मदा नदी की पानी की भी समस्या हैं।

गुजरात के औद्योगिक जीवन को ध्यान में रखते हुए ईधंन के काम आने वाले तेल और गैस के मूल्य का महत्व बहुत अधिक है। यदि यह मामला बात चीत से सुलझ जाये तो ठीक है अन्यथा पंचनिर्णय करवा लिया जाये परन्तु पंचनिर्णय के लिये भी कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिससे इस मामले के बारे में शीघ्र निर्णय किया जा सके।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या नर्मदा के पानी की है। मुझे दुःख है कि नर्मदा का पानी बेकार जाता है। अतः मैं उपप्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि नर्मदा अधिकरण का पंचाट शीघ्र दिलवाने के लिये अपनी सद्भावना का उपयोग करें। मैं उस पंचाट को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

मैं राज्यपाल का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी कार्यवाही से जनता में विश्वास की भावना पैदा की है अन्त में मैं राष्ट्रपति शासन की उद्घोणा का स्वागत करता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं श्री रसिकलाल पारिख के भाषण के उत्तरार्ध का स्वागत करता हूं जिससे उन्होने गुजरात के साथ किये गये अन्याय का उल्लेख किया है। इस सरकार ने प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित करने में गुजरात के साथ बहुत अन्याय किया है। इसका मूल्य इतना अधिक निर्धारित किया गया है कि वाणिज्यिक स्तर पर उसका उपयोग करने के बारे में कोई व्यक्ति सोच भी नही सकता है। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा ने गुजरात को जो दिया हैं केन्द्रीय सरकार ने उससे उसको छीन लिया है।

नर्मदा के पानी के बारे में काफी समय से कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। सूरत और भडौंच में बाढ़ आने के कारण प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि होती है परन्तु इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। नवगांव में एक बांध बनाया जाना है। बाँध की ऊँचाई के बारे में भविष्य में निर्णय किया जा सकता है। इस बाँध के बन जाने से राजस्थान की भूमि सहित लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। मैंने मुख्य मंत्रियों सहित कई लोगों से कहा है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच इस आधार पर करार कर लिया जाये कि मध्य प्रदेश को जितना पानी चाहिए, वह ले ले और शेष पानी गुजरात के लिये छोड़ दे।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : प्रश्न बाँध की ऊंचाई का है।

श्री पीलू मोदी : इसकी ऊँचाई उतनी रख ली जाये जितनी ऊंचाई के बारे मे कोई विवाद नहीं है।

यह कहा गया है कि गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार इस लिये किया गया था कि उसमें और लोगों को सम्मिलित किया जा सकें। मैं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के मंत्रीमंडल के आकार की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसका प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। इस समय इनकी सँख्या लगभग 60 है। जहाँ तक सत्ता के साथ चिपटे रहने का सम्बन्ध है मैं यह कहता हू कि कौन व्यक्ति अथवा दल सत्ता के साथ चिपटा नहीं रहता। गत लोक सभा में जो कुछ हुआ, सब लोग जानते हैं काँग्रेस सत्तारूढ सत्ता के साथ चिपटने के नये से नये तरीके निकालती रहती है, यह कहना अनुचित है कि कांग्रेस (सत्तारूढ़) अपने प्रभाव का उपयोग नही करती है। सरकारों को अपदस्थ करने के बारे में श्री चावड़ा ने कुछ कहा है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं मैं अरोप लगाता हूं कि दल बदलवाने के लिये अत्यधिक धन का उपयोग किया गया है। मैंने ऐसे धन को स्वयँ अपनी आँखो से देखा है। सदस्यों को खरीदने के लिए इस धन का उपयोग किया गया था। जिन लोगों ने अपने जीवन में 2,000 या 4,000 रुपये नहीं देखे थें, उन्हें 50,000 या 70,000 रुपये तक दिये गये थे। इन तरिकों से सरकारों को अपदस्थ किया जा रहा है। इसी प्रकार इस महान देश को इतने घटिया स्तर पर लाया जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधियों के लिये यही दल जिम्मेदार है। इसलिये हमको अपना रवैया बदलना चाहिए।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Sir, I think that the end of Shri Hitandra Desai rule in Gujarat is a happy beginning towards socialism and that state also now develop in right direction.

The defection is a serious problem of the day. I am happy that Communist Party alone is free from that trouble. The members who defect from one party to the other for only money's sake are not really people's representatives.

Laws should be enacted and if n cessary, even the constitution should be amended to check defections. We have not given the people the right to recall their representatives from the legislative assemblies and parliament if they defect. That right be given to the people if you cannot check defections otherwise. Such laws should be enacted immediately.

No action has been taken on the report of Enquiry Commission on Ahmedabad riots. In this connection Vigilance Commission has named the officers involved in malpractices etc. during the riot, but they have not been punished. The Government should take action against such persons.

In the days of Shri Desai's regine, the mill owners has dismissed those persons from the service who were from minority communities and uptil now they have not been reemployed. I submit sir that these persons should be given employment immediately. This is very essential for secularism and it would generate self confidence in the various communities.

Efforts should be made whereby money may not play the role that democracy is supposed to play. Arrangements should also be made to enable the people to exercise their franchise freely.

डा० जीवराज मेहता (अमरेली) : मैं गुजरात के प्रशासन के राष्ट्रपति को अधिकार में लेने का स्वागत करता हूँ। दल बदल के दुष्परिणामों की चर्चा की गई है। उसे रोकने के लिए हमें शीघ्र ही विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

नर्मदा जल विवाद का एक मात्र हल नोवागाम बाँध बना कर किया जा सकता हैं। वहां जल नष्ट तो होता ही हैं साथ ही बाढ़ों से भी महान क्षति होती हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश को अपनी इच्छानुसार सिंचाई व्यवस्था के विकास में 50 वर्ष अथवा उससे भी अधिक समय लगेगा।

हमें तब तक समस्या का कोई अँतरिम हल शीघ्रता से निकालना चाहिए। मेरा सुझाव है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सँसद सदस्यों को मिल कर समस्या का समाधान करने की चेष्टा करनी चाहिये।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) जब एक ही कांग्रेस थी तब गुजरात की सरकार को अच्छा समझा जाता था दल के विभाजन के बाद दल बदल हुई।

विभाजन के बाद ऐसा वातावरण पैदा किया गया जिसमें मुस्लिम जनता अपने को असुरक्षित समझने लगे। सारे देश में लोग यह समझने लगे कि हरिजन तथा मुस्लिम केवल नई कांग्रेस के संरक्षण में सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा कुछ कार्यों द्वारा करने का प्रयत्न किया गया। चुनाव कराने से बहुत पहले इन बातों की अच्छी व्यवस्था कर ली गई थी।

हमने समझा था कि गुजरात में जो भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके शासन चलाने के रास्ते में बाधा नहीं डाली जाए।

राष्ट्रपति के शासन में पिछली सरकार द्वारा किये गये निर्णयों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का शासन नई कांग्रेस की इच्छानुसार किया गया है। इसलिये इस सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वहां की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाये।

वहां की सभी समस्याओं का रचनात्मक हल निकाला जाना चाहिए।

हम समझते हैं कि दल बदल हमारे देश की जन-तांत्रिक प्रणाली को शोभा नहीं देता। एक प्रतिनिधि सरकार को इस प्रकार गिराया जाना केन्द्र के लिये उचित नहीं है। वहां पर सरकार को व्यापक जन-समर्थन प्राप्त था। दुर्भाग्य से चुने हुए प्रतिनिधियों ने दल बदल की और आज वहां राष्ट्रपति का शासन है।

इस राज्य के सामने नर्मदा जल-विवाद, गैस प्रभार तथा करों की समस्या है। इन बातों में गुजरात के साथ भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। गुजरात में हमारी विद्युत शक्ति की दर बढ़ाई गई है जिसका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब सभी राज्य अपने प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर रहें हैं तो गुजरात को ही उनसे वंचित क्यों रखा जा रहा है? इस नीति को शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हम दृढ़ता से इसका विरोध करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं वर्तमान स्थिति पर खेद व्यक्त करता हूँ क्योंकि ऐसा किया जाना एक गलत बात है।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk): I welcome this step. I feel that this step should have been taken earlier.

I had an opportunity to go to Ahmedabad during the Ahmedabad riots. People ask that why I visited that area. I replied to them that there is no necessity of a visa for going there. The Government in Gujarat was about to fall at that time. When the members of the minority community approached the Chief Minister and said that they were facing death. The Chief Minister replied that the anger of the people would soon be coaled down.

The people approched the Governor, Shri Shriman Narayan and prayed for creating peace in that area. Then the Governor invited the effected areas. The newspapers were asked what to publish and what not to publish.

The report of the enquiry commission is today before the nation. If even after that some one says that the Government there was worthy to govern, that would be a strange thing.

When the Home Minister visited that state an M.L A. explained the position to fine. That M.L.A. was put under detentions. It is, therefore, true to say that there was no Government in the State.

I congratulate these M.L.A's who have given up co-operation is state Government.

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समान्यतया विरोध नहीं किया है। अपितु यहां पर कुछ सुझाव दिये गये हैं।

कुछ सदस्यों ने वहां पर दल बदल का उल्लेख किया है। दल बदल बुरी बात है। विरोधी दल के मेरे साथियों ने इसका उत्तरदायित्व कांग्रेस पर लगाया है। गुजरात विधान सभा में दल बदल आम चुनाव के बाद हुआ है। वहां दल बदल तब हुए हैं जब लोगों ने कांग्रेस को भारी समर्थन दिया है। इसी कारण मैसूर में दल बदल हुए थे। यदि कुछ लोग कहते हैं कि धन के लोभ से ऐसा हुआ है, तो यह उनकी ओर से हो सकता है, कांग्रेस की ओर से नहीं। केन्द्र में कांग्रेस दल सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पास धन कहां से आ सकता है। श्री पीलू मोदी के दल के पीछे बड़े बड़े पूंजीपति हैं इसलिए उनके पास के पर्याप्त धन है।

निश्चय ही दल बदल को कोई पसन्द नहीं करता। प्रधान मंत्री ने उसे रोकने के लिये सच्चे दिल से प्रयत्न किये हैं। उन्होंने पिछले दिसम्बर में विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत की थी। हम इस बारे में बड़े चिन्तित हैं। परन्तु इस बारे में सबके सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि दल बदल एक दल से दूसरे दल को होता है। उसे बिना किसी विधि के रोका जा सकता है। सरकार शीघ्र ही इस बारे में विधेयक रखेगी। परन्तु उससे पूर्व प्रधान मंत्री विरोधी दलों से परामर्श करना चाहती हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : दल बदल हमारी परम्परा है। मंत्री महोदय इसे रोक नहीं सकते। सबसे पहला दल बदल विभीषण था।

श्री मोहसिन : यह लक्ष्य विरोधी दलों के पूरे सहयोग के साथ पूरा किया जा सकता है। दल बदल पर एक समिति नियुक्त की गई थी, उसमें परामर्श होते रहे। उसमें
आधार पर एक विधेयक तैयार किया जा सकता है। परन्तु इसमें
भी अपेक्षित है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में सरकार

श्री चावड़ा का दूसरा प्रश्न श्री मनुभाई शाह

श्री के० एस० चावड़ा : भाषण के बदले नहीं :
के बारे में है।

श्री मोहसीन : यदि श्री मनुभाई शाह का वास्तव में यही मत होता तो वे हमारे दल में क्यों सम्मिलित होते। यह भी सम्भव है कि श्री चावड़ा तथा अन्य मित्रों को विश्वास हो जाये कि हमारी पार्टी में कदाचार नहीं होते तो वे भी इसमें सम्मिलित हो जायें।

ऐसी दलबदल रोकने के बारे में मैं उनके साथ हूं।

मुख्य मंत्री द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दी गई रियायतों की चर्चा की गई थी। तय यथ्ह है कि उन्होंने यह रियायतें पर भार छोड़ने से कुछ घंटे पूर्व ही घोषित की थी।

श्री के० एस० चावड़ा . कन्याओं की शिक्षा 1969 में निःशुल्क कर दी ही गई थी।

श्री मोहसिन : यदि वे इस बारे में सच्चे होते तो ऐसा बहुत पहले करते। राज्यपाल ने इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए, तथा राज्य के संसाधनों को देखते हुए ही ऐसा निर्णय लिया था। वास्तव में ऐसी रियायतें केवल गरीब लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। इस समय गरीब बच्चों को यह रियायतें उपलब्ध हैं। जो फीस देने की स्थिति मे हैं वे फीस क्यों न दें। जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 3600 रु0 से कम है उन्हें पूरी, तथा जिनके अभिभयावकों की आय 3600 रु0 से 4800 रुपए वार्षिक तक है उन्हें आधी फीस देनी पड़ती है।

श्री के0 एस0 चावड़ा : उन्हें आय प्रमाण--पत्र नहीं मिल पाते। अतः कुछ ही अमीर लोग बच पाते हैं। उसका लाभ क्या है ?

श्री मोहसिन : हमारे पास संसाधन नहीं हैं।

नर्मदा जल के उपयोग का मामला अन्तः राजीय जल विवाद अभिकरण को सौंप दिया गया है। अत : उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम उक्त आकरण के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करेंगे।

श्री डी0 डी0 देसाई : (कैरा) कावेरी जल की एक बूंद भी समुद्र को नहीं जाती जबकि नर्मदा का पूरा जल समुद्र को जाता है।

श्री मोहसिन : परन्तु हमें न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब ही सरकार इस पर विचार करेगी और सिंचाई मंत्री जल के उपयोग पर विचार करेंगे।

कुछ सदस्या ने गैस के मूल्य का मामला उठाया है। राज्यपाल स्वयं इस मामले पर विचार कर रहे हैं गुजरात के अधिकारी भी इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि समस्या का शीघ्र सन्तोषजनक हल निकल आएगा।

श्री के०एस० चावड़ा : इसमें कितना समय लगेगा। यह मामला तो सरकार पर ही निर्भर करता है।

श्री मोहसिन . वार्ताएं चल रही हैं। शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री डी०डी० देसाई : जल से पैदा होने वाली विद्युत पर भी प्रभार लगना चाहिए।

श्री मोहसिन : राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर ही की गई। उस समय गुजरात राज्य में दलीय स्थिति इस प्रकार थी : कां० (वि)-68, कांग्रेस (नई) 67, स्वतंत्र-11, निर्दलीय 13, प्रसोपा-3, जनसंघ-1, रिक्त स्थान 5। इससे स्पष्ट है कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। अतः मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि उद्घोषणा का अनुमोदन करे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा, संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 13 मई, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

पंजाब बजट—1971-72 सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगे (पंजाब), 1971-72

Punjab Budget, 1971-72—general Discussion and Demands for grants (Punjab), 1971-72

सभापति महोदय : हम पंजाब बजट पर बहस और अनुदानों की मांगों को एक साथ लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के कार्य पर निगरानी रखनी चाहिए। बीस वर्ष तक राज्यपालों को कोई कार्य नहीं करना होता था।

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई**
Shrimati Sheila Kaul *in the chair*]

1962 के बाद कांग्रेस ने राज्यों में सत्ता खोई। तब से ही उन्होंने राज्यपाल को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा की है। भले ही 1969 में राज्यपालों के सम्मेलन मे निश्चय किया गया था कि मुख्यमंत्री के बहुमत का निर्णय राज्यपाल द्वारा नहीं अपितु विधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए।

पूंजीपतियां की सहायता से केन्द्रीय सरकार ने बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया है और उसी से वह विधायकों को खरीदा गया था।

मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा को भंग किये जाने की शक्ति का हम पूर्णतया विरोध करते हैं। केन्द्रीय सरकार का इन कार्यवाहियों तथा राज्यपालों के रूप में इनकी राजनैतिक शक्तियों से केन्द्र तथा राज्यों के आपसी सम्बन्धों को गम्भीर हानि पहुंची है। नैतिकता का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। 1971 में श्री ज्योतिबसु को जो कि सबसे बड़े दल के नेता थे, विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने का अवसर तक नहीं दिया गया। यदि उनको ऐसा करने का अवसर प्रदान किया जाता

तो वह सिद्ध कर सकते थे कि बहुमत उनके साथ है। हम केवल एक सूत्र को मानते हैं कि बहुमत किसके साथ है इस बात को विधानसभा में सिद्ध किया जाना चाहिए। दूसरे सभा के नेता को सर्वप्रथम स्वयं को सभा में नेता सिद्ध करना चाहिए और तब उसको शपथ दिलायी जानी चाहिए। हम राष्ट्रपति शासन का विनिमोदन करते हैं क्योंकि यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। यह बड़े दुख और शर्म की बात है कि राष्ट्रपति शासन को बार बार लागू किया जा रहा है।

जहांतक पंजाब का सम्बन्ध है कांग्रेस दल का एक ग्रुप जिसको सरदार स्वर्णसिंह का समर्थन प्राप्त है, विधान सभा को भंग करने के पक्ष में था। इसलिए राज्यपाल ने विधान सभा को भंग कर दिया। विधायकों को खरीदने का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। हमें इतना पता है कि सरदार गुरनामसिंह को भी कांग्रेस टिकट देने का वचन गया दिया था। अतः इस प्रकार आपने पंजाब में नैतिकता का पतन किया।

पंजाब के बजट के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। उसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं था। परन्तु हम इतना जानते हैं कि हम एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जोकि हमें नहीं करना चाहिए। अकाली सरकार ने अध्यापकों के वेतन में असंगति को दूर करने के लिए 3 करोड़ रुपये रखने का वचन दिया था। परन्तु इस बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अराजपत्रित कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के लिये अभी बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है। पंजाब में बिजली की बहुत कमी है। इससे अर्थ-व्यवस्था को बहुत धक्का लगेगा। पंजाब के सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने अनेक बार अभ्यावेदन दिये हैं कि नंगल उर्वरक कारखाने को वर्ष में कुछ समय के लिये बन्द कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार बचने वाली बिजली को पंजाब सरकार को दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में सिनेमा शो को तथा वातानुकूलित मशीनों को आंशिक रूप से बन्द किया जा सकता है। दिल्ली में विद्युत चलित फुव्वारों को भी बन्द किया जा सकता है। परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार की इन बातों में रुचि नहीं है और इस प्रकार पंजाब के किसानों को हानि उठानी पड़ रही है। बजट में पुलिस के लिए बहुत अधिक धन की व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्री को बताना चाहिए कि ऐसा किन कारणों से किया गया है।

आशा है माननीय मंत्री इन सभी बातों का उत्तर देंगे।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : The Government which has been dismissed in Punjab was most corrupt. It was 80 currupt that bribe was taken for transfering a person from one place to another. The people are very happy that this cnrrupt Government has been dismissed.

There are no two opinions about it that Akali Government was communal and that Communists were supporting them. They failed to impose ceiling on the land holdings. I would request the Government to put ceiilng on the land holdings and distribute the surplus land to the landless labourers.

This budget has been framed by that Government about which I spoke highly just now. The cut in expenditure on Jails was motiveted by their policy of not punishing the Cutprits.

The teachers in Punjab lunched a movement for certain relief but they were put in jails and thusands of them were transfered. This is how they have been treated.

So for as the ability of the Akali minister is concerned I may request one intance. On an occassion the Minister of the Akali Government pronounced 'furniture' for 'future'. The Akali ministry was thinking in lectures of putting ceiling on 100 acres of land. Now there is Presidents rule in Punjab and I would request the Government to introduce land reformes in the state which are so badly needed there. The Akali Government also punished the Harijans because they had voted for Congress. All those police officials who helped the Harijans and saved them poor harassment by the Akali's were transfered from this police stations and subjected to Gardships.

A dam was constructed on Satluj with one and a half crores of rupees and lakhs of acres of land, which was meant for Harijan has been distributed amongst the big capitalists and landlords. The cooperatives societies of the Harijans were done away with. This is how the Harijans were treated there.

No provision has been made in the budget to the industries. There is no heavy industry in Punjab. The Akalis were not interested in establishing heavy industries in Punjab. They were interested in keeping the feudalism in tact. Some heavy industries should be established in that state.

An Enquiry Commission should be set up to enquire into the misdeeds of the defunct ministries.

The Scheams meant for providing drinking water to Hoshiarpur have been scrapped. Not even a single penny from the funds provided by the Central Goveanment for drinking water has been spent for the purpose. All the facilties have been provided in the village to which Shri Badal ex-Chief Minister belargs. This is how things were going on in Punjab. The Akali Government also took a decision that the Deputy Commissioner should work in consultations with the Jathedars. They were not interested in developing the state instead they were interested in party joins. Jathedars could use the 'Lathi' but not their brain. They also issued instructions that their programme should be prepared in consultation with the concerned Jathedar. This is how they were running the Government.

So far as the question of power shortage in Punjab is concerned all the blame was put on the Central Government. The people were carried away with this notion as they were illiterate.

Even the decisions in regard to the employees of the Secretariate were taken keeping in view their party offitiation.

In the end I would like to state that there is need i t reshape the budget. It is to be seen that more burden is not put on the poor.

I thank the chair for offording me an opportunity to speak.

Shri G.P. Yadav (Katihar) : It would have been better had this budget been placed before the Punjab Legislature Assembly. But the Governor of Punjab was forced by the circumstances to dissolve the Assembly. He has also dealt a severe below to the leaders who were indulging in horse trading.

The workers of the ruling party have opposed this act of the Governor and have also demanded his removal from this post. They should not forget that Shrimati Indira Gandhi sought the permission of the President to dissolve Lok Sabha in 1970 when she was in minority and ultimately she was successful in getting the Lok Sabha dissolved.

The ruling party is busy in toppling the Governments of opposition parties in states and unless this process is completed they will not bring any legislation for curbing defections.

What was needed is that Central Government should have taken some decisions in regard to the discretionary powers of the Governors. They have neither taken any decision in this regard nor they have issued any directions. The attempts made by tne Central Government to topple the United Front Government in endurable It the Government is really interested in curbing the tendency of defection it should being a legislation to this effect in this very session.

The ruling party has widened the gap between the Sikh and the non-Sikh. The difference between a Sikh and a non-Sikh should have been done away with as Punjab is a border state.

No scheme has been prepared to use extra water of Ravi and Sutluj which have been made available to India on the expiry of the Canal water Treaty with Pakistan on the 1st April 1970. It has been stated by Shri K. L. Rao that they have no funds for digging the canals. In fact the Government had forgotten that the treaty is going to expire on 1st April 1970 and that is why they did not formulate any scheme using their water during their period. Some provision in the budget should have been made for the purpose.

The Akali Government neglected the programme framed by the United Front and thing they deceived the people. The relation of the Akali Government in the common man was not good. Shri Darbara Singh has tried to take advantage in two forthcoming election from Harijans by than using their spirits. But I would like to till Shri Darbara Singh that people have become fanition with their socialism and now they will not be able to before the public.

Shri Teja Singh Swatantra (Sangrur) : I welcome the dismissal of the fendal, communal reactionary and repressive Government in Punjab. The people are happy they have heared a sign of relief. Even now atraction are being perpetionted on Harijans. That is a party without any politics. They fought the election without any menifesto. On being asked about their programme they told us that they would chalkout their programme after winning the elections. Actually their only programme was to loot. That is why they had not declared their programme before the elections. After winning the election they established the Governments of big landlords and of those people who never participated in the freedom struggle and who have no soft corner for the poorer sections of the society. The Akalis became the victim of their own politics. They started by pulling of one another. That brought their downfall.

Now the President's rule has been imposed in Punjab. It has become the duty of the ruling party to enact the mis-deeds of the Akali Government. Surplus land should be distributed among the Harijans. Even the things are allowed to go on as they are they awakened people of Punjab will not spare the ruling party. The ruling party should do something eredicable.

The Government employees and the teachers were also instrumental in the downfall of the Akali ministry. They had not voted for the Akali candidates in the parliamentary elections. The Akalis started repressing them after the elections. Instead of giving interim relief to the teachers they transferred them to farflung areas. They even transferred few Deputy Commissioners. First of all we should make provisions in this budget for giving interim relief to the teachers and all the illegal transfers should be nullified. If this step is taken it well have good effect on the public. The third thing is regarding loan to Harijans. The Governor by this action should make the people feel that they are secure and also that they need not give bribe to anyone for anything. Corruption was rampant in Punjab and it should be eradicated.

There are many other problem relating to small scale industries, irrigation and sale of tractors in black market. All these things should be looked into. Attention should also

be paid to the welfare of the labourer and farmer of the Punjab. The Government should adopt secular policies.

Shri Sat Pal Kapur (Patiala) : We are happy that a corrupt and inefficient Government has been removed in Punjab. President's rule was imposed in various states, in the past under Article 356 of the constitution. The President's rule has been imposed 26 times in various states. This time the Punjab Governor has taken an unusual step of dissolving the Assemby under Article 174(2). It was not good for Governor to take the shelter of this provision in dissolving the Assembly.

The Akali Government consisted of feudal elements who served their own interests and did nothing to introduce land reforms. These elements were always against the interests of Government employees, Harijans and the poor people. Corruption was rampant in Punjab during the Akali regime. The Government employees were made to pay a price for their transfer.

The Punjab suffered industrially due to corrupt regime of Akalis. 16 licences were given to Punjab in 1966 for setting up big industries, one out of which was for setting up of a tractor factory. The Akali-Jan Sangh coalition which came into power after 1967 elections, did not set up the factory and surrendered the licence and by doing so they furthered the interests of private industrialist manufacturing tractors at Faridabad. They did so at the cost of Punjab farmers. Licence in the name of Industrial Development Corporation was also given to Akali Government which was again sold to the private sector. This scandle is required to be investigated.

A reign of terror was let loose in Punjab after the mid-term poll for Lok Sabha and about 22000 teachers were transferred. Many Government employees were suspended. These harrassing orders of the Badal Government should now be cancelled and also the victimisation should also be revoked. Provision for giving interim relief to the Government employees may also be made in the budget.

Land reforms were greatly needed in Punjab. Two Land Reforms Act are in force in Punjab. The Pepsu Act should be applied throughout the Punjab so that small farmers and tenents could be benefited.

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur) : About 40 per cent members of the party which ruled Punjab till dissolution of the Assembly were defectors from the Congress party. Then how can they say that the defecting were engineered from the centre with a veiw to topple that Government contrary to this the leader of the Akali party admitted that it was not possible for him to run the Government. It is not proper to blame the Congress party for everything. The Akali party lacked both in principle and programmes. The party was based on religions fanaticism. Merits had no value in their regime. The people of Punjab were very happy over the fall of Akali Government. The injustice done to the people by the Akali rule, needs to be removed. Transfers of teachers and employees ordered by the Akali Government should be cancelled.

Shri Birender Singh Rao (Mahendragarh) : We welcome the decision of the Government in dissolving the Punjab Assembly. The Governor took recourse to Article 174 of the constitution for dissolving the Assembly which was, in fact, self explanatory. The people of Punjab felt very happy over the fall of Akali Government. The people of Fazilka and Abohar were also happy because they were suppressed by the Punjab Government after the Prime Minister's award. All development scheme of those areas were shelved and even water from canals was stopped. The people of that area were forced to study Punjabi and not allowed to read Hindi. All these matters are needed to be looked into by the Government. Effective steps should be taken to see that Haryana get its due share of water which was not allowed to it by the Punjab Government.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के फलस्वरूप इस बजट को संसद के सामने पेश किया जाना था। सदन को अब इस बजट पर मतदान करना है।

पंजाब सरकार विद्युत शक्ति की भारी कमी के बारे में भलीभांति जानती है और शक्ति बढ़ाने के लिये विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इस कमी तथा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये 15.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। इसके अतिरिक्त बहुद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी 14.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

रावी के पानी का उपयोग करने की भी कुछ सदस्यों ने चर्चा की है। भारत सरकार इस परियोजना पर विचार कर रही है और सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। जहां तक छोटे उद्योगों के विकास तथा कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, पंजाब इस दिशा में काफी विकसित है। पंजाब राज्य की आय भी बहुत है 1965-66 में यह आय 500.15 करोड़ रुपये थी जबकि 1970-71 के दौरान बढ़कर 698.15 करोड़ रुपये हो गयी। 1970-71 के दौरान ट्यूबवैल लगाने के लिए 8.11 करोड़ रुपये का ऋण बांटा गया।

कर्मचारियों के हितों की भी यहां चर्चा हुई है। अध्यापकों का वेतन बढ़ाने तथा वेतन सम्बन्धी असमानता दूर करने के लिये बजट में 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट को सदन के सामने रखता हूं।

वर्ष 1971-72 के लिये पंजाब बजट की निम्नलिखित अनुदानों की मांगे मतदान के लिये रखी गयी तथा पूरी-पूरी स्वीकृत हुई :

The following demands for grants in report of Punjab Budget for 1971-72 were put and voted in full.

	रुपये
1 भू-राजस्व	1,48,39,400
2 राय उत्पादन शुल्क	19,87,800
3 मोटर गाड़ियों पर कर	5,85,700
4 विक्रय कर	43,37,100
5 अन्य कर और शुल्क	22,76,200
6 स्टाम्प	4,95,000
7 रजिस्ट्रीकरण शुल्क	41,700
8 संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	35,23,500
9 सामान्य प्रशासन	3,74,73,700
10 न्याय प्रशासन	63,43,100
11 जेलें	94,93,100
12 पुलिस	6,70,25,900
13 पूर्ति और निपटान	3,76,100

	रुपये
14 विविध विभाग	67,28,600
15 विज्ञान विभाग	4,41,900
16 शिक्षा	24,26,54,600
17 चिकित्सा	4,45,98,300
18 लोक स्वास्थ्य	3,98,32,500
19 परिवार नियोजन	1,23,97,500
20 कृषि	4,91,52,600
21 पशुपालन	1,84,31,600
22 सहकारिता	1,17,10,400
23 उद्योग	1,33,10,100
24 सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास निर्माण कार्य	4,78,67,100
25 श्रम और रोजगार .	1,81,62,000
26 विविध, समाज और विकास संगठन	84,58,100
27 बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं	3,49,66,190
28 सिंचाई, नौवहन, तटबन्ध और जल निकासी (वाणिज्यिक तथा गैर- वाणिज्य)	4,51,47,900
29 सिंचाई प्रतिष्ठानों पर व्यय .	2,56,08,090
30 लोक निर्माण कार्य .	5,86,26,680
31 भवन तथा सड़क प्रतिष्ठानों पर व्यय	1,27,78,670
32 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय .	3,24,30,000
33 सड़क और जल परिवहन योजनाएं .	6,71,58,300
34 दुर्भिक्ष सहायता	86,34,900
35 पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्त लाभ .	1,48,41,700
36 भारतीय नरेशों की निजी थैलियाँ और भत्ते . .	4,89,900
37 लेखन सामग्री और मुद्रण .	1,04,81,000
38 वन .	1,05,87,110
39 विविध . .	4,16,88,620
40 अन्य विविध प्रतिकर और समर्पण .	1,36,900
41 विभाजन पूर्व की अदायगियाँ . .	1,500
42 कृषि सुधार और अनुसंधान योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	49,02,000
43 औद्योगिक तथा आर्थिक विकास पर पूँजी परिव्यय	3,84,56,300
44 बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूँजी पर परिव्यय .	11,01,62,700
45 सिंचाई, नौवहन, तटबन्ध और जल निकासी (वाणिज्यिक) .	3,84,70,970
46 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय .	9,81,15,650
47 अन्य निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय .	9,52,500
48 सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	1,34,88,800
49 पेंशनों के राशिकृत मूल्य का भुगतान .	1,50 000
50 सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूँजी परिव्यय	26,32,26,000
51 स्थानीय निधियों, गैर-सरकारी दलों आदि को ऋण तथा सरकारी कर्मचारियों को ऋण . . .	17,19,69,800

पंजाब विनियोग विधेयक, १९७१—
पुरःस्थापित तथा पारित

The Punjab Appropriation Bill, 1971--
Introduced and Passed

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री के० आर० गणश : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि वित्तीय वर्ष 1971-72 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले बिधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 1 to 3, Schedule the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

†† चौथी योजना के दौरान ग्राम्य विद्युतीकरण

Rural Electrification during Fourth Plan

श्री चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैंने यह चर्चा ग्राम्य विद्युतीकरण सम्बन्धी उन प्रश्नों के सन्दर्भ में शुरू की है, जिनका उचित उत्तर इस सदन को 8 जून, 1971 को नहीं मिला। इस से कोई इन्कार नहीं करेगा कि ग्राम्य विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जाये। बाहरी देशों की अपेक्षा हमारे देश में बिजली की खपत बहुत कम है। कृषि के लिये केवल नौ प्रतिशत बिजली खर्च की जाती है। मंत्री महोदय ने एक दिन कहा था कि भारत के 18 प्रतिशत गांवों में बिजली लगा दी गयी है। लेकिन इस मामले में राज्यों के बीच असमानता है। हरियाणा के 100 प्रतिशत गावों में बिजली है। लेकिन इसके साथ साथ आसाम और उड़ीसा के केवल 2.5 प्रतिशत गांवों में ही बिजली है। पश्चिम बंगाल के 7.4 प्रतिशत गांवों में बिजली है। विभिन्न राज्यों के बीच बिजली सम्बन्धी असमानता का मुख्य कारण यह है कि देश भर के लिये कोई समान योजना नहीं बनायी गयी। 8 जून, 1971 को मंत्री महोदय ने इस सदन में बताया है कि यह दोष केन्द्र का नहीं बल्कि राज्य सरकारों का है। राज्यों के ऊपर जिम्मेवारी डालना उचित नहीं है। हमें देखना है कि सारे देश में किस प्रकार शीघ्राति-शीघ्र बिजली पहुंचायी जा सकती है। ऐसे भी राज्य हैं जहां जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा की जाती है, जबकि यह अतिरिक्त बिजली पड़ौसी राज्य को भी दी जा सकती है। मंत्री महोदय ने कहा था कि अगले 10 वर्षों में देश के 50 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचा दी जायेगी। लेकिन क्या यह अवधि अधिक नहीं है ?

केरल में जरूरत से अधिक बिजली पैदा होती है लेकिन फिर भी बिजली की कमी से कारखानों का काम रुक जाता है। क्या हम थर्मल प्लांट द्वारा बिजली पैदा करके उन राज्यों को नहीं दे सकते जो मौनसून पर निर्भर करते हैं ? क्या सरकार केन्द्रीय बिजली अधिनियम में ऐसा संशोधन पेश करेगी जिससे बिजली पहुंचाते समय प्राईवेट जमीन सम्बन्धी झगड़े न हो सकें ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे इसके बारे में पूरा पता नहीं। बिजली बोर्ड गरीब ग्रामीणों से 6 प्रतिशत ब्याज लेता है। इन किसानों को इतनी अधिक दरों पर बिजली नहीं दी जानी चाहिये।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरू) : बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। यदि हम यह चर्चा यहां चलायें तो उत्तर मिलेगा कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है और यदि हम राज्यों से पूछें तो वे कहते हैं कि पैसा केन्द्र देता है, इसलिये हम से न पूछें। केन्द्र जब राज्यों को किसी काम के लिये पैसा देता है तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उस राशि का निर्धारित कार्य के लिए उपयोग हो।

श्री बाल तन्डायुतम (कोयम्बटुर) : हम ग्राम्य औद्योगकिरण कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं हैं। आज शहरों में गांवों की कीमत पर बिजली का अपव्यय हो रहा है। क्या सरकार कृषि कार्यों के

---

†† आधे घंटे की चर्चा

Half-an-hour discussion

लिये बिजली की दर में कमी करेगी ? क्या सरकार हरिजनों तथा गिरिजनों को सस्ते दामों पर बिजली देगी ? क्या राज्यों में अधिक संख्या में आणविक प्लांट लगाये जायेंगे ?

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Speaker, Sir, Bihar and particularly North Bihar is the most backward area as regards electricity is concerned. Now he has stated that a scheme is being formulated for the development of backward areas. May I know whether some funds would be provided for the rapid electrification of North Bihar during the fourth five yaar plan.

An assurance was gievn to establish a Thermal Power Station between Muzaffarpur and Motihari. May I know whether that assurance is going to be fulfilled or not ? Electrification of North Bihar has been very slow though it legs far behind in this respect.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए धन की व्यवस्था करना केन्द्र का उत्तरदायित्व होना चाहिए। विद्युती करण के लिए हमारी विशिष्टयां विश्व मानकों से बहुत ऊंची है अत: व्यय को घटाने के विचार से यदि संभव हो तो इन्हें कुछ कम किया जाना चाहिए। फिर राज्यों के बीच बिजली के प्रति व्यक्ति उपयोग के आकड़ों में भी पर्याप्त अन्तर है। कुछ इस प्रकार के प्रबंध होने चाहिये जिससे जहां पर बिजली अधिक है वहां से बिजली पड़ौसी राज्यों को दी जा सके। उड़ीसा, आसाम, पश्चिम बगांल और बिहार जैसे कुछ ऐसे पिछड़े राज्य हैं जहां पर बिजली की कमी के कारण न तो लघु सिचाई योजनाओं को चलाया जा रहा है और न ही छोटे तथा घरेलू उद्योगों का बिकास हो रहा है। चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नियत राशि को बछाया जाना चाहिये क्योंकि देश की अर्थ व्यवस्था के लिए इसका बहुत अधिक महत्व है।

औद्योगिक उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं के बीच बिजली की दरों में अन्तर भी दूर होने चाहियें। पश्चिम बंगाल, असाम तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की सहायता के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं।

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार मैं किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि केरल और तमिलनाडु जैसे उन दो राज्यों द्वारा इस विषय मे शिकायत की जा रही है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि ये दोनों राज्य इस दिशा में बहुत ही प्रगति कर चुके हैं। तमीलनाडु और केरल के क्रमश: 80 प्रतिशत तथा 76 प्रतिशत गाँवों का विद्युती करण हो चुका है अत: इन राज्यों को तो दु:खी होना ही नहीं चाहिये

यह कहा गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रबन्ध बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। यह बात वस्तुत: ठीक नहीं है। इस क्षत्र में तो हम चौथी योजना के निर्धारित लक्ष्य और आगे बढ़ा रहे हैं जबकि अन्य क्षेत्रों मे हम अपने लक्ष्य प्राप्त भी नहीं कर पा रहें है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सारे देश की 50 प्रतिशत जन संख्या वाले राज्य इस प्रकार के हैं जो इस बारे में राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। इस स्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार पर अरोप नहीं लगाया जा सकता यह एक ऐसा क्षत्र है जिस में धन लगाना राज्य सरकारों का उत्तर दायित्व है। हर विषय पर केन्द्र से धन की अपेक्षा की जाती है यह उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल बिहार और उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने जो कि इस दिशा में अत्यन्त पिछड़े हैं। इस दिशा में विशेष प्रयत्न नहीं किया है।

अब इस बिषय की ओर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के रूप में हमारे पास अब एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों की सहायता के प्रयास किये जा सकते हैं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी योजना में ग्रामीण विद्युतकरण के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है परन्तु हमारे विचार के अनुसार इससे अधिक कार्य नहीं होने वाला है। अतः हमारा प्रयास यह है कि ग्रामीण विद्युकरण निगम तथा अन्त वित्त पोषक संस्थाओं द्वारा यह राशी 30 करोड़ रूपये तक बढ़ाई जाये। जिससे न केवल अगले तीन वर्षों के लक्ष्य पूरे किए जा सके अपितु पिछले वर्षों की कमी भी पूरी हो सके।

ग्रामीण विद्युतीकरण करके हमारा विचार पश्चिम बंगाल की ग्रामीण जनता को इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का है जिससे जनता का शहरों की ओर प्रत्यावर्तन रुक सकें।

यह ठीक है कि उत्तर बिहार की ओर अधिक ब्यान देने की आवश्यकता हैं। उत्तर बिहार में केवल 30 मैगावाट बिजली उपलब्ध है जबकि अकेले कलकत्ता नगर में 550 मेगावाट बिजली है इम सम्बन्ध में उत्तरी बिहार में तापीय बिजली घर की स्थापना का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। इस निर्णय के लिए जाने में मुख्य अड़चन बड़ी लाइन को मुजफ्फरपुर तक बढ़ाये जाने की योजना में ढील है। यदि इसे नहीं बढाया जाता तो इस तापीय बिजली घर को मोतीहारी अथवा मुजफ्फरपुर के स्थान पर समस्तीपुर में स्थापित किया जायेगा। मेरा विश्वास है कि शीघ्र ही इस बारे में निर्णय ले लिया जायेगा।

इसके साथ ही उत्तरी, बिहार उत्तरी बंगाल तथा उडीसा में पारेषण लाइनों की भी कमी है। अतः इस बात को देखते हुए मैंने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के प्रधान से अनुरोध किया कि इन तीन राज्यों को पारेषण लाइनों के विस्तार के लिए भी ऋण दिया जाये और उन्होंने विशेष मामले के रूप में इसे स्वीकार कर लिया है क्योंकि पारेषण लाइनों के विस्तार के लिए राज्यों को ऋण नहीं दिया जाता हैं।

इसी तरह उत्तर प्रदेश भी एक विछडा राज्य है। यहां बिजली भारत के विद्युतीकरण के औसत का लगभग 18 प्रतिशत ही हैं। हमने यहां के लिए भी कई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है तथा कई अन्य योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। परन्तु इस बिषय में केन्द्र की अपेक्षा राज्य सरकार को अधिक प्रवासों की आवश्यकता है क्योंकि यह ऐसा राज्य है जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं जो आवश्यक कार्य कर सकने में समर्थ हैं।

हरिजनों के गांवों का प्रश्न भी उठाया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य समस्या यह है कि अब तक विद्युतीकृत गांवों में से कई गांव इस प्रकार के हैं जिनमें हरिजन क्षेत्रों में अभी भी बिजली नहीं पहुचाई गई है। इस विषय पर योजना आयोग के साथ बातचीत के द्वारा यह निश्चय हुआ है कि इस कार्य के पूंजीगत व्यय के लिए केंन्द्रीय सरकार धन देगी बशर्ते कि सड़कों की बिजली पर होने वाले व्यय का भार राज्य सरकार जिला परिषद अथवा पंचायत उठाये। यह भी निश्चय किया गया है कि इसके उपरान्त जिन गाँवों का विद्युतीकरण होगा वहां हरिजन बस्तियों में भी बिजली साथ ही पहुचाई जायेगी अन्यथा धन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रिड का सम्बन्ध है हमने प्रायः प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्य के साथ

मिला दिया है किन्तु हमारे पास शक्तिशाली सम्पर्क नहीं है जिस कारण कई बार बड़ी कठिनाईयां उपस्थित होती हैं। सरकार का इस बारे में यह लक्ष्य है कि एक अखिल भारतीय ग्रिड बनाया जाये। मुझें विश्वास है कि जब हमारे पास पर्याप्त संख्या में शक्तिशाली सम्पर्क हो जायेंगे तो हम एक प्रभावी अखिल भारतीय ग्रिड बना लेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार 22 जून, 1971 आषाढ़ 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 22nd June, 1971/ Asadha 1, 1893 (Saka).

Sumer Printing Press, Ganesh Nagar, New Delhi-18